Monday, 18 March, 1963

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १६, १९६३/१८८४-८५ (शक)

[१२ से २८ मार्च, १९६३/२७ फाल्गुन, १८८४ से ७ चैत्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

चतुर्थ सत्र, १९६३/१८८४-८५ (शक)

(खण्ड १६ में अंक २१ से ३० तक हैं)

Preservation Unit
27-5-97
Fumigated
On
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खंड १५—अंक २१ से ३०, १८ से २८ मार्च, १९६३/२७ फाल्गुन, १८८४ से ७ चैत्र, १८८५ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार १८ मार्च, १९६३/२७ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६२ और ४६४ से ४६६ १९७५—९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५२, ४६७ और ४६८ . . १९९९–२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७४ से ८९३ . . २०००—१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— २०१०–११

किरिबुरू लोह अयस्क परियोजना में विधि और व्यवस्था में हुई व्यवस्था

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०११–१२

राज्य सभा से सन्देश . . . २०१२

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . २०१२

संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २०१२–१३

अनुदानों की मांगें

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . २०१३—४४

दैनिक संक्षेपिका . . . . २०४५—४७

अंक २२—मंगलवार, १९ मार्च, १९६३/२८ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६९ से ४७१, ४७३ से ४७६ और ४७८ से ४८२ . . . . . २०४९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७२, ४७७ और ४८३ से ४९६ . . २०७१—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९४ से ९३४ और ९३६ से ९६७ . . . २०७८—२११३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २११३–१४

विषय	पृष्ठ
समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	२११४
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२११४—५९
अनुदानों की मांगें—	
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	२१५९—७८
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	२१७९
दैनिक संक्षेपिका	२१८०—८४
अंक २३—बुधवार, २० मार्च, १९६३/२९ फाल्गुन, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०८ . .	२१८५—२२११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ से ५१५	२२११—१४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९६९ से ९८१ और ९८३ से १०१९ .	२२१४—३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२३४–३५
राज्य सभा से सन्देश	२२३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	२२३५
लोक लेखा समिति—	
नवां प्रतिवेदन	२२३५
किरिबुरु परियोजना के स्थान पर भीड़ द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्यों के बारे में वक्तव्य	२२३५—३५
अनुदानों की मांगें	२२३७—२३०४
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	
दैनिक संक्षेपिका	२३०५—०८
अंक २४—गुरुवार, २१ मार्च, १९६३/३० फाल्गुन, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१८, ५२० से ५२५ और ५२७ से ५३१	२३०९—३८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	२३३५—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२६ और ५३२ से ५३४ . .	२३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०२२ और १०२४ से १०५२ .	२३४२—५८

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५८
राज्य सभा से सन्देश	२३५८–५९
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न के बारे में	२३५९
अनुदानों की मांगें—	
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	२३५९—७३
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२३७३—२४१३
दैनिक संक्षेपिका	२४१४—१७

अंक २५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९६३/१ चैत्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५४०, ५४२ से ५४५, ५४७ से ५४९ और ५५१ से ५५३	२४१९—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ से ५५० . . .	२४४७—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५३ से १०७७ और १०७९ से १०८२ .	२४४९—६२
तिब्बत में चीनी सेनाओं के कथित जमाव के बारे में . . .	२४६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४६२
राज्य सभा से सन्देश	२४६३
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	२४६३
अनुदानों की मांगें—	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४६४–६५
शिक्षा मंत्रालय	२४७६—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	२४९९–२५००
श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७-क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]— अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५००–११
समुद्र बीमा विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव . .	२५११—१३
दैनिक संक्षेपिका	२५१४—१७

विषय	पृष्ठ
अंक २६—शनिवार, २३ मार्च, १९६३/२ चैत्र, १८८५ (शक)	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	२५१९—२२
(१) जमुरिया कोयला खान में हुई दुर्घटना	
(२) तिब्बत में चीनी सेनाओं का भारी जमाव	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२५२२
प्राक्कलन समिति	२५२३
तीसवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य	२५२३
अनुदानों की मांगें—	
शिक्षा मंत्रालय	२५२३—४०
वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . .	२५४१—६६
अणु शक्ति विभाग	२५६६—७२
दैनिक संक्षेपिका	२५७३
अंक २७—सोमवार, २५ मार्च, १९६३/४ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५५७ और ५६० से ५६७ . .	२५७५—२६०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९ और ५६८ से ५७५ . .	२६०२—०७
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से १११९ . . .	२६०७—२३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	२६२४—३३
(१) श्री पटनायक द्वारा वाशिंगटन में दिया गया कथित वक्तव्य .	
(२) तिरुची-रेनी एक्सप्रेस और एक बस में हुई दुर्घटना . .	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६३३–३४
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	२६३४
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र	२६३४
श्री बागड़ी द्वारा कही गई बातों के बारे में	२६३४—३९
अनुदानों की मांगें—	
अणु शक्ति विभाग	२६४०—४७
स्वास्थ्य मंत्रालय	२६४७—८१
दैनिक संक्षेपिका	२६८२—८५

विषय	पृष्ठ
अंक २८—मंगलवार, २६ मार्च, १९६३/५ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ से ५८० और ५८२ से ५९० . .	२६८७—२७१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ और ५९१ से ६०१ . . .	२७१३—१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११४९, ११५१ से ११८५ और ११८८ से ११९४	२७१८—५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७५१
अनुदानों की मांगें—	
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . .	२७५२—२८०५
दैनिक संक्षेपिका	२८०६—१०
अंक २९—बुधवार, २७ मार्च, १९६३/६ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ से ६०४, ६०६ और ६०८ से ६१६	२८११—३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५, ६०७ और ६१७ से ६२१ . .	२८३५—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ११९५ से १२४० . . .	२८३७—५६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२८५७
सदस्य की रिहाई	२८५७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —	
सत्रहवां प्रतिवेदन	२८५७
दी गयी सूचना में शुद्धि	२८५८
सभा में व्यवस्था रखने के बारे में	२८५८
अनुदानों की मांगें . .	२८५८–५९
सिंचाई और विद्युत् मंत्राल	२८५९—६८
श्रम और रोज़गार मंत्रालय	२८६८—२९०५
दैनिक संक्षेपिका	२९०५—०८
अंक ३०—गुरुवार, २८ मार्च, १९६३/७ चैत्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ६३५	२९०९—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४१	२९३२—३४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२४१ से १२८८ . . .	२९३४—५४

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२९५४
याचिका समिति . .	
कार्यवाही सारांश और पहिला प्रतिवेदन . . .	२९५५
अनुदानों की मांगें—	
श्रम और रोज़गार मंत्रालय	२९५५—६३
गृहकार्य मंत्रालय	२९६३—३०१६
दैनिक संक्षेपिका	३०१७—२०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS II—106 (Ai) LSD—28-5-63—160.

तृतीय माला, खण्ड १५—अंक २१

सोमवार, १८ मार्च, १९६३
२७ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या ४५१, ४५३ से ४६२ और ४६४ से ४६६ . १९७५--९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४५२, ४६७ और ४६८ . . . १९९९–२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७४ से ८९३ . . . . २०००—१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २०१०–११

किरिबुरु लोह अयस्क परियोजना में विधि और व्यवस्था में हुई अव्यवस्था .

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०११–१२

राज्य सभा से संदेश २०१२

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक १९६३ . . . . २०१२

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक २०१२–१३

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

अनुदानों की मांगें--

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय २०१३—४४

श्री ही० ना० मुकर्जी . . . २०१४—१६

श्री खाडिलकर . . २०१६—१८

श्रीमती गायत्री देवी . . . २०१९

श्री दी० चं० शर्मा . २०१९–२०

श्री नाथ पाई . . . . २०२०—२३

श्री जोकीम आल्वा . . २०२३–२४

श्री बाकर अली मिर्जा . . . २०२५–२६

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी . २०२६–२७

श्री रवीन्द्र वर्मा २०२७—२९

श्री मेनन . . . . . २०२९—३१

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, १८ मार्च, १९६३

२७ फाल्गुन १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जेट लड़ाकू विमानों का निर्माण

†*४५१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को 'नेट' जेट लड़ाकू विमानों के निर्माण में कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) पहिले विमान के कब तक तैयार होने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० ने अनेक बड़े जेट लड़ाकू विमान बनाये हैं और भारतीय विमान बल को दे दिये हैं ।

†**श्री ० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि जेट एयर क्राफ्ट बनाने की परियोजना को काफी धक्का पहुंचा है ? यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और वे कैसे दूर की जःयेंगी ?

†**श्री रघुरामैया :** मैं यह नहीं कहूंगा कि निर्माण कार्यक्रम को धक्का लगा है । वास्तव में, हमने कुछ दे दिये हैं और बहुत से जहाज तैयार किये जा रहे हैं । यह सच है कि कुछ दोष पाये गये हैं, और हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** कार्यक्रम को सफल कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है, क्या कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या है ?

†**श्री रघुरामैया :** मैं नहीं जानता कि सभा यह पसन्द करे कि मैं लड़ाकू विमानों का उत्पादन लक्ष्य बताऊं । परन्तु जैसा कि मैंने कहा था हम पाये गये दोषों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अचल सिंह : इन जेट फाइटर्स के जो एंजिन हैं वे हमारे कारखानों में बनाये जा रहे हैं या वे बाहर से इम्पोर्ट किये जा रहे हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : नहीं । अगर फिक्स व्यक्तियों के लाइसेंस के अन्तर्गत हम स्वयं इन्हें बना रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यहां के बने जेट लड़ाकू विमान की लगभग कितनी लागत आती है और इसमें कितने प्रतिशत पुर्जे आयात किये होते हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मुझे खेद है कि मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं । कुछ भी हो, हमने यह केवल भारतीय विमान बल को दिये हैं ; हमने उन्हें बाहर नहीं बेचा है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : देश में कितने प्रतिशत पुर्जे बनते हैं ?

†**श्री रघुरामैया**: थोड़े सामान को छोड़कर जो आयात करना पड़ता है, हम ६० से ७० प्रतिशत निर्माण देश में करते हैं ?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि इन लड़ाकू विमानों में अणु आयुधों अर्थात् प्रक्षेपणास्त्रों का उपयोग किया जाता है या नहीं ?

†**श्री रघुरामैया** : जी नहीं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : कारखाने में प्रति वर्ष कितने विमान बनते हैं, उनकी लागत क्या है और क्या वे आयात होने वाले जेट लड़ाकू विमानों की अपेक्षा सस्ते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त** : जिन टैक्निकल कठिनाइयों से उत्पादन में कुछ बाधा पड़ी है—इनका उल्लेख हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड की रिपोर्ट में है—वे बंगलौर में संयंत्र में कुछ दोषों के कारण हैं या किसी विदेशी सहयोग कर्ता कम्पनी के साथ कुछ कठिनाइयों के कारण हैं ? यदि हां, तो इनके कारण उत्पादन अनुसूची पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री रघुरामैया** : दोष की जांच की बहुत ऊंची स्तर की परीक्षाधीन है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात का ध्यान रख कर कि पिछली बार यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बना विमान सुपरसोनिक गति की बजाये केवल सबसोनिक गति प्राप्त कर सका, क्या यह दोष दूर हो गया है और विदेशी सहयोगी से परामर्श कर लिया गया है ।

†**श्री रघुरामैया** : यह दावा कभी नहीं किया गया है कि यह जेट विमान सुपरसोनिक है । यह सबसोनिक है । एच० एफ०-२४ वह विमान है जिसे हम सुपरसोनिक कहते हैं ।

नेपाल में उद्यानकर्म केन्द्र

†*४५३. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में काठमांडू के पास भारत की सहायता से एक बड़ा उद्यानकर्म केन्द्र स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल में इस परियोजना के लिये भारत ने क्या सहायता दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) एक केन्द्रीय उद्यानकर्म अनुसंधान केन्द्र कीर्तिपुर में खोला गया है जो कि नेपाल में भारतीय सहायता के साथ उद्यानकर्म विकास कार्यक्रम का एक अंग है।

(ख) कीर्तिपुर स्टेशन के भारत की सहायता में ४ लाख रु० की वित्तीय सहायता और उद्यानकर्म वेत्ताओं तथा सहायक उद्यानकर्म वेत्ताओं तथा इमारतों के निर्माण के लिये इंजीनीयरी संगठनों की सेवाओं के रूप में सहायता शामिल है। सामान, बीज, पौधों और कलमों के संभरण की भी व्यवस्था की गई है।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : इस परियोजना के लिये भारत से कितने उद्यानकर्म विशेषज्ञ भेजे गये हैं और नेपाली सरकार कितना अतिरिक्त भत्ता, आदि दे रही है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हमने एक उद्यान-कर्म वेत्ता और एक सहायक उद्यानकर्म वेत्ता भेजा है जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें कितना भत्ता मिल रहा है परन्तु उन्हें विदेश भत्ता मिल रहा है।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या नेपाली सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है जिस से इस केन्द्र पर किये गये सभी प्रयोगों तथा अनुसंधान कार्य के परिणाम, विशेषकर अधिक ऊंचाई पर उगने वाले खाद्य पौधों के परिणाम हमारे लाभ के लिये समय समय पर भारतीय सरकार को विदित होते रहेंगे ?

†**श्री दिनेश सिंह** : किसी भी अग्रिम करार की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही व्यक्ति वहां काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि नेपाली सरकार हमें जानकारी देगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने समझा था कि वह कह रहे हैं कि क्या हम भारत में उद्यान कर्म के बारे में जो भी प्रगति करते हैं, वह उन्हें बताई जायेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : प्रबन्ध का कोई प्रश्न ही नहीं है ; वैज्ञानिक मामलों में कुछ गोपनीय नहीं होता। जानकारी सदैव बताई जाती है और यह होने की और भी अधिक संभावना है क्यों कि नेपाल में वह केन्द्र तो हमारे ही व्यक्तियों द्वारा चलाया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन इस योजना के कितने वर्षों में पूरी हो जाने की आशा की जाती है, और इसके पूरी हो जाने पर क्या इसको नेपाल के सुपुर्द कर दिया जायेगा या भारत सरकार ही इसको चलाती रहेगी ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, पूरे हो जाने पर इसको नेपाल के सुपुर्द कर दिया जायेगा। अभी यह कहना मुश्किल है कि कितने सालों में यह पूरी हो जायेगी क्योंकि मकान वगैरह बन रहे हैं। जैसे जैसे सामान उपलब्ध होता जायेगा, उसके हिसाब से यह पूरी होती जायेगी।

कोयला खानों के मजूरी बोर्ड

†

†*४५४ { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री दाजी :

†मूल अंग्रेजी में

श्री कजरोलकर :
श्री ब० चं० बरुआ :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २१ जनवरी १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) हां ।

(ख) सरकारी निश्चय की घोषणा करने वाले संकल्प की एक प्रति १९ फरवरी, १९६३ को पटल पर रखी गई थी ।

†श्री यश पाल सिंह: सिफारिशें कितनी खानों में लागू की गई हैं ?

†श्री र० कि० मालवीय : कार्यान्विति १ मार्च से है जैसा कि हम यथासमय जान जायेंगे ।

†श्री विश्राम प्रसाद : क्या सरकार को विदित है कि कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को पूरी पूरी मजूरी नहीं मिल रही है और उनकी अधिकतर मजूरी ठेकेदार या वहां नियन्त्रक-अधिकारी ले लेते हैं ?

†श्री र० कि० मालवीय : सरकार को यह सारी बातें ज्ञात हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कोयला खानों में ठेका पद्धति अधिकतर समाप्त कर दी गई है और मेरा ख्याल है कि इसके परिणाम अच्छे होने चाहियें ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को विदित है कि अन्तरिम सहायता जिसकी सिफारिश मजूरी बोर्ड ने की है वह कोयला खान क्षेत्रों में निर्वाह व्यय में वृद्धि होने के कारण निरर्थक हो गई है ?

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : जी नहीं । हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोयला खान क्षेत्र में ऐसी कोई विशेष घटना हुई है ।

†श्री प० रं० चक्रवर्ती: क्या मजूरी बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि कोयला की कीमत बढ़ाई जाये और यदि हां, तो यह किस सिद्धान्त पर निर्धारित की गई है ?

†श्री नन्दा : कोयला एक मूल्य है । यह नियमित मूल्य है जो लागत की जांच के आधार पर निर्धारित होता है । जब भी लागत बढ़ती है, तो निश्चय ही वह मूल्य में परिलक्षित होती है ।

†श्री ब० चं० बरुआ : बढ़ी हुई लागत का कितना भाग कोयला व्यापार ने सहन कर लिया है और इसमें से कितना भाग उपभोक्ताओं पर डाला जायेगा ?

†श्री र० कि० मालवीय : मूल्य में वृद्धि विशेषकर इन सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक हवाई अड्डे

+

†*४५५. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में सात असैनिक हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने के प्रस्ताव पर हाल ही में विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और योजना पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस आधुनिकीकरण में कितना समय लगेगा ?

†श्री दा० रा० चव्हाण : छः मास।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत के अन्य राज्यों में असैनिक हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने की कोई परियोजना है और, यदि हां, तो कितने राज्यों में ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : आधुनिकीकरण के ये कार्य राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर नहीं होते। वे प्रायः देश की प्रतिरक्षा का ध्यान रख कर किये जाते हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही कि ये जो हवाई जहाज के अड्डे बढ़ाये जा रहे हैं ? इसमें ऐसा है कि दस हजार फीट से कम जगह नहीं चाहिये ?

†श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम आवश्यकता के अनुसार और इस मामले में टैक्निकल परामर्शानुसार कार्य करते हैं।

†श्री पें० वें कटासुब्बया : क्या दिल्ली में पालम हवाई अड्डे के अतिरिक्त कोई और असैनिक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है ?

† अध्यक्ष महोदय : प्रश्न आधुनिक बनाने का है।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वार पीरियड के पुराने एयर ड्रोम थे उनको सरकार फिर से बनाना चाहती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो बनाना चाहते हैं उनको हाथ में लिया है, लेकिन सब को बनाना मुश्किल है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या पानगढ़ हवाई अड्डे के काम के बारे में माननीय मन्त्री को कोई शिकायतें मिली हैं ?

†श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ शिकायतें मिली थीं।

†अध्यक्ष महोदय : क्या उसे आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री दी० चं० शर्मा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा: क्या आदमपुर, पठानकोट और चण्डीगढ़ के असैनिक हवाई अड्डे भी आधुनिक बनाये जा रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : वे बताना नहीं चाहते । वे कहते हैं कि यह लोकहित में नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या सिविल एविएशन विभाग ने इन हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी जिसकी वजह से प्रतिरक्षा विभाग को इन को लेना पड़ा ? क्या हमेशा के लिए इनको लिया जा रहा है या कुछ दिनों के लिए ?

†श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा ख्याल है कि इसका असैनिक उड्डयन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री कृ० चं० पन्त : क्या मन्त्री महोदय यह महसूस नहीं करते कि प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया व्यौरा इस कारण न बताने से कि यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है, उन्होंने वास्तव में असैनिक हवाई अड्डों की ओर ध्यान आकर्षित कर लिया है ?

† अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन ।

† डा० रानेन सेन: क्या यह सच है कि कलकत्ता में एक पृथक आधुनिक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव था और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बनने वाले हवाई अड्डों के बारे में नहीं है; यह केवल आधुनिकीकरण के बारे में है ।

†श्री हेम बरुआ : माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री के इस उत्तर से उत्पन्न होने पर कि हवाई अड्डों को राज्य आधार पर नहीं अपितु सामरिक महत्व के आधार पर आधुनिक बनाया जाता है, यदि मैंने उन्हें ठीक समझा तो क्या यह सच है कि आसाम के हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, और आसाम में हवाई अड्डों के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

† श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि यह पृथक् प्रश्न रहेगा ।

श्री सरजू पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में द्वितीय महायुद्ध में जो हवाई अड्डे मौजूद थे क्या उनके पुनर्निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

कोयला खानों में व्यवसाय के कारण स्वास्थ्य को खतरा

†*४५६. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा अनुसन्धान और सामाजिक संगठनों को सुझाव दिया है कि वह विशेषतः कोयला खानों में व्यवसाय के कारण स्वास्थ्य को खतरे के विभिन्न पहलुओं की जांच करे ;

(ख) जमीन के अन्दर काम करने वाले मजदूरों में निमोनिया तथा तपेदिक रोगों के सम्बन्ध में कारखाना मुख्य सलाहकार तथा खान मुख्य निरीक्षक द्वारा १९६१ में किए गए सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या केन्द्रीय खनन अनुसन्धान संस्था उसी आधार पर अनुसन्धान कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) एक जांच की गई है कि क्या कोयला खानों में न्यूमोकोनिसिस की समस्या के कुछ अंगों की जांच पड़ताल करना उसके लिए सम्भव होगा या नहीं।

(ख) १९५९-६० में किये गये सर्वेक्षण से उन कोयला खान मजदूरों में १८·८ प्रतिशत न्यूमोकोनिसिस और ६.६ प्रतिशत क्षय रोग के रोगियों का ज्ञान होता है जिन्होंने इस वर्ष से अधिक जमीन के नीचे काम किया हो।

(ग) केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र कोयला खानों में इस बात की जांच पड़ताल कर रहा है कि वहां कितना धूल अनावरण तथा धूल नियन्त्रण है।

(घ) अभी जांच पड़ताल हो रही है।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इन क्षीणकारी रोगों से मजदूरों को निरापद बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†श्री र० कि० मालवीय : जांच पड़ताल हो रही है और जब यह पूरी हो जायेगी और सिफारिशें की जाती हैं, तो वे कार्यान्वित की जायेंगी।

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): यह पता लगा है कि वातावरण में धूल और इन रोगों के रोगियों में एक संबंध है। नियमों को इस प्रकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस धूल-अनुपात को उत्तम ंग से नियंत्रित किया जा सके।

†श्री रा० शि० पाण्डेय : वातावरण में धूल के कारण होने वाले रोगों के अतिरिक्त, अनेक व्यक्तियों को दम घुटने का रोग होता है और अन्त में उन्हें क्षय रोग हो जाता है। सरकार उनके लिए क्या कार्यवाही करेगी और क्या उन्हें पुष्टिकर भोजन दिया जायेगा?

†श्री र० कि० मालवीय : कोयला खान श्रमिक-कल्याण निधि के माध्यम से क्षयरोग की रोक थाम तथा उपचार करने का हमारा प्रोग्राम है। देश भर में क्षयरोग अस्पतालों में हमने पर्याप्त विस्तर रक्षित रखे हैं। हमने धनबाद और आसनसोल में केन्द्रीय अस्पतालों से संबंध अस्पताल बनाये हैं जिनमें से प्रत्येक में इस रोग के लिए १०० बिस्तर हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो माइन्स में काम करने वाले हैं उनके रहने सहन का, घर का और दवादारू का इन्तिजाम नहीं है जिसकी वजह से टी० बी० की ज्यादा प्रगति होती जा रही है? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

†श्री र० कि० मालवीय : जहां तक दवादारू का सवाल है, उसका बहुत अच्छा इन्तिजाम कोल माइनर्स वैलफेयर फंड की तरफ से है। सेंट्रल अस्पताल है, रीजनल अस्पताल है, और जितनी कोल माइन्स हैं उनको हम सबसिडी भी देते हैं। जहां तक टी० बी० वगैरह का ताल्लुक है, हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए हर एक वरकर को जो टी० बी० का मरीज होता है अलग से पैसा देते हैं। जो अस्पताल में रहता है उसकी फैमिली को भी अलग से पैसा देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि कोयला खानों में काम करते करते मजदूर जब बीमार हो जाता है और अस्पताल में भरती हो जाता है तो उसकी पूरी तनखाह काट दी जाती है ?

श्री र० कि० मालवीय : एक कायदा बना हुआ है जिसके अनुसार उसको मैडीकल लीव मिलती है। यह सही है कि कुछ दिनों के बाद पूरा का पूरा वेतन नहीं मिलता मगर प्रत्येक वरकर को जो बीमार होता है पूरा खर्चा अस्पताल का दिया जाता है जो कि एक टी० बी० के लिए मरीज के सवा सौ या डेढ़ सौ होता है। इसके अलावा उसकी फैमिली को अलग से पैसा देते हैं फंड में से, चाहे एम्प्लायर दे या न दे। यह पैसा उसको कोल माइनर्स फंड में से दिया जाता है, इसलिए यह सवाल पैदा नहीं होता।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या इन मजदूरों पर कोई बीमा योजना लागू होती है ?

†**श्री र० कि० मालवीय**-जी नहीं। उनके लिए भविष्य निधि योजना है।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार**: क्या सरकार इन मजदूरों में क्षय रोग या अन्य व्यावसायिक रोगों के उपचार तथा इनके कारण होने वाली मृत्युओं संबंधी कुछ आंकड़े रखती है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : जी हां।

श्री शिवनारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि फैमिली के मेनटिनेन्स के लिए कितनी रकम सरकार देती है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : साधारण रूप में ५० घरेलू इलाज के लिए दिये जाते हैं।

लौह अयस्क खानों के लिये मजूरी बोर्ड

+

†*४५७. { **श्री विभूति मिश्र** : **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क खानों के लिए एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक नियुक्त किया जायेगा और इसके निर्देश पद क्या होंगे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) हां।

(ख) मजूरी बोर्ड का संगठन तथा निर्देश पद निश्चित किये जा रहे हैं ?

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक फाइनलाइज हो जाएगी और इसको फाइनलाइज करने में क्यों इतनी देरी हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री र० कि० मालवीय: यह बहुत जल्दी हो जाएगी। जो टर्म्स फाइनलाइज होनी हैं उनमें कुछ फारमैलिटीज की जरूरत है। यह काम जल्दी ही हो जाएगा। कुछ मेम्बर्स के एपाइंटमेंट में आरगेनाइजेशन्स की मंजूरी की जरूरत है। उसके आते ही यह काम फाइनलाइज कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: जब मिनिस्टर साहब उस तरफ मुंह कर लेते हैं तो मैं नहीं सुन पाता।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वेज बोर्ड में हमारी लोक सभा के भी किसी मेम्बर को रखने पर सरकार ने विचार किया है?

श्री र० कि मालवीय: जी हां, पार्लियामेंट का एक मेम्बर उसमें है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या सरकार का विचार है कि उत्पादन-लागत बढ़ाये बिना ही उद्योग में मजदूरों की मजूरी बढ़ाई जा सकेगी?

†**श्री र० कि० मालवीय:** यह काल्पनिक प्रश्न है। हर बार जब भी मालिकों की मांग होती है, हम इसकी जांच करते हैं। जब मजूरी बढ़ाई जाती है, तो प्राय मालिकों की मांग होती है कि मूल्य बढ़ाये जाय। प्रत्येक मामले में हमें इसकी जांच करनी पड़ती है और हम गुणों के आधार पर ऐसा करते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या सरकार का विचार इस मजूरी बोर्ड का संबंध केवल लौह अयस्क की खानों से रखने का है या यह मैंगनीज अयस्क की खानों के लिए भी होगा?

†**श्री र० कि० मालवीय:** जी नहीं। अभी तो यह लौह अयस्क की खानों के लिए ही है। डोलोमाइट और चूना पत्थर खानों के लिए पृथक बोर्ड है। मैंगनीज खानों के लिए नहीं है।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य।** इस बात की दृष्टि से कि मजूरी बोर्ड बनाने के लिए धातु तथा इंजीनियरी मजदूरों की मांग काफी पुरानी है, क्या सरकार ने इस पर कोई विचार किया है कि क्या इंजीनियरी मजदूरों के लिए कोई मजूरी बोर्ड बनाया जायेगा?

†**श्री रा० कि० मालवीय:** आजकल नहीं।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया:** देशभर में लौह अयस्क की खानों में कितने व्यक्ति काम करते हैं, क्या इस बारे में कोई आंकड़े एकत्रित किये गये हैं?

†**श्री र० कि० मालवीय:** जी हां। लोह अयस्क की खानों में काम करने वालों की संख्या ४९,८६२ है।

†**श्री रा० गि० दुबे:** क्या इन मजूरी बोर्ड की स्थापना करने में विभिन्न प्रदेशों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जायेगा?

†**श्री र० कि० मालवीय:** जी हां।

†**श्रीमती सावित्री निगम:** क्या इस मजूरी बोर्ड ने स्त्री मजदूरों को पुरुष मजदूरों के समान ही मजूरी देने के प्रश्न पर भी विचार किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने विचार नहीं किया है तो उन्हें अब विचार करना चाहिये।

आयुध कारखानों के लिये इस्पात

+

†*४५८. { श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देसी साधनों से इस समय उपलब्ध इस्पात से आयुध कारखानों की कितने प्रतिशत आवश्यतायें पूरी होती हैं ; और

(ख) आपात की घोषणा के बाद इन साधनों से किये जाने वाले संभरण में कैसी वृद्धि की गई ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) इस्पात की वर्तमान आवश्यकताओं का लगभग ९५% देशी साधनों से पूरा किया जाता है।

(ख) आयुध फैक्टरियों की क्षमता को अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से सम्भरण के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। कोल्ड रोल्ड की चादरों का सम्भरण अब हिन्दुस्तान स्टील कंपनी रूरकेला द्वारा तथा शैलक्लूम और पत्तियों का संभरण अन्य संयंत्रों द्वारा किया जाता है जिसका पहले आयात करना पड़ता था।

†श्री ब० कु० दास : क्या उत्पादन की कोई ऐसी चीज है जिसके लिये हमें आयात किये गये इस्पात पर पूर्णतया निर्भर करना पड़ता है ?

†श्री रघुरामैया : फैरो तुंगस्टेन, फैरो बनाडियम और फैरो क्रोम आदि कुछ मिश्र धातु हैं, जिन के बारे में हमें आयातों पर निर्भर करना पड़ता है।

†श्री ब० कु० दास : संकट काल में आयातित इस्पात की मांग में कितनी वृद्धि हुई है ?

†श्री रघुरामैया : संभवतः मा० सदस्य समूचे देश की मांग में कुल वृद्धि के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। संभवतः इस्पात और भारी उद्योग मंत्री इस का उत्तर दे सकेंगे।

†श्री सुबोध हंसदा : मा० मंत्री ने बताया है कि देश की इस्पात की ९५% वर्तमान आवश्कताएं रूरकेला की इस्पात फैक्टरियों और अन्य इस्पात संयंत्रों के देशी उत्पादन से पूरी की जाती है। क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा मिश्र धातु इस्पातों के लिये विशेषकर इस्पात संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है ?

†श्री रघुरामैया : सभा को मालूम है कि कुछ समय पूर्व मिश्र धातु इस्पात फैक्टरी को स्थापित करने के लिये निर्णय किया गया था। इस समय इस मामले पर अग्रेतर विचार किया जा रहा है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मा० मंत्री को इस समाचार का ज्ञान है जो सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि आयुध फैक्टरियों को मिश्र धातु इस्पात का संभरण

---

†मूल अंग्रेजी में

लगातार नहीं रहा, यदि हां, तो क्या आयुध फैक्टरियों को इस के उचित संभरण के बारे में उचित आयोजना की गई है और क्या देश की आवश्यकताओं के संबंध में उचित अनुमान लगाया गया है?

†श्री रघुरामैया : वस्तुतः इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय ने देश के सभी उपलब्ध साधनों का संग्रह करके प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित व्यवस्था की है। निस्संदेह इस की आयोजना की गई है और यह जारी है।

युद्धपोतों और हेलीकाप्टरों का निर्माण

*४५९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में युद्धपोत और हेलीकाप्टर बनाने की योजनायें तैयार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मद के उत्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग). सरकार ने दो फ्रांसीसी फर्मों के साथ हेलिकाप्टर निर्माण के लिए लाईसेंस एग्रीमेण्ट किया है। इस एग्रीमेण्ट के अधीन हेलिकाप्टरों के घटकों का प्रगतिशील निर्माण भारत में ही किया जायेगा। इस एग्रीमेण्ट के अधीन हेलिकाप्टर तथा इंजन का निर्माण हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलोर को सौंपा गया है।

जहां तक युद्धपोतों का सम्बन्ध है, विदेशी सहयोग का प्रश्न विचाराधीन है।

†श्री भक्त दर्शन: क्या युद्धपोतों के बारे में यह बताया जा सकता है कि सहयोग या सहकारिता के बारे में किन देशों के साथ बातचीत हो रही है?

†श्री रघुरामैया: मैं नहीं समझता कि आया इस अवसर पर यह रहस्योद्घाटन करना लाभदायक होगा, जब हम वस्तुतः दो या तीन देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। निस्संदेह, यदि माननीय अध्यक्ष महोदय निदेश दें, तो मुझे बताने में आपत्ति नहीं हो सकती।

†अध्यक्ष महोदय: यह निर्णय करना और सभा को बताना कि आया इस को बताना लोकहित में है या नहीं, माननीय मंत्री का काम है। मैं कैसे उन को सलाह दे सकता हूं।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु): जब हम दो या तीन देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो समाचार बताना वांछनीय नहीं है।

†श्री भक्त दर्शन: कब तक हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी हेलीकाप्टर बनायेगी?

†श्री रघुरामैया: मोटे तौर पर हमें आशा है कि पूरा काम आरम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर निर्माण आरम्भ हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि भारतीय विमान बल के पास भिन्न भिन्न प्रकार के विमान होने से, मरम्मत आदि की इस की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी, विशेषकर उन पुर्जों के मामले में, जिनके लिये बहुत सी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है ?

†**श्री रघुरामैया:** प्रत्येक प्रकार के विमान का अपना उपयोग होता है । यदि उपयोग वही है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानकीकरण में लाभ होगा । परन्तु यहां बहुत से काम करने पड़ते हैं ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि वारशिप्स और हैलीकाप्टर्स को स्वतंत्र रूप से बगैर किसी विदेशी सहायता के निर्माण करने में कितना समय लगेगा और उस की क्या कौस्ट होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** स्वयं बनाने में कितना समय लगेगा तथा लागत कितनी होगी ?

†**श्री रघुरामैया :** हमें कुछ समय तक विदेशी प्रविधिक ज्ञान की जरूरत है ।

श्री हेम बरुआ : पिछले अवसर पर हैलीकाप्टरों के बारे में एक फ्रांसीसी फर्म के साथ किये गये एक करार के सम्बन्ध में सभा में सूचना बताने से इनकार किया गया था, परन्तु बाद में, समाचारपत्रों में न केवल हैलीकाप्टरों की संख्या ही बताई गई अपितु एक प्रमुख समाचारपत्र ने उस पर एक सम्पादकीय टिप्पण लिखा । उसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस बात के लिये क्या प्रयत्न या उपाय किया है कि इस प्रकार की बातचीत की सूचना उन की फाइलों से बाहर न जाये, विशेषत: जब कि हमें सूचना देने से इनकार किया गया है ?

†**श्री रघुरामैया :** जब तक हमारा सम्बन्ध है, जब करार में यह शर्त हो कि ब्योरा नहीं बताया जाना चाहिये, हम इस का आदर करने के लिये बाध्य होते हैं । दूसरी ओर क्या होता है, मैं नहीं कह सकता ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं ने एक उदाहरण दिया है । फिर मैं आपके कक्ष में गया और आपको इस के बारे में बताया । क्योंकि पिछली बार ऐसा हो गया था, इसलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि जो ब्योरा उन को बताने से इनकार किया जाता है वह समाचारपत्रों द्वारा जनता को पता लग जाता है और सदस्यों को छोड़ कर सब लोगों को उसके बारे में पता लग जाता है । अत: वह कहते हैं कि इस बात के लिये कुछ कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि सूचना न निकले ।

†**श्री हेम ब आ :** वह गोपनीयता का जाल बुन रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऐसा हो सकता है, किन्तु सरकार द्वारा शासकीय बयान तथा समाचारपत्रों को किसी प्रकार बात का पता लग जाने के बीच अन्तर होता है । हम इन समाचारों के रहस्योद्घाटन को रोकने के लिये कार्रवाई करना चाहते हैं जो यहां या उन देशों के बीच हो जाते हैं जिन के साथ हमारी बातचीत होनी है या संबद्ध राजदूतावासों से बात निकल जाती होगी । बहुत से स्थान होते हैं जहां से सूचना निकल सकती है । किन्तु सरकारी बयान तथा समाचारपत्र द्वारा विविध कल्पनाओं को देने के बीच बड़ा अन्तर होता है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या युद्धपोतों में लड़ाई के जहाज, नाशक जहाज, विमान वाहक जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं ? हैलीकाप्टरों में कितने लोगों के बैठने की क्षमता होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत व्यापक प्रश्न है।

औद्योगिक संधि

†*४९०. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सा० मो० बनर्जी :
श्री दाजी : }

क्या **श्रम और** रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ नवम्बर, १९६२ की औद्योगिक सन्धि के किसी पक्ष ने इसके कार्यवहन के पुनर्विलोकन की मांग की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए दूसरा त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किन किन दलों ने इस प्रकार की शिकायत के आधार पर कि इसे अच्छी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, इस संकल्प पर पुनर्विचार करने के लिये कहा है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : उन में से एक ए० आई० टी० यू० सी० है। अन्य दलों ने पुनर्विचार की मांग तो की है, परन्तु कुछ शर्तों के अधीन ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने अपना विभागीय पुनर्विचार किया है और क्या यह देखा गया है कि अधिक संख्या में छंटनी, बरखास्तगी और नौकरी से निकालने के दोषी मालिक हैं, जो संधि का उल्लंघन करते हैं ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : जी हां, हम उन से बातचीत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही, सभा में मैंने बताया था कि २९ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उस की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : वे केवल बन्द हुए थे। मैं ने छंटनी, बरखास्तगी और नौकरी से निकाले जाने के बारे में विशेष रूप से पूछा है।

†**श्री र० कि० मालवीय** : मंत्रालय के सामने जो शिकायतें थीं, उन पर विचार किया जा चुका है अथवा उनकी जांच की जा रही है और सब मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि आई० एन० टी० यू० सी० ने भी शिकायत की है कि संकल्प को ठीक तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया और यदि हां, तो जब शिकायत साधारणतया कार्यकर्ताओं की ओर से होती है, तो नवीन, विपक्षीय सम्मेलन पर सरकार निर्णय कब करेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : यह सच है कि संकट काल की घोषणा के पश्चात् पहले दो या तीन महीनों में प्राप्त अत्युत्तम परिणामों की तुलना में, हाल ही में विशेषतः पिछले महीने में, कुछ गिरावट हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : संकट काल के सम्बन्ध में सरकारी नीति के सम्बन्ध में आरोप ।

†श्री नन्दा : सरकारी नीति यह है, जब कभी बुराई के लिये कोई छोटा परिवर्तन होता है, कड़ी कार्रवाई की जाती है । श्रम के सम्बन्ध में अनौपचारिक सलाहकार समिति की हाल की बैठक में, इस पर पूरी तरह विचार किया गया था । इस मामले में, स्थिति यह है कि इस विशिष्ट मामले में मालिक आशा के अनुकूल नहीं उतरें । मैंने उन सब को लिखा है— कार्यकर्ताओं एवं मालिकों के संगठनों को । हमें स्थिति की समीक्षा करने के लिये पुनः बैठक करनी होगी ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कितने मामलों में मालिक त्रिपक्षीय सम्मेलन में दिये गये आश्वासनों से पीछे हटे हैं और यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

†श्री नन्दा : शिकात की मुख्य बात यह है कि जब कि वे इस बात पर सहमत हुये थे; कि मामलों को न्याय निर्णयन के लिये जाने देने के बजाये विशेषकर छंटनी और अन्य व्यक्तिगत मामलों को, उन को मध्यस्त निर्णय के द्वारा हल किया जायेगा, इस मामले में कुछ प्रगति हुई अवश्य है, किन्तु पर्याप्त नहीं । शिकायत का यही मुख्य कारण है ।

†श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मार्मिक संघों ने औद्योगिक समझौता संकल्प के विशेषकर नियोजक मंत्रालयों द्वारा, क्रियान्वित न किये जाने के बारे में चिन्ता प्रकट की है, और यदि हां, तो सरकार यह देखने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है कि नियोजक मंत्रालय भी औद्योगिक समझौता संकल्प को भी कार्यान्वित करते हैं ।

†श्री नन्दा : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में उनका सरकार के कुछ विभागों के बारे में भी कुछ शिकायतें आई हैं । इस को भी मांग की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार को पता लगा है कि रूरकेला में इस्पात फैक्टरी ने जो सरकारी क्षेत्र का उद्योग है, संकट काल में इस औद्योगिक समझौते का उल्लंघन किया है ।

†अध्यक्ष महोदय : कसी विशिष्ट फैक्टरी ने भी इस का उल्लंघन किया है ?

†श्री र० कि० मालवीय : इस के बारे में कोई सूचना नहीं है । शिकायतें नहीं आईं ।

†श्री अ० चं० बरुआ : क्या आई० एन० टी० यू० सी० ने बड़े उद्योगों के लिये औद्योगिक समितियों के पुनर्जीवित किये जाने की मांग की है और यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†श्री नन्दा : पुनर्जीवित करने का कोई प्रश्न नहीं । औद्योगिक समितियां विद्यमान हैं । कुछ समय से बैठकें नहीं हुई हैं संकट काल के कारण । मैं समझता हूं कि हमें बैठकें करना आरम्भ करना होगा ।

†श्री मुहम्मद इलियास : क्या यह सच है कि मालिक स्वेच्छापूर्वक मध्यस्थ निर्णय के लिये सरकार के साथ सहयोग देने से लगातार इनकार कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार मालिकों को स्वेच्छापूर्वक मध्यस्थ निर्णय के लिये सहमत होने के लिये बाध्य करने के लिये कोई अन्य ठोस उपाय अपनाने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : जिस समय 'बल' शब्द का प्रयोग किया गया, यह स्वेच्छिक मध्यस्थ-निर्णय नहीं रहता। न्यायनिर्णय न होता है। हमें विवादों को न्यायनिर्णयन के लिये भेजने का अधिकार है। हम ऐसा करते भी हैं। विलम्ब को कम करने की दृष्टि से, हमने न्यायनिर्णय के स्थान पर स्वेच्छापूर्वक मध्यस्थ निर्णय का उपबन्ध किया है। यह मामला सर्वथा मालिकों के स्वविवेक के अन्दर है। कुछ प्रगति हो गई है। मैं आशा करता हूं कि हालात और भी बेहतर होंगे।

राज्यों में योजना बोर्ड

+

†*४६१. श्री रिशांग किशिंग :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री री० चं० शर्मा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्ताव किया था कि देश के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को योजना कार्य के लिये एक बोर्ड अथवा समिति बनानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना समितियां अथवा बोर्डों का गठन कर लिया है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) राज्यों के लिये योजना आयोग स्थापित करने के लिये योजना आयोग ने सिफारिश की थी। यह सिफारिश संघ राज्य क्षेत्रों के लिये लागू नहीं हुई।

(ख) बहुत से राज्यों ने प्रस्ताव पर विचार किया था। राज्य योजना बोर्ड नाम के संगठन तीन राज्यों, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में स्थापित किये गये हैं।

†श्री रिशांग किशिंग : इस में संघ राज्य क्षेत्र क्यों शामिल नहीं किये गये ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहां तक संघ राज्यक्षेत्रों का सम्बन्ध है, योजना आयोग स्वयं उनके मामलों के बारे में विचार करता है।

†श्री रिशांग किशिंग : क्या राज्यों ने विलम्ब के कोई कारण बताये हैं, और कब तक सभी राज्यों में इन योजना बोर्डों के स्थापित हो जाने का उपेक्षा की जाती है ?

†प्रो० चे० रा० पट्टाभिरामन : यह कारण बताने का प्रश्न नहीं। वे बहुत से पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और हमें धीरे धीरे एक के बाद एक राज्य से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। कुछ मामलों में जहां बोर्ड बन गये होंगे, हम उनकी स्थापना में मिलने वाली कामियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

†श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इन प्लानिंग बोर्डज़ का काम डिटेल्ज़ वर्क आउट करना होगा या वे बुनियादी बातों की तरफ भी ध्यान देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): दोनों ही चीजें इस में आ जाती हैं।

†श्री विश्वानाथ राय : क्या प्रस्तावित योजना बोर्ड या समितियां तीसरी योजना की समाप्ति से पूर्व कार्य आरम्भ कर देंगे और उनकी मुख्य रूपरेखायें क्या होंगी ?

†श्री नन्दा : ऐसी बात नहीं कि वहां स्थान रिक्त है। राज्यों में अब भी कुछ व्यवस्था है। योजना आयोग की सिफारिश यह थी कि इसे मजबूत किया जाये और कुछ दिशाओं में सुधारा जाये। कुछ राज्यों ने कहा है कि उनकी वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कुछ अन्य राज्य विविध सुझावों पर विचार कर रहे हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : इस समय यह योजना कार्य कैसे किया जा रहा है और इस समय इन बोर्डों और समितियों के बजाये राज्यों में यह काम किस के द्वारा किया जा रहा है ?

†श्री नन्दा : यह काम अधिकतर राज्यों में मंत्रिमंडल की समिति द्वारा किया जाता है जिस का प्रधान मुख्य मंत्री होता है और कई बार इन समितियों के साथ विकास और योजना का काम करने वाले कुछ अफसर होते हैं।

†श्री दी० चं शर्मा : क्या इन बोर्डों के लिये किसी आदर्श ढांचे की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो उन बोर्डों में कौन लोग होंगे ?

†श्री नन्दा : तीसरी योजना के लेख में यह बताया गया है।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि कुछ स्टेट्स में जो प्लानिंग का तरीका है, वह संतोषप्रद है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन स्टेट्स में वह संतोषप्रद है, क्या वहां प्लान के मुताबिक सभी प्रकार के उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

†श्री नन्दा : यह तो बहुत बड़ा सवाल है कि जहां जहां तरक्की हुई है वहां वहां प्लानिंग मशीनरी का क्या सम्बन्ध था। मैं फौरन इसका जवाब नहीं दे सकता हूं।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या प्रतिवर्ष योजना की प्रगति के काम की समीक्षा करने के लिये राज्य योजना बोर्ड के अतिरिक्त और कोई निकाय है ?

†श्री नन्दा : जी हां, यह काम वार्षिक योजनाओं के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर यह काम करता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या राज्यों में ही प्रगति को देखने के लिये ?

†श्री नन्दा : जी हां।

†श्री दाजी : राज्यों के योजना बोर्ड वर्तमान व्यवस्था से कैसे भिन्न होंगे, क्या यह अन्तर आवश्यक माना गया है? कृषक राज्य बोर्ड बनाने से कुछ राज्यों की इनकारी के बारे में केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ?

†श्री नन्दा : यह ठीक से यह विचार करने का प्रश्न है कि किसी राज्य में क्या हो रहा है और क्या वास्तव में पर्याप्त यह है या नहीं। हमने उनको लिखा है। अन्तर यह है कि हमने किसी प्रकार के स्थायी और सादा रहने वाले ढांचे के लिये कहा है, जो सांख्यिकी की जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

करेगा, उस को बढ़ायेगा और दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर विचार करेगें तथा उस काम में बैर सरकारी विशेषज्ञों को भी शामिल करेगा। उस सीमा तक यह काम किया जा रहा है।

†श्री रंगा: इन योजना समिति यों या बोर्डों को जो काम सौंपा गया है, क्या उस का उस काम के साथ समन्वय करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है, जो राज्यों तथा केन्द्र में प्रतिरक्षा परिषदों द्वारा विकसित किया जाना है? क्या इन योजना बोर्डों द्वारा इस काम के लिये कि आककलन समिति ने योजना के बाहर होने वाले व्यय को कम करने के लिये जो कहा है, उसके बारे में क्या कोई प्रयत्न किया जा रहा है।

†श्री नन्दा: आवश्यक प्रतिरक्षा से दायित्व बढ़ता है, इस बात को अब कार्यक्रम बनाते समय ध्यान में रखा जाता है, ताकि अत्याधिक मितव्ययता को जाए और इस बात को सब राज्यों को ध्यान में रखना होता है।

†श्री रंगा: योजनाओं के बाहर व्यय के बारे में क्या है?

†श्री हरिचन्द्र माथुर: क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्यों की वर्तमान व्यवस्था को अपर्याप्त समझकर एक बार पहले यह सिफारिश की थी कि वहां बोर्डों के स्थान पर स्थायी स्वस्थ की योजना आयोग स्थापित किये जाएं? यदि हां, तो विविध राज्यों द्वारा ऐसा न करने के बारे में क्या कारण बताये जा रहे हैं?

†श्री नन्दा: कुछ राज्यों ने बताया है कि उनके मतानुसार उनकी वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। उनमें से कुछ को उस प्रकार के पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं मिलते, जैसे योजना आयोग चाहता है। और भी बहुत सी बातें हैं।

†डा० पं० शा० देशमुख: क्योंकि इन बारह वर्षों से हम इन राज्य बोर्डों के बिना काम चला रहे हैं और चूंकि हम संकट काल में हैं, क्या केन्द्रीय सरकार अब इन नवीन बोर्डों को स्थापित करने के लिये राज्यों को परेशान करने के लिये राज्यों को न कहा जाए?

†अध्यक्ष महोदय: यह कठिनाई का सुझाव है।

†डा० सरोजनी महिषी: देश में प्रचलित संकट काल को देखते हुए क्या योजना बोर्डों या इस प्रकार के किसी संगठन को कोई विशेष हिदायतें दी जा रही हैं?

†श्री नन्दा: जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया था कि इसे विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिये।

†राम नारायन चेड्डियार: क्या राज्यों में योजना बोर्ड स्थापित होने से कोई अतिरिक्त व्यय होगा। क्या यही मुख्य कारण है कि राज्य सरकारें इस विचार के विरुद्ध हैं?

†श्री नन्दा: यह प्रश्न एक राज्य से उठा था। किन्तु उत्तर है कि केवल इसी कारण काफी व्यय नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि अन्यथा इस काम के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

†श्री शिवनंजप्पा: क्या योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये राज्य स्तर पर कोई निकाय है?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: यह बताया जा चुका है। साधारणतया मुख्य मंत्री तथा उनके अधीन काम करने वाले कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं जो इस समय इस का मूल्यांकन करते

†मूल अंग्रेजी में

है। परन्तु हम चौथी योजना की उलझनों और बहुत सी दूसरी चीजों, विशेषकर भावी योजना को देखते हुए इसे अपर्याप्त समझते हैं।

†श्री त्यागी : क्या सरकार ने कुछ योजना आयोग से कुछ विशेषज्ञ को विविध राज्यों का भेजने की संभावना का विचार किया है? इस समय मैं समझता हूं कि योजना आयोग में २२९ अफसर, ५७६ अनुसचिवीय कर्मचारी और २४६ चपरासी हैं।

†श्री नन्दा : योजना आयोग में संदेश वाहक प्रणाली है। निसंदेह इतने संदेशवाहक है। योजना कार्य के विविध पहलुओं और समूचे देश के विकास के पहलुओं पर विचार करते हुए, मैं सभी को पूरी बात बताऊंगा कि क्या किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग फालतू हों। यदि हां, तो वे वहां नहीं होने चाहियें। किंतु यदि सब कार्य करने हों, तो कुछ दिशाओं में मजबूत करने, की जरूरत हो सकती है।

†श्री त्यागी : यह विश्वास करना कठिन है कि वे सब कार्य में व्यस्त हैं।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह योजना आयोग का विस्तार है।

अफ्रीका-एशिया सम्मेलन एकता सचिवालय में काम कर रहे भारतीय

†४६२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका-एशिया एकता सम्मेलन सचिवालय में कितने भारतीय काम कर रहे है तथा वहां पर कितने समय से काम कर रहे है;

(ख) क्या भारत सरकार ने कभी उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले किसी भारतीय प्रतिनिधि-मंडल को आर्थिक सहायता दी थी;

(ग) क्या स सम्मेलन का कोई 'यूनिट' भारत में काम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें कौन व्यक्ति कार्य कर रहे है?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों के एकता संगठन की भारत में कार्य करने वाली शाखा "अफ्रीको-एशियाई एकता की भारतीय संस्था" के नाम से जानी जाती है। अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों के एकता संगठन के काहिरा स्थित सचिवालय में एक भारतीय सचिव है जो कि वहां २२ अप्रैल, १९६१ से कार्य कर रहा है। इस वर्तमान कर्मचारी से पूर्व भी, १९५८ से १९६० तक स्थायी सचिवालय में एक भारतीय कार्य करता रहा है।

२. अफ्रीको-एशियाई राष्ट्रों के एकता संगठन द्वारा बुलाये गये विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने वाले किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को किसी भी समय सरकार ने कोई आर्थिक सहायता नहीं दी।

३. अफ्रीको-एशियाई एकता की भारतीय संस्था के दिसम्बर १९६० में बम्बई में हुए तृतीय सम्मेलन में चुने गये पदाधिकारियों के नामों की सूची नीचे दी गई है :—

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति : श्रीमती रामेश्वरी नेहरू

उप-सभापति : श्री मथुरा दास माथुर
श्रीमती अरुणा आसफ अली
श्री ब्रह्म प्रकाश
श्री एस० एस० मिराजकर
श्री नौशर अली
श्री दरबारा सिंह
पं० ओंकारनाथ ठाकुर
श्री आर० के पटेल
डा० सैयद मुहम्मद
श्री के० सुब्रह्मण्यम
श्री ी० ए० दलाल

महासचिव : डा० अनूप सिंह

संयुक्त महासचिव : श्री एम० गोविन्द रेड्डी

कार्यालय सचिव : श्रीमती पेरिन रोमेश चन्द्रा
श्री मो० पा० पालीवाल

कार्यकारिणी समिति ीवान चमन लाल
के सदस्य : श्री हर्ष देव मालवीय
श्रीमती लिट्टू घोष
श्री ए० के० गोपालन
श्री ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री रावारमण
श्री रोमेश चन्द्र
मेजर जनरल एम० एस० ोखे
पं० सुन्दर लाल
श्री ए० एस० आर० चारी

†डा० लक्ष्मी मल्ल िंघवी : यह बताया गया है कि उन सम्मेलनों में भाग लेने वाले किसी भारतीय प्रतिनिधि को आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सरकार द्वारा इस संगठन को धनेतर सहायता या मान्यता किस मात्रा तक ी गई है?

†श्री दिनेश सिंह : लोगों को यात्रा लेख दिये गये थे और उन्हें कुछ प्रकार की सामग्री भी ी गई है।

†डा० लक्ष्मी मल्ल िंघवी: क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस निकाय के पूर्ववृत और गठन की जांच की है? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संगठन के सम्मेलनों

---

†मूल अंग्रेजी में

में भारत के प्रतिनिधियों को जाने देना जारी रखने का है ।

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सामान्यतया, सरकार इस प्रकार के सम्मेलनों में प्रतिनिधियों को जाने की अनुमति देती है । वास्तविक प्रश्न विदेशी मुद्रा या किसी दूसरे व्यय का है । इस मामले में, दूसरे मामलों की तरह यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सरकार कोई विदेशी मुद्रा या कोई व्यय नहीं देगी । इसके पश्चात् कुछ लोगों की एक सूची दी गई थी । वे अफरीकी-एशियाई एकता सम्मेलन की भारतीय शाखा थी । उन में से अधिकांश लोगों के पास पासपोर्ट थे । मुझे पक्का पता नहीं कि आया उनको किन्हीं और पासपोर्टों की जरूरत थी । इन परिस्थितियों में हमने सोचा कि वे वहां पर चीन के साथ इस झगड़े के बारे में भारतीय दृष्टिकोण को अच्छी तरह रख सकेंगे, क्योंकि मोशी सम्मेलन में, इसको शुरू करने वालों के अतिरिक्त, और भी बहुत से महत्वपूर्ण अफरीकी नेता आये थे ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफरीकी एशियाई एकता सम्मेलन में प्रमुख रूप से चीन का प्रभुत्व है, सरकार ने भारत में इस सम्मेलन की शाखा की गतिविधियों की निगरानी रखने के लिये क्या कार्रवाई की है और क्या उनकी कार्रवाइयों के लिये यहां उनके विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई है ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : हमें मालूम नहीं कि किस खास कार्रवाई के लिये कार्रवाई की जरूरत होती है । स्वभावतः साधारण तौर पर विविध गतिविधियों के बारे में कुछ सूचना प्राप्त हुई है । जहां तक इस सम्मेलन का सम्बन्ध है, उनके बारे में बुरी सूचना नहीं मिली ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मोशी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को देश के प्रति अपमान के अतिरिक्त, भारत-चीन सीमा विवाद के सम्बन्ध में कुछ प्राप्ति नहीं हुई ....

†श्री ह्री० ना० मुकर्जी : एक औचित्य प्रश्न है । आज माननीय सदस्य बहुत समय से जिस विशिष्ट प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार यह प्रश्न का एक भाग माना जाता है । क्या इस प्रकार की भूमिका प्रश्न के पहले आनी चाहिये ....

†श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न पूरा होने से पहले ही औचित्य प्रश्न आ गया है । यह आप की शक्तियों और सदस्यों के विशेषाधिकारों का भंग करना है ।

†अध्यक्ष महोदय : कृपया तशरीफ रखें । बहुत से सदस्य अपने प्रश्नों से पहले भूमिका देते रहते हैं । अतः औचित्य प्रश्न नहीं उठता । मैं सदा इसे अपवाद मानता हूं । परन्तु देखना यह पड़ता है कि क्या इससे प्रश्न समझा जाने योग्य बनता है या नहीं । केवल उठने की ही अनुमति दी जाती है जिससे प्रश्न समझ में आ जाए । उससे अधिक की अनुमति नहीं दी जा सकती । अतः माननीय सदस्यों को सीधा प्रश्न ही पूछना चाहिये, अनावश्यक भूमिकाओं या बयानों को रोकना चाहिये क्योंकि प्रश्न काल में इस सत्र में प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें । प्रश्न काल में १०० औचित्य प्रश्नों में से ९९ असंगत होते हैं । जब अनुपूरक जा रहा हो, क्या औचित्य प्रश्न उठाया जा सकता है ? जब कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठाता है तो मुझे नियमों के अधीन उसकी बात सुननी पड़ती है और अन्त में वह औचित्य प्रश्न नहीं होता । माननीय सदस्यों को स्वयं संयम रखना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री० अणे** : क्या प्रश्न पूरा होने से पहले उसके बारे में औचित्य प्रश्न उठाया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा लिया जाने वाला बहाना देता है। वह समझते थे कि क्या होने वाला है और यह उस पर आपत्ति करते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं अपना प्रश्न अधिक अच्छी तरह समझा जाने योग्य बनाने के लिये ऐसी भूमिका जोड़ता हूं। मैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता हूं "भारत में कितनी स्त्रियां विवाहित हैं ?"

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अनावश्यक भूमिका को भी आवश्यक समझ सकते हैं। यही तो कठिनाई है। वह सीधा प्रश्न पूछ लें।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने मोशी सम्मेलन में गये भारतीय प्रतिनिधियों से वहां की स्थिति के बारे में यथार्थ बातें पूछीं और सरकार ने जो काम उनको सौंपा था, वे उसमें कहां तक सफल रहे ? जैसा कि प्रधान मन्त्री ने अभी बताया है, इसे प्रधान मन्त्री का आशीर्वाद भी प्राप्त था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: माननीय सदस्य के प्रश्न इतने गहरे होते हैं कि मेरा मस्तिष्क उनके बीच में चक्कर काटने लगता है। उसमें बहुतेरे यदि और परन्तुक तथा आरोप होते हैं कि मैं नहीं समझ सकता कि वह क्या कहना चाहते हैं। इसी प्रश्न में कितने ही आरोप हैं वह अपना मत व्यक्त कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने प्रतिनिधियों से पूछा है कि क्या वे अपने कार्य में कुछ सफलता प्राप्त कर सके हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने कहा है, कि इस बात की दृष्टि से कि वे सर्वथा अफसल रहे हैं, क्या ये चीजें असफल रही हैं या नहीं। इस प्रकार का प्रश्न पूछना असाधारण बात है। इस प्रश्न में किया गया आरोप सर्वथा गलत और अनुचित है। वे असफल नहीं रहे। उन्होंने वहां जाकर कुछ अच्छा काम ही किया है।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने संकल्पों में कुछ शर्तों के साथ पास किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि माननीय सदस्य इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं वह किसी दूसरे समय कर सकते हैं। इस मामले में विविध क्षेत्रों हमारे मिशनों और अन्य लोगों से, मिशन के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों से इस मामले में जांच करने के पश्चात् हम देखते हैं कि स्थिति बहुत कुछ भिन्न होती यदि वे लोग वहां न जाते तो हमारे लिये अधिक बुरी स्थिति ही होती।

सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की राजनयिक नियुक्तियां

†*४६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को (१) स्थायी तौर पर, तथा (२) अस्थाई तौर पर, राजनयिक नियुक्तियों पर विदेश भेजा गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या संसद्-सदस्यों की सेवाओं का उपयोग किया गया है अथवा करने का विचार है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) गत दो वर्षों में ११ सरकारी तथा ३ गैर-सरकारी व्यक्ति भारत से राजदूत बना कर भेजे गये थे। इस प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः तीन वर्ष के लिए होती हैं।

(ख) जी हां।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि सरकार इन राजनयिक नियुक्तियों को अधिकांशतः सरकारी कर्मचारियों से ही भरती है तथा क्या उनको गैर-सरकारी व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति नहीं मिलता है और यदि हां, तो इसको जारी न रखने के लिए उन्होंने क्या किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है परन्तु प्रायः ऐसे लोग असफल रहे हैं क्योंकि उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाता है जबकि वह योग्य व्यक्ति होते हैं। भाषा, जिस देश में वह गए हों उस देश का इतिहास आदि के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और विदेशी सेवा इसी कार्य के लिए बनाई गई है। अधिकांशतः बड़े देशों में भी सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है जबकि आरम्भ में उन्होंने ऐसा किया था। अनुभव के अनुसार इसको सीमित बनाया गया है और कुछ मामलों में ऐसा किया जाता है। हमने विदेश सेवा, एक प्रशिक्षित सेवा इसी-लिए बनाई है। यह कहने से मेरा यह मतलब नहीं है कि यह सभी लोग बड़े योग्य होते हैं परन्तु यह अपना बड़ा ऊंचा स्तर बनाते हैं। विश्व की राजनयिक सेवा में हमारी विदेश सेवा की बड़ी प्रतिष्ठा है। जब हम गैर सरकारी व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं तब उनको भी प्रशिक्षित किया जाता है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों को जो भाषा आदि न जानता हो भेजने से बड़ी कठिनाई प्रायः हो जाती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जैसा कि प्रधान मन्त्री ने अभी बताया कि गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं मिलता है तो क्या इन १७ वर्षों में ऐसा कोई ठोस कार्य किया गया है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों का विकास किया जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब तक गैर-सरकारी व्यक्ति को सेवा में रख कर प्रशिक्षित करके सरकारी न बनाया जाये तब तक उसका विकास किस प्रकार होगा यह मैं नहीं समझा।

†**श्री हरी विष्णु कामत** : हमारे दूतावासों में लगभग कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारी तथा कितने प्रतिशत गैर सरकारी कर्मचारी हैं तथा अन्य देशों के दूतावासों से इनकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : दूतावासों में ३६ सरकारी तथा १३ गैर-सरकारी राजदूत हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अन्य देशों से इनकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : अपनी प्रथा, पद्धति आदि के अनुसार उनमें अन्तर होता है। परन्तु यह काफी आंकड़े हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार का यह अनुभव नहीं है कि इन राजनयिक राजदूतों के प्रविधिक पहलू के अतिरिक्त राजनयिक पहलू का भी बड़ा महत्व होता है और सरकारी कर्मचारी के भाषा प्रोटोकोल आदि की दक्षता रखते हुए भी राजनैतिक बातें पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार का भी ऐसा ही अनुभव है। सामान्यतः राजदूतों की सहायता गैर-सरकारी व्यक्ति करते रहते हैं जो समय समय पर वहां जाते रहते हैं। परन्तु जैसा कि मेरे साथी ने अभी बताया कि सेवा में १३ गैर सरकारी व्यक्ति हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सभी देशों में इनको रखना सफल नहीं हो पाया।

†श्री हरी विष्णु कामत : क्या सफल नहीं हुआ ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजना।

†श्री रा० शि० पाण्डेय : सरकारी क्या गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति के अतिरिक्त क्या उनको विभिन्न देशों से शिष्टमण्डल भेजने के आमन्त्रण मिले हैं परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हम उनको भेज नहीं पाये ?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है।

एवरो--७४८

†*४६५. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एवरो-७४८ विमान के निर्माण के बारे में कोई और आगे प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) कानपुर में बना हुआ पहला विमान एवरो--७४८ (मुन्नार) जो नवम्बर, १९६१ में उड़ाया गया था, ने २५० घंटे का उड़ान काल पूरा किया। दूसरा विमान शीघ्र ही उड़ने की आशा है। अगले पांच विमान का निर्माण हो रहा है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरा विमान उड़ चुका है तथा ४५ मिनट तक उड़ता रहा और सफलतापूर्वक उड़ता रहा।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस विमान पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई तथा इसकी पहले विमान से किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

†श्री रघुरामैया : हमें आशा है कि यह लाभ की ओर ही होगी।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह किसी विदेश के सहयोग से बनाया गया है अथवा हमने स्वयं बनाया है ?

†श्री रघुरामैया : यह मैसर्स हाकर सिडले एविएशन, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है।

†श्रीमती शारदा मुकर्जी : जब पहला विमान उड़ा था तब कुछ समाचार पत्रों में यह बताया गया था कि इसकी उड़ान अपेक्षित रूप से कम है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या दूसरे विमान में कोई सुधार हुआ है, यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : मैं यह समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि पहला विमान आशानुकूल नहीं था। उसकी उड़ान आशानुकूल थी। यह कई दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में गया था तथा इसकी वहां पर बड़ी सराहना हुई थी।

†श्री र० ब० बरूआ : मेरा प्रश्न पहले विमान की तुलना में दूसरे विमान में लगी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में था।

†श्री रघुरामैया : दोनों में अधिक अन्तर नहीं है।

इराक से सम्बन्ध

†*४६६ + श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० क० देव :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ फरवरी, १९६३ को इराक में सेना द्वारा सरकार का तख्ता पलट दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इराक में किसी भारतीय की धन-जन की हानि हुई ; और

(ग) क्या सत्ता बदल जाने के कारण इराक-भारत सम्बन्धों में कोई परिवर्तन आया है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्राप्त समाचारों के अनुसार किसी भारतीय की जन-धन की हानि नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं। दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि नई ईराक़ की सरकार को स्वीकृति देने में भारत सरकार को देरी हुई है, यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : देरी नहीं हुई है बिल्कुल जाब्ते से जो हमारे पास उनकी तरफ से सूचना आई, पूछा गया हम से, हम ने उसका जवाब दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखत उत्तर

विशेष धातुमिश्रित स्पात संयंत्र

†*४५२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कानपुर में विशेष धातुमिश्रित इस्पात सन्यन्त्र स्थापित करने का अन्तिम निश्चय हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सन्यन्त्र की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) १२ नवम्बर, १९६२ को सभा को बता दिया गया था कि सरकार ने प्रतिरक्षा क्षेत्र में धातुमिश्रित तथा विशेष इस्पात सन्यन्त्र की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।

परिवर्तित परिस्थितियों के कारण, सरकार इस परियोजना की जांच कर रही है तथा आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

फौजी यूनिटों 'में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन '

*४६७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वर्षों पहले फौजी यूनिटों में जो 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' आरम्भ किया गया था, क्या वह अभी भी चालू है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें अब तक कहां तक सफलता मिली है ; और

(ग) इस आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की योजनाओं के सम्बन्ध में में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इसके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है, और जभी प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गोआ में श्रम विधियां

†*४६८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में सभी श्रम विधियां लागू कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) २२ नवम्बर, १९६२ को एक विनियमन की घोषणा की गई है जिसके अनुसार छः अत्यावश्यक श्रम विधियां गोआ, दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू कर दी गई थीं :

(१) भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ ;

(२) औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, १९४६ ;

(३) औद्योगिक विवाद अधिनिमम, १९४७ ;

(४) कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ ;

(५) मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३७ ; और

(६) खान अधिनियम, १९५२ ।

यह कहा जाता है कि संघ राज्य क्षेत्रों में यह अधिनियम लैफ्टीनेंट गवर्नर की अधिसूचना पर लागू होंगे । लैफ्टोनेंट गवर्नर ने उपरोक्त तीनों विधियों को १९ दिसम्बर, १९६२ को लागू कर दिया है । शेष विधियां इसलिए लागू नहीं की गई हैं क्योंकि उनको लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाहियों की कमी है । परन्तु गोआ प्रशासन बाकी विधियों को लागू करने के लिए प्रबन्ध कर रहा है ।

एम० ई० एस० कर्मचारी बीकानेर

†२७४. श्री कर्णी सिंह जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० बीकानेर यूनिट (राजस्थान) के कर्मचारियों ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अपनी बकाया राशि के भुगतान न किये जाने के बारे में अपनी प्रतिनिधि समिति द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों को कोई अभ्यावेदन भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कुल कितनी राशि मांगी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) एम० ई० एस० बीकानेर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या ५६ थी जिनका वेतन प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक (पुनरीक्षित वेतन) नियम १९६० के अधीन निर्धारित किया जाना था तथा उसके परिणामस्वरूप बकाया राशि दी जानी थी । सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को बकाया राशि में से कुछ अग्रिम धन दे दिया गया है । ३६ मामलों में वेतन निर्धारित कर दिया गया है तथा बकाया राशि के समायोजन का काम पूरा कर लिया गया है । शेष २० मामलों में स्थिति इस प्रकार है :—

(१) वेतन निर्धारित कर दिया गया परन्तु बकाया राशि का समायोजना पूरा नहीं हुआ	१२
(२) वेतन अभी निर्धारित किया जाना है . . .	८

इन मामलों को शीघ्रता से अन्तिम रूप दिए जाने के लिए उपाय किये गये हैं ।

(ग) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय वायु सेना के केनबरा की दुर्घटना

†८७५. श्री बिशन चन्द्र सेठ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १२ नवम्बर, १९६२ के अतरांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु मुख्यालय द्वारा जांच न्यायालय के प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा कर लिया गया है तथा उसे सरकार को भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) जांच न्यायालय के ब्योरे और सिफारिशें क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) विरचन उड़ान का नेतृत्व करने वाले वायुयान के चालक को बता दिया गया कि कमान के मुख्य ए० ओ० कमांडर उनसे अप्रसन्न हैं।

(ग) जांच न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि :

(१) वायुयान उड़ान के लिये बिल्कुल ठीक था ;

(२) चालकवृन्द अभ्यास के लिये पूर्णतः सक्षम था ;

(३) वायुयान में सामान ठीक से लदा था तथा उड़ान के बारे में ठीक से समझा दिया गया था और वह प्राधिकृत थी ;

(४) दुर्घटना का मुख्य कारण यह था कि वायुयान के चालक ने ऊपर उठने की अपने नेता की आज्ञा का पालन नहीं किया जिसकी बहुत बड़ी संभावना है कि शायद उन्होंने सुना न था ;

(५) दुर्घटना का एक दूसरा कारण खराब मौसम था ;

वायुयान का चालक अनजाने में कुहरे में घुस गया और अपनी दाईं ओर के ऊंचाव से दूर रहने के लिये उसने बांई ओर मुड़ने का प्रयत्न किया परन्तु मुड़ते समय उसे ऊंचाई का ध्यान न रहा और दुर्घटना हो गई ; ऊपर उठने का निर्णय बाद में किया गया था।

न्यायालय ने विरचन उड़ान के नेता को दुर्घटना के लिये परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया है क्योंकि उसने वर्तमान सी-सी परिस्थितियों में ऊपर उठने का निर्णय देर से लेकर अन्दाजे की गलती की थी। न्यायालय ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(१) विरचन उड़ाने के नेता के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाये ;

(२) केन्बरा वायुयान की ३३,०५,००० रुपये की लागत की सर्विस सम्पत्ति तथा मारे गये दोनों अधिकारियों द्वारा पहने गये उड़ान के वस्त्रों की लागत बट्टे खाते में डाल दी जाये ।

(३) जहां तक संभव हो सके स्क्वाड्रन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को इस प्रकार अनुसूचित किया जाय जिससे कि वर्षा ऋतु में निचले स्तर पर उड़ान अभ्यासों से बचा जा सके।

---

†तूल अंग्रेजी में

जनरल स्टोर्ज (इंस्पेक्शन डिपो) दिल्ली में पाये गये बटन

†८७६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल स्टोर्ज इंस्पेक्शन डिपो, दिल्ली में प्लास्टिक के ऐसे बटन बहुत बड़ी मात्रा में पाये गये थे जिनका कि कोई हिसाब न था ;

(ख) क्या विशष पुलिस संस्थापन द्वारा की गई जांच से यह बात प्रबन्धकों के ध्यान में आई थी ;

(ग) क्या जनवरी, १९६३ में इस बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आई० जी० एस०, नई दिल्ली में, स्टोर्ज के बाहर ५,०००·०० रुपये के मूल्य के बटन पाये गये थे।

(ख) और (ग) जी हां ।

(घ) मामला जांच के लिये विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया गया है।

भविष्य निधि में अंशदान

†८७७. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और उद्योगों ने भी भविष्य निधि अंशदान ६ $^{1}/_{4}$ से ८ प्रतिशत तक बढ़ा कर देना मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से उद्योग हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). सीमेंट उद्योग में पचास या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले कारखानों में अंशदान की दर १ अप्रैल, १९६३ से बढ़ा कर ८ प्रतिशत कर दी गई है। इससे पहले बढ़ी हुई दर निम्नलिखित उद्योगों में लागू की गई थी :—

(१) सिगरेट ;

(२) बिजली के, यान्त्रिक अथवा सामान्य इंजीनिरिंग उत्पाद ;

(३) लोहा और इस्पात ; और

(४) कागज, हाथ से बने कागज के अतिरिक्त।

बेसिक जेट ट्रेनर वायुयान

†८७८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २९ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि बेसिक जेट ट्रेनर वायुयान के निर्माण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : बेसिक जेट ट्रेनर के प्रथम आद्यरूप के चालू वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी

†८७९. श्री शी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के बन्दोबस्त विभाग के ६ कर्मचारी २६ नवम्बर, १९६२ को पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अपहृत कर लिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्हें अपहृत किया गया था तथा उनकी मुक्ति के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) २६ नवम्बर, १९६२ को लगभग ११-३० बजे पूर्वी पाकिस्तान रायफल्स के कुछ कर्मचारी चकपुर-चारा (भारत) के समीप त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा से भारतीय प्रदेश में घुस आये और त्रिपुरा प्रशासन के सर्वेक्षण और बन्दोबस्त विभाग के आठ चपरासियों को, जो सर्वेक्षण कार्य में लगे हुये थे, अपहृत करके ले गये । अपहृत व्यक्तियों को पूर्व पाकिस्तान में लोगांग कैम्प में निरुद्ध किया गया था । दो दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया था ।

त्रिपुरा प्रशाशन और ढाका में भारत के उप-उच्चायुक्त दोनों ने पूर्व पाकिस्तान सरकार से विरोध किया है परन्तु अभी तक कोई उतर नहीं मिला है ।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का अतिक्रमण

†८८०. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में काश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा युद्ध-विराम रेखा का अतिक्रमण करने के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ख) ऐसी घटनाओं के बार बार होने को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) २८ फरवरी, १९६३ को समाप्त होने वाले छः महीनों में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रखा सीमा का अतिक्रमण करने के १८६ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ।

(ख) हमारी ओर से युद्ध-विारम रेखा सीमा की रक्षा के लिये सभी संभव उपाय किये जाते हैं । पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से युद्ध विराम समझौते के उल्लंघनों को पाकिस्तान सरकार को रोकना चाहिये । तथापि, हम अनवरत देख रेख करते हैं और जब उल्लंघन होता है तो हम उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षेकों को शिकायत करते हैं जो जांच पड़ताल करते हैं और अपने निष्कर्ष बताते हैं । जहां आवश्यकता पड़ती है पाकिस्तान सरकार से विरोध भी किया जाता है ।

औद्योगिक श्रमिकों की दशा का सर्वेक्षण

†८८१. श्री प्र० चं० चक्रवर्ती : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमकों द्वारा की जाने वाली बचत के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिये सरकार ने उपाय किये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या श्रमिकों की ऋण ग्रस्तता तथा जहां से वे ऋण लेते हैं उन स्रोतों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) क्या मजूरी में वृद्धि होने से श्रमिकों के रहन सहन के स्तर पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). भारत सरकार ने १९५८–५९ की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों में एक परिवहन रहन-सहन सर्वेक्षण किया था और राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण निदेशालय ने अन्य चीजों के साथ साथ श्रमिकों की ऋण ग्रस्तता, बचत और आस्तियों के बारे में आंकड़े एकत्रित किये थे। भारतीय सांख्यकी संस्था से सारणीबद्ध सामग्री मिलने पर प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) मजूरी के बढ़ने से श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव का अध्ययन करने के लिये कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, १९५६ में बम्बई में चुने हूये ६ यूनिटों में मजूरी में वृद्धि होने के परिणामों का एक संक्षिप्त सामान्य अध्ययन किया गया था तथा भारतीय श्रम सूचना पत्र के अक्तूबर, १९५९ के अंक में इस जांच का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था।

रायपुर के आकाशवाणी केन्द्र

†८८२. श्री रघुनाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर, मध्यप्रदेश, में आकाशवाणी केन्द्र के लिये एक पारेषक स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख) रायपुर में २० किलोवाट मीडियम वेव वाला एक पारेषक लगाने का काम हो रहा है और १९६३–६४ के आरम्भ में ही उसके लग जाने की संभावना है।

बिहार में आकाशवाणी के कर्मचारी

†८८३. श्री मरंडी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६३ को बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले आकाश वाणी के कर्मचारियों और कर्मचारी कलाकारों की संख्या क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : १ जनवरी, १९६३ को बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों और नियमित कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	कुल
कर्मचारी कलाकार	२	५	७
नियमित कर्मचारी	२९	१६	४५
कुल	३१	२१	५२

†भूल अंग्रजी में

लोक सहायक सेना शिविर

†८८४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सहायक सेना अधिनियम, १९५८ की धारा ४ के अनुसार १९६२–६३ में पंजाब राज्य में अभी तक कितने शिविर लगाये गये हैं और वे किन स्थानों पर लगाये गये; और

(ख) विभिन्न प्रान्तीय शिविरों में भर्ती किये गये स्वयंसेवकों की कुल संख्या क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण** (क) १ अप्रैल, १९६२ से निम्नलिखित स्थानों पर ८ साठ दिवसीय और ४ पन्द्रह दिवसीय शिविर अब तक लगाये गये हैं :—

६० दिवसीय शिविर	१५ दिवसीय शिविर
फतेहाबाद	शाहकोट
बालाचौर	पालमपुर
बुल्होवाल	अल्हीलाल
डेरा गोपीपुर नादौन	कपूरथला
मुरथाल	
गुरुसर साधर	
मोहिन्द्रगढ़	
फतेहगढ़ साहेब	

(ख) इन शिवरिों में प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की प्रान्तवार संख्या नीचे दी गई है :—

प्रान्त	प्रशिक्षित संख्या
हिसार	४९१
होशियारपुर	९३७
जालन्धर	४५५
कांगड़ा	१३८५
कपूरथला	४९०
करनाल	५१४
लुधियाना	५१२
मोहिन्द्रगढ़	५१७
पटियाला	५१८
कुल	५,८१९

हज यात्री

†८८५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भारत से हज यात्रियों की कुल संख्या क्या है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या हज यात्रियों को कोई विशेष सुविधायें दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ।

(क) १९६१ . . . . . २१,०३७

१९६२ . . . . २१,०८४

(ख) हां ।

(ग) ब्योरा निम्नलिखित है :

हज यात्रियों को पत्तन हज समिति, बम्बई द्वारा यात्रा-पत्र बिना किसी मूल्य के दिये जाते हैं । उन्हें सरकारी तथा म्यूनिसिपल अस्पतालों और औषधालयों में चेचक और हैजे के टीके लगाये जाते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं ।

भारत सरकार यात्रियों को हज्जाज में उनके प्रयोग के लिये खाद्यान्न, चीनी, दालें, घी, कपड़े तथा कुछ और आवश्यक वस्तुयें साथ ले जाने देती है । बाहर खर्च के लिये उन्हें विदेशी मुद्रा की भी अनुमति होती है । इस वर्ष उन्हें १००० रुपये प्रति व्यक्ति विदेशी मुद्रा की अनुमति होगी । उन्हें जाने से पहले आय-कर शोधन या विमुक्ति प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता से भी मुक्त कर दिया गया है । मक्का में स्थित एक डाक्टर और दो कम्पाउंडरों वाले एक स्थायी चिकित्सा औषधालय के अतिरिक्त हज के समय पांच डाक्टरों और पांच कम्पाउंडरों (जिनमें एक लेडी डाक्टर और एक लेडी कम्पाउंडर होती हैं) का एक चिकित्सा शिष्टमंडल हज्जाज भेजा जाता है । इस समय यात्रियों की सहायता के लिये हज्जाज में पांच स्वयंसेवकों/कल्याण अधिकारियों का एक दल भी प्रतिनियुक्त किया जाता है । भारतीय दूतावास द्वारा एक चलता-फिरता चिकित्सा-वाहन रखा जाता है । इस वर्ष दो और चलते-फिरते चिकित्सा-वाहन भेजे जा रहे हैं ।

लद्दाख और नेफा में सड़कें

८८६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती प्रदेशों, खासकर लद्दाख और नेफा में सड़कों के निर्माण की गति को तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक संख्या में इंजीनियरों के मिलने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या उपाय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सीमा सड़कों के निर्माण का काम सभी प्राप्य अभिकरणों को दिया गया है, अर्थात् राज्य तथा केन्द्रीय सी० पी० डब्ल्यु० डी० को, और अति दुर्गम तथा अग्रिम क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए एक विशिष्ट संस्था बनाई गई है । आवश्यक, विशिष्ट मशीनरी, साज-सामान तथा भंडार जुटा लिये गये हैं, और कार्य तथा गणन प्रक्रिया को सुगम बना लिया गया है । समय समय पर बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्य में प्रगति का पुनरीक्षण किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) शुरू शुरू में बोर्ड के लिए आवश्यक संख्या में असैनिक तथा मकेनिकल इंजीनियर जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। असैनिक इंजीनियरों के बारे में इस समय स्थिति सन्तोषजनक है। तदपि मकेनिकल इंजीनियरों के सम्बन्ध में अब भी कुछ कमी है।

(ग) असैनिक तथा मकेनिकल इंजीनियर प्राप्त करने के लिए निम्न पग उठाये गये हैं :—

(१) सुवाही प्रक्रिया के अधीन संघ-लोक-सेवा आयोग द्वारा भर्ती।

(२) ऐसे उम्मीदवारों के लिए, जो डिपलोमा प्राप्त हों और पर्याप्त व्यवहारिक अनुभव रखते हों द्वितीय श्रेणी राजपत्रित सेवा का निर्माण।

(३) सभी राज्य सरकारों को कहा गया है, कि वह अपने कर्मचारियों को सीमा-सड़क-संस्था में डिपुटेशन पर आने दें।

(४) मुख्य इंजीनियरिंग कालिजों के प्रिन्सिपलों को निवेदन।

आसाम का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†८८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र परिषद् ने आसाम का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण हाल ही में पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजन उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र परिषद् द्वारा प्रकाशित आसाम के प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के अध्याय १३ में निष्कर्षों और सिफ़ारिशों का सारांश दिया हुआ है।

पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों के लिये अतिरिक्त धन

†८८८. **श्री हेम राज** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३-६४ में पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों के सुधारने और बनाने के लिये तथा पंजाब के पर्वतीय स्थलों के विकास के लिये पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्राम्बे में सुपर-फासफेट का तैयार किया जाना

†८८९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे स्थित अणुशक्ति संस्थापन ने रेडियमधर्मी समस्थानिक[1] से पहली बार सुपर-फासफेट तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Radio active isotope.

(ग) १९६१ और १९६२ में आयात किये गये यौगिक[१] की मात्रा कितनी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां ।

(ख) यौगिक को उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है परन्तु कृषि अनुसन्धान में मुख्यत: पौधों द्वारा खाद देने और पोषक वस्तुओं के उद्ग्रहण की छानबीन करने के काम में लाया जाता है । इसलिये इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता । अनुसन्धान के उद्देश्य के लिये जितनी मात्रा चाहिये वह ट्राम्बे संस्थापन द्वारा तैयार की जा रही है ।

(ग) क्योंकि अणु शक्ति अधिनियम, १९६२ के लागू होने से पहले ऐसे यौगिकों का बिना किसी प्रतिबन्ध के आयात करना संभव था, आयात के ठीक ठीक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक

†८९०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी १९६३ में औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य देशनांक क्या हैं ; और

(ख) १९६२ और १९६१ के पूर्ववर्ती महीनों तथा तदनुरूप महीने (अर्थात् फरवरी) के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कहां तक बढ़े अथवा कम हुए हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) जनवरी और फरवरी १९६३ के लिये अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । दिसम्बर १९६२ के लिये (आधार १९४९-१००) अन्तिम आंकड़ा १३१ था ।

(ख) पिछले दो वर्षों (१९६० और १९६१) के पूर्ववर्ती दो महीनों (अक्तूबर और नवम्बर) तथा तदनुरूप महीने (दिसम्बर) के आंकड़ों की तुलना में वृद्धि अथवा कमी की प्रवृत्तियों के बारे में नीचे दिये विवरण से पता चलेगा :—

	अखिल भारतीय सामान्य उपभोक्ता मूल्य देशनांक के आंकड़े (आधार : १९४९-१००)		
	१९६२	१९६१	१९६०
अक्तूबर . .	१३४	१२८	१२५
नवम्बर . .	१३३	१२८	१२४
दिसम्बर . .	१३१	१२८	१२४

भारतीय युद्धबन्दियों को पत्र लिखने की सुविधा

८९१. { **श्री रामसेवक यादव** :
श्री उटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने चीन में विद्यमान भारतीय जवानों को, जो अभी तक बन्दी बने हुए हैं ; भारत में अपने सम्बन्धियों को पत्र लिखने की सुविधा प्रदान की है ;

---

[१]Compound.

†मूल अंग्रेजी म

(ख) क्या इस सुविधा पर किसी प्रकार की कोई शर्त लगा दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह शर्त यह है कि वे अपने सम्बन्धियों को केवल भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी या किसी प्रादेशिक भाषा में ही पत्र लिख सकते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) चीनी रेडक्रास सोसाइटी ने बताया है, कि भारतीय युद्ध बन्दियों को अपने संबंधियों को पत्र लिखने की सुविधा दी गई है । यह भी पता चला है, कि चीनियों के हाथों में युद्ध बन्दियों में से, कईयों से, उनकी पत्नियों और अन्य बांधवों को पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) तथा (ग) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

वायु सेना का विस्तार

†८९२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के विस्तार के लिये किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) चऔर (ख) वायु सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये विभिन्न उपायों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है । उनकी क्रियान्विति बहुत कुछ उस सहायता पर निर्भर करती है जो हम मित्र देशों से प्राप्त कर सकते हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है । इन ब्योरों को प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

सेना का विस्तार

†८९३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के विस्तार के लिये नियमित तथा रक्षित दोनों, किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख). हमारे संसाधनों के अनुरूप सेना का विस्तार हो रहा है । इस विस्तार की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) थोड़े समय में अधिकारियों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि नागरिकों को जिनमें केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अस्थायी और स्थायी कर्मचारी तथा नियमित और प्रादेशिक सेना के कर्मचारी सम्मिलित हैं, आपातकालीन आयोग दिये जायें ।

(२) संकटकाल के लिये अधिकारियों की विशेष सूची पदाली की संख्या को बढ़ा दिया गया है ।

(३) चार अतिरिक्त शाखा भर्ती कार्यालय तथा १५ उपभर्ती कार्यालय खोले गये हैं तथा वर्तमान शाखा भर्ती कार्यालयों में से कुछ का विस्तार कर दिया गया है ।

(४) यह निर्णय किया गया है कि रिसालदारों/सूबेदारों तथा जमादारों को, यदि वे सभी प्रकार से योग्य हों, सेवाकाल पूरा कर लेने के बाद भी नौकरी में रहने दिया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) भूतपूर्व कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों/अन्य सैनिकों, नियमित सेना में नामांकित, नौकरी से अथवा रक्षित सेना से निकाले गये अयुद्धकारी लोगों को थोड़े थोड़े समय के लिये फिर से नौकरी में लिये जाने अथवा पुनः नामांकित किये जाने के लिये पात्र बना दिया गया है ।

(६) दो अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं (एक मद्रास में और दूसरा पूना में) तथा भारतीय सेना अकादमी, देहरादून, का विस्तार कर दिया गया है ।

(७) नौगांग (मध्य प्रदेश) के सेना केडेट कालेज की क्षमता बढ़ा दी गई है ।

(८) प्रादेशिक सेना में भर्ती को बढ़ाने के लिये खंडीय प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

किरिबुरु लोह अयस्क परियोजना में विधि और व्यवस्था में हुई अव्यवस्था

†**श्री ह० च० सोय** (सिंहभूम) : मैं किरिबुरु आयरन और परियोजना में विधि और व्यवस्था में हुई भयंकर अव्यवस्था की ओर जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का सामान्य काम बन्द हो गया, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : आप की अनुमति से मैं खान और ईंधन मंत्री की ओर से सभा को बताना चाहता हूं . . .

†**कुछ माननीय सदस्य** : प्रभारी मंत्री और उपमंत्री में से कोई भी यहां नहीं है ।

†**श्री हजरनवीस** : उपमंत्री तो कोई है ही नहीं और मंत्री महोदय कलकत्ता इसी काम से गये हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है वे वक्तव्य दें ।

†**श्री हजरनवीस** : उड़ीसा बिहार सीमा पर राष्ट्रीय खान विकास निगम लिमिटेड की किरिबुरु आयरन और परियोजना के महाप्रबंधक ने किरिबुरु परियोजना के स्थान पर ११ मार्च १९६३ की शाम और अगले दिन बाद दोपहर को भीड़ द्वारा किये गये कुछ हिंसात्मक कार्यों के बारे में जो प्रतिवेदन दिया है मैं उसके बारे में खान और ईंधन मंत्री की ओर से सूचित करना चाहता हूं ।

यह कहा जाता है कि किरिबुरु में काम कर रहे एक ठेकेदार के पास नौकर किसी व्यक्ति ने श्रमिकों की झोंपड़ियों के पास किसी आदिवासी महिला के साथ छेड़ छाड़ की थी। इस पर आदिवासी श्रमिकों ने रोष प्रकट किया और ठेकेदार के उन श्रमिकों पर जो आदिवासी नहीं आक्रमण कर दिया और तीरों से पांच आदमियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। यह घटना ११ मार्च, १९६३ को शाम के ६ से ७ म०प० बजे के बीच हुई। जख्मियों का तुरन्त प्रथम उपचार किया गया और बिहार के चौबासा जिला अस्पताल में भेज दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कहा जाता है कि अगले दिन प्रातः आदिवासी श्रमिकों और अन्य कुछ लोगों ने तीरों, कुल्हाड़ों, पत्थरों, लोहे की सलाखों से सशस्त्र हो कर ठेकेदार के गैर-आदिवासी श्रमिकों पर आक्रमण शुरू कर दिये जिससे कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गये । बहुत से श्रमिक आस पास के इलाकों में भाग गये तब भीड़ सदर दफ्तर के भवन की ओर बढ़ी और उन्होंने दफ्तर को लूटने की विफल चेष्टा की । किन्तु परियोजना के इंजीनियरों ने दक्षतापूर्वक भीड़ को रोके रखा । तब भीड़ आतंक फैलाती हुई नगर की ओर बढ़ी । किन्तु एक और ठेकेदार जो उनकी भाषा को जानता था उन्हें रास्ते में मिला और उन्हें शान्त करने का प्रयत्न किया । इस बीच सशस्त्र पुलिस लगभग १-३० म०प० बजे पहुंच गयी और उसके बाद भीड़ छितर गई ।

१२ मार्च, १९६३ को प्रातः भीड़ की कार्यवाही से ठेकेदार के १७ मजदूर बुरी तरह जख्मी हुए । इनके अलावा ३ की लाश भी मिलीं । यह भी पता लगा है कि जिन जख्मियों को चौबासा अस्पताल में ले जाया गया उनमें से २ और आदमी मर गये हैं । परियोजना के महाप्रबन्धक ने कहा है कि गड़बड़ आरम्भ होते ही बिहार और उड़ीसा राज्यों के आस पास के जिलों में पुलिस को सूचना दे दी गयी थी और इन राज्यों के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं ।

अब स्थिति पर काबू है और अंशतः काम आरम्भ हो चुका है । महाप्रबन्धक ने बताया है कि परियोजना का कोई कर्मचारी जख्मी नहीं हुआ और न इस मामले में फंसा है ।

भीड़ ने टेलीफोन और तार के तार काट दिये थे और पूरा ब्योरा पाने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों के साथ अभी तक सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका । आज कल खान और ईंधन मंत्री कलकत्ता में हैं और परियोजना अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो वे आकर सभा को पूरा विवरण देंगे ।

श्री ह० च० सौय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह की शिकायत वहां के फीमेल वर्कर्स को मौलैस्ट करने की इस डिस्टरबैंस के पहले भी वहां के जनरल मैनेजर और दूसरे सुपीरियर आफिसर्स के पास आई है कि कंट्रक्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स फीमेल को मौलैस्ट करते हैं ?

श्री हजरनवीस : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

†**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : किरिबुरु की घटना ऐसी है जो अन्य स्थानों पर भी जहां गैर-आदिवासी और आदिवासी लोग सम्पर्क में आते प्रायः घटती रहती है क्योंकि गैर-आदिवासी लोग आदिवासियों की सादगी का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं । क्या सरकार का विचार है कि ऐसे स्थलों पर सभी गैर-आदिवासी लोगों के बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाय ताकि देश की एकीकरण की भावना को हानि न हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय स्थल पर गये हुये हैं और पूरा विवरण बतायेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : मैं श्री चे० रा० पट्टा-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री र० कि० मालवीय]

भिरामन की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९८०/६३]

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक लेखा, उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–९८१/६३]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा अपनी १४ मार्च, १९६३ की बैठक में लोक सभा द्वारा २८ फरवरी, १९६३ को पास किये गये कृषि पुर्नवित्त निगम बिल, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

संविधान (सोलहवा संशोधन) विधेयक, १९६३

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अब सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्ताव रखना है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं आपकी अनुमति से एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री महीड़ा आज मुझे मिले थे और उन्होंने वही बात रखी थी जो श्री कामत कहने वाले हैं और मैंने उन्हें कहा था कि सप्ताह के अन्त में जब संसद कार्य मंत्री कार्यक्रम रखेंगे तो उस पर चर्चा की जायेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे इस संबंध में और निवेदन करना है । संविधान के उपबन्धों और प्रक्रिया नियमों के अनुसार तब तक मतदान नहीं हो सकता जब तक गणपूर्ति न हो । यहां मंत्रियों का [illegible] ५९ है और कांग्रेस दल की संख्या अत्यधिक है तब भी गणपूर्ति नहीं रहती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सारी सभा का आभारी हूं कि वे देर तक बैठक रखने के लिये सहमत हो गये थे । जब देर तक बैठक हो दलों के व्हिपों का कर्त्तव्य है कि वे गणपूर्ति का ध्यान रखें अन्यथा बहुत कठिनाई हो जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): पिछले कुछ वर्षों से हमने यह प्रथा बना ली है कि जब हम ६ बजे तक बैठक करने का निश्चय करते हैं तो गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाता। जो सदस्य विषय में रुचि रखते हों वे उपस्थित रहते हैं। मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं कि गणपूर्ति के बिना मतदान नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं खेद प्रकट करता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३०, अर्थात् :—

(१) श्री अच्युतन, (२) श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े, (३) श्री लक्ष्मी नारायण भंज देव, (४) श्री ब्रजवासी लाल, (५) श्री बूटा सिंह, (६) डा० कोलाको, (७) श्री दलजीत सिंह, (८) श्री दशरथ देव, (९) डा० गायतोंडे, (१०) श्री हजरनवीस, (११) श्री गौरी शंकर कक्कड़, (१२) श्री रिशांग किशिंग (१३) श्रीमती लक्ष्मी कात्तम्मा, (१४) श्री ललित सेन, (१५) श्री लोनीकर, (१६) डा० महादेव प्रसाद, (१७) श्री घुलेश्वर मीना, (१८) श्री मुहम्मद यूसुफ, (१९) श्री हो० ना० मुकर्जी, (२०) श्री प्रताप सिंह, (२१) श्री मान सिंह पृ० पटेल, (२२) श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, (२३) श्री कृष्णामूर्ति राव, (२४) श्री रेड्डियार, (२५) श्री संजीरूपजी, (२६) श्री इरा सेझियान, (२७) श्री स० टो० सिंह, (२८) श्री हरि चरण सोय, (२९) श्री वाडीवा, और (३०) श्री लाल बहादुर शास्त्री।

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को १५ अप्रैल, १९६३ तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें

वैदेशिक कार्य मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : सभा वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांग संख्या १७ से २३ और ११८ पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

चर्चा और मतदान करेगी। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों १५ मिनट में सूचना दे दें।

वर्ष १९६३-६४ के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१७	आदिम जाति क्षेत्र	१२,५५,०४,०००
१८	नागा पहाड़ियां-वेनसांग क्षेत्र	५,५४,८९,०००
१९	वैदेशिक कार्य	१५,४७,१५,०००
२०	पांडिचेरी राज्य	३,४५,२८,०००
२१	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	१२,९०,०००
२२	गोआ, दमन और दीव	६,४८,४६,०००
२३	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	४,४२,४८,०००
११८	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	१,१२,७५,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रधान मंत्री चर्चा आरम्भ करेंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह अच्छा होगा कि मैं अन्त में बोलूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैं आशा करता हूं कि हर वर्ष की तरह इस साल भी इस मंत्रालय की मांगों को सहर्ष स्वीकार किया जायेगा।

देश की सुरक्षा विकास की नींव पर आधृत होनी है और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना से उसे सहायता मिलती है। इसलिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कार्य बहुत जटिल होता है।

कुछ लोग हमारी विदेशी नीति का विरोध करते हैं क्योंकि चीन ने आक्रमण किया है और सभी देशों ने उस प्रकार हमारा समर्थन नहीं किया जैसा हम चाहते थे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ऐसी प्रवृत्ति के बारे में बम्बई के एकानामिक वीकली ने जो साम्यवादी नहीं है, कहा है कि यह बचगाना प्रवृत्ति है।

†मूल अंग्रेजी में

चीन कोलम्बो योजना को स्वीकार न करते हुये बुरा कर रहा है। संसार जानता है कि हम सच्चे हैं। भारत चीन के संबंधों को ऐसी चोट पहुंची है जो आसानी से ठीक नहीं होगी।

इस संबंध में मैं श्रीमती जान राविन्सन की राय बताना चाहता हूं, उन्होंने सीमा संबंधी घटनाओं के संबंध में यह राय जाहिर करी है कि आपात काल से समानता, विकास और सामाजिक समानता के तत्वों को बल नहीं मिला है, इसके विपरीत दक्षिण पक्षीय तत्व सुदृढ़ हुये हैं।

इस संबंध में मैं स्वतंत्र पार्टी के प्रवर्तक श्री राजागोपालाचारी का भी उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने यह इच्छा प्रगट की है कि देश के नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता है और हमें चाहिये कि हम लंका और टेंगानीका की ओर न देख कर अमेरिका की ओर देखा करें।

प्रेसीडेंट अयूब ने अभी हाल यह वक्तव्य दिया है कि श्री जवाहरलाल का अहंकार भारत और पाकिस्तान की मैत्री के बीच रोड़ा बना हुआ है। यदि उनके स्थान पर श्री राजगोपालाचारी या श्री जयप्रकाशनारायण होते तो ऐसी बात नहीं होती।

"लन्दन टाइम्स" ने अभी हाल प्रकाशित अपने सम्पादकीय में चीन और पाकिस्तान की संधि के संबंध में आलोचना की है और कहा है कि कुछ भी हो हमें पाकिस्तान से समझौता कर लेना चाहिये। इतना ही नहीं कई विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा राजदूतों द्वारा भी समय समय पर हमारी प्रभुसत्ता पर आघात किया जाता है। अभी हाल अमेरिका के राजदूत ने सीमांत पर हमारी सेना नायकों से बातचीत की है।

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही बातचीत में अमेरिका और ब्रिटेन के राजनयिक प्रतिनिधियों ने रुचि प्रदर्शित करते हुये पर्याप्त चर्चा की है। उनके इस रवैये को हम नहीं रोक सके यह दुख की बात है।

भारत और अफ्रीकी व एशियाई देशों के विरुद्ध खाई उत्पन्न की जा रही है। चीन के प्रोपेगेंडा ने हमारे विरुद्ध भ्रम और सन्देह की गहरी दीवार पैदा कर दी है। कुछ इस प्रकार की भावना उत्पन्न की जा रही है कि किसी समय साम्राज्यवाद को जितने प्रभावपूर्ण और दृढ़तापूर्वक ढंग से भारत ने सामना किया था। आज उसमें वह शक्ति नहीं है। हमारे अफ्रीकी एशियाई मित्र देशों की जनता के मस्तिष्क में यह भावना घर कर रही है कि भारतीय कूटनीतिज्ञ स्वयं को अश्वेत से श्रेष्ठ समझते है। हमें इस प्रकार की मनोभावना का निराकरण करना चाहिये। हमें स्वयं अपना हित ही नहीं देखना चाहिये। किन्तु साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व पुनः संभालना चाहिये।

मलेशिया के प्रश्न पर भारत को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये। इंडोनेशिया की जनता में हमारी स्पष्ट नीति से संदेह उत्पन्न हो रहे हैं।

विदेशों में हमारी प्रचार नीति काफी दुर्बल रही है। प्रचार नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। संकट की विशेष स्थिति में कूटनीति वार्ता का दायित्व राजनयज्ञों को सुपुर्द करना अत्यंत आवश्यक है। नौकरशाही पद्धति पर आधारित कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधित्व में सुधार किया जाना चाहिये।

हमारे प्रधान मंत्री देश पर आये संकट के प्रति जागरूक हैं, तथापि देखना यह है कि हम कब तक अपनी परम्परागत नीति पर स्थिर रहते हैं, हमें इस कार्य में प्रधान मंत्री के हाथों को सुदृढ़ बनाना चाहिये। प्रधान मंत्री को यथासंभव ऐसे लोगों से दूर रहन चाहिये जिनकी विविधा बोस आयोग ने निन्दा करी है। इसी प्रकार उन्हें ऐसे विदेशी पत्रकारों, यात्रियों तथा संवाददाताओं से भी दूर रहना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये जो व्यर्थ उनका समय लेते हैं। और फिर अपने देश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। इससे हमारी वैदेशिक नीति पर बुरा प्रभाव होता है।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़) : पिछले कई वर्षों से हम वैदेशिक कार्य संबंधी नीति पर चर्चा करते रहे हैं आज वह समय आ गया है जब कि हमने न केवल नीतियों पर अपितु उसकी क्रियान्वितयों पर भी विचार करना है। हमें यह भी देखना है कि यह नीति ठीक से क्रियान्वित की गयी या नहीं।

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हम एक गतिशील विश्व में रह रहे हैं और जब तक हम उन घटनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें नहीं पकड़ पायेंगे। अतः देश की वैदेशिक नीति इसी के अनुरूप होनी चाहिये।

किन्तु दुख का विषय यह है कि अब उसके मूल सिद्धांतों को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस विदेश नीति में परिवर्तन करने का तात्पर्य अन्यत्र किन्हीं बड़ी ताकतों पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से निर्भर रहने के लिये भावी संतती को प्रेरणा देना होगा।

जहां तक चीन का संबंध है, हमें चिर काल तक उसके रवैये में परिवर्तन की आशा नहीं करनी चाहिये। हमें चीन की राजनीतिक चाल के समान ही व्यवहार करना चाहिये। मंत्रालय कुछ हद तक चीनी प्रचार का मुकाबला करने में असफल रहा है। विदेश सेवा के लोगों को चीन के गतिशील कूटनीति और नये समाजवादी संसार के गतिविधि को समझना चाहिये ताकि सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में लगे लोग अन्य देशों की यात्रा कर सकें और आवश्यक मैत्री का वातावरण पैदा कर सकें। समय के साथ हमें प्रचार के तरीकों में भी परिवर्तन करना चाहिये। तथा वैदेशिक प्रचार के लिये सार्वजनिक क्षेत्र से भी योग्य व्यक्ति लिये जाने चाहिये।

अतः विदेश सेवा के लोगों को चीन के गतिशील कूटनीति और नये समाजवादी संसार की गतिविधि को समझना चाहिये। दुर्भाग्यवश हमारी विदेशी सेवा के लोग आशानुकूल काम नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को विदेशी भाषायें अवश्य आनी चाहियें। विदेशों में हमारा प्रचार भी अच्छा होना चाहिये। सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में लगे लोग अन्य देशों की यात्रा कर सकें और मैत्री का वातावरण पैदा कर सकें। विदेशों में प्रचार के लिये हमें अपनी विदेश सेवा के लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिये।

सीमा क्षेत्रों के आदिम जातियों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आंतरिक और वैदेशिक है। हमें सभी पहाड़ी आदिम जातियों को भारत में एक सामान्य समाज के रूप में मिलाने का प्रयत्न करना चाहिये। इस समस्या के समाधान के लिये अधिक समझ और शिक्षा की आवश्यकता है।

पाकिस्तान के साथ काश्मीर तथा अन्य समस्याओं के बारे में बातें हो रही है उसके अच्छे परिणामों का आशा है। हमें पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश करनी चाहिये।

हमें अफ्रीकी एशियाई देशों को यह आश्वासन देना चाहिये कि हम चीनी प्रचार के बावजूद भी उनके साथ हैं और हम अपने देश को पृथक रखना और दूसरे देशों की शरण लेना नहीं चाहते।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१	श्री राम सेवक यादव	आदिम जाति क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के बराबर लाने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
२	२	श्री राम सेवक यादव	नागालैंड का देश के शेष भागों के साथ एकीकरण में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३	३	श्री यशपाल सिंह	नागाओं के साथ सद्भावना बढ़ाने में असफलता ।	१०० रुपये
४	४	श्री राम सेवक यादव	विदेश नीति की असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
५	५	श्री यशपाल सिंह	(१) चीनी अतिक्रमण के संबंध में हमारे दूतावासों की अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना । (२) पड़ौसी देशों के साथ मित्रता के संबंध बनाने में असफलता (३) आपात काल में विदेशी अतिथियों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७	७	श्री राम सेवक यादव	पांडीचेरी को गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन लाने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
८	८	श्री राम सेवक यादव	दादरा और नगर हवेली को गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन लाने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
९	९	श्री राम सेवक यादव	गोआ, दमन और दीव को गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन लाने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
१०	१०	श्री राम सेवक यादव	भारी व्यय को कम करने में असफलता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
११	११	श्री मुहम्मद इस्माईल	(१) हजयात्रा पर नये प्रतिबन्ध (२) केरल से यात्रियों के लिये अधिक मुस्लिम 'गाइड' नियुक्त करने की लिये सऊदी अरब सरकार से अनुरोध करने की आवश्यकता । (३) केन्द्रीय और पत्तन हज समितियों में केरल जैसे राज्यों के लिये प्रतिनिधित्व की आवश्यकता । (४) लंका, बर्मा और मोजम्बीक से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये पुनर्वास विभाग । (५) बर्मा सरकार से वहां के भारतीयों द्वारा भारत में धन इत्यादि भेजने के संबंध में न्यायोचित सुविधाओं के लिये अनुरोध । (६) लंका सरकार से लंका में भारतीय कम्पनियों में कर्मचारियों को न्यायोचित सुविधायें देने के लिये अनुरोध । (७) विदेशों में अधिक और अच्छे प्रचार की आवश्यकता ।	१०० रुपये

†उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय के लिए २.१६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस राशि का अपव्यय नहीं होना चाहिए।

हमारे दूतों को जिन देशों में वे भेजे जाते है वहां के देशों की परिस्थितियों को समझना चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विदेशों में हमारे मिशनों ने देश की समस्याओं को महसूस नहीं किया है। परिणाम यह हुआ है कि बर्मा, लंका, और नेपाल के पड़ौसी देशों ने हमारी बात को ठीक नहीं समझा है। मध्यपूर्व और अफ्रीकी देशों के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। शायद इसका कारण हमारे प्रचार में असफलता है।

सरकार कुछ ऐसे 'ट्रांसमिटर' प्राप्त करे जिस से हम रेडियो पेकिंग के विरुद्ध प्रचार कर सकें।

हमें अपने पड़ौसी देशों के साथ मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं। हम जानते है कि पाकिस्तान के साथ काश्मीर के समझौते के सम्बन्ध में जो बात चीत हो रही है उसे सफलता मिले।

जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत ने विरोध पत्र भी नहीं भेजा। उस समय आचार्य कृपालानी, श्री रंगा और श्री मसानी, इत्यादि ने बताया था कि भारत को इस संबंध में जागरूक रहना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए था।

हमारी तटस्थ नीति सही अर्थ में तटस्थ नहीं है। सुरक्षा के मामले में हम इग्लैंड से अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तोड़ने के लिये तैयार थे। इजराइल के साथ राजनयिक सम्बधों की बात तो क्या व्यापार सम्बन्ध भी ठीक नहीं है। हमारी तटस्थता की नीति कम्युनिस्ट देशों की ओर झुकी रही है। हंगरी के मामले में हम ने रूस का पक्ष लिया।

पश्चिमी लोकतन्त्र देशों ने भारत की सहायता की है, परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि हम किस गुट में है। कम्युनिस्ट देशों की ओर या लोक तंत्र देशों की ओर। चीन और भारत में खुलमखुला युद्ध में रूस भारत और चीन की बराबर सहायता शायद न कर सके। इंगलैंड और अमरीका पूर्णरूपेण भारत की सहायता के लिये उद्यत हैं। हमें अपनी विदेश नीति को बिलकुल स्पष्ट करना चाहिए कि हम किन देशों के साथ है। तटस्थता की नीति हमें उतनी शीघ्रता से सैनिक दृष्टि से मजबूत होने में रोका है जितनी तेजी से हमें मजबूत बनना चाहिए था। हमें पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। उन्होंने जरूरत के समय हमारी सहायता की है।

†श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारी बुनियादी विदेश नीति सब देशों से मित्रता की है। फिर भी जो हमारे देश को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। यह कहना कि हमारी तटस्थता की नीति ठीक नहीं रही है उचित नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री ने कई देशों को पत्र लिखे थे। उनमें से अधिकतर देशों से मैत्रीपूर्ण उत्तर मिले। हमारी किसी भी गुट में न शामिल होने की नीति का उन लोगों ने भी अनुमोदन किया है। जो एक समय इसे अनैतिक समझते थे।

यह कहना गलता है कि भारत का अफ्रिकी–एशियाई देशों में स्थान कम होता जा रहा है। अल्जीरिया और कांगों के सम्बन्ध में हमारी नीति सफल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

पुर्तगाल, अंगोला, और मोजम्बीक में अभी उपनिवेशवाद की नीति का परित्याग नहीं कर रहा है । मोजम्बीक में भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है । पुर्तगाल ने २३०० भारतीयों को जबरदस्ती मोजम्बीक से निकाल दिया है । वहां अभी ३०० भारतीय हैं। भारतीयों ने वहां लगभग ६० करोड़ रुपये की सम्पत्ति छोड़ी है । संयुक्त राष्ट्र ने जो विशेष समिति नियुक्त की है उसे उपनिवेशवाद खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए ।

भारत और पाकिस्तानन वार्ता से पूंछ, मीरपुर, और रानौटी के लोगों में बेचैनी हुई है, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य के बारे में सन्देह सा हो गया है । सरकार को बार बार इस बात पर बल देना चाहिए कि सरकार इस नीति पर दृ है कि जहां तक युद्ध विराम रेखा का सम्बन्ध है, इस में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, अधिक नहीं । जब भारती और चोन में बातचीत हो तो जो क्षेत्र पाकिस्तान ने चोन को दे दिया है उस का भी जिक्र करना चाहिए ।

चीन की प्रचार व्यवस्था बहुत प्रभावशाली है । हमें उसका मुकाबला करने के लि अपने प्रचार प्रशासन को अधिक सुचारू बनाना चाहिए ।

†श्री नाथपाई (राजापुर) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन अच्छी प्रकार से नहीं बनाया गया है । मेरे विचार में इस प्रतिवेदन से सभा के सदस्यों की समझ का अनादर है। पश्चिम जर्मनी और तुर्की आदि के बारे में जो जानकारी दी हुई है वह बिल्कुल अनुचित है।

जिस प्रकार का वैदेशिक कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन है उसी तरह के हमारे विदेशी प्रचार के तरीके हैं। इसका कारण यह है कि विदेशों में जो हमारे दूत हैं वे उस काम के योग्य नहीं हैं। चोन और पाकिस्तान के समझौते के बारे में लदन और अमेरिका में हमारे दूतों ने क्या किया है ? उन देशों में इस सबं में ठीक प्रकार से प्रचार नहीं हुआ है ।

विश्व युद्ध के पश्चात् अमरीका की विदेश सेवा का तीन बार पुनर्विलोकन हो चुका है । वहां यह देखा जाता है कि क्या विदेश सेवा परिवर्तन शील संसार की आवश्यकताओं के अनुकूल है या नहीं । परन्तु हमारे देश में प्रधान मंत्री किसी को विदेश सेवा के निकट फटकने नहीं देते । किसी को यह देखने नहीं दिया जाता कि अमुक दूतावास किस प्रकार कार्य सम्पादन कर रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशों की विदेश सेवाओं के कार्य करने के ढंगों को देखें। निरीक्षणालयों छोटी मोटी बातों का ध्यान तो रखते हैं परन्तु यह नहीं देखते कि विदेश सेवा अथवा दूतावास किस प्रकार देश की नीतियों के अनुकूल कार्य कर रहा है। अन्य देश अपनी विदेश सेवाओं के बारे में अधिक तत्पर हैं।

केवल यही काफी नहीं है कि विदेश सेवाओं के बारे में हमारी नीति उचित हो । देखना तो यह है कि विदेश सेवा परिवर्तनशील है अथवा नहीं। समय की गति के अनुसार और परिवर्तन-शील विदेश नीतियों के अनुसार विदेश सेवा में रूपभेद करना आवश्यक है। आज से २० वर्ष पूर्व शिक्षित लोगों को स्पूतनिक युग में भारत की विदेश नीति का संचालन करना पड़ रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि नवीन विचारों और नवीन जोश वाले लोगों हमारी नीतियों का संचालन करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल ही की गृह मंत्री की नेपाल यात्रा बहुत सफल रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि उचित व्यक्ति को एक कार्य के लिये चुना जाय। परन्तु इस बार एक दुर्लभ अवसर था जब कि शास्त्री जी को नेपाल भेजा गया। मेरे विचार में इस कार्य के लिए वही उचित और उपयोगी व्यक्ति थे। उनकी यात्रा सफल रही है। अपने मित्र और विशेषकर पड़ोसी देशों के बारे में हमें ऐसी ही नीति का अनुसरण करना चाहिए जिस प्रकार नेपाल से अपनाई गई है। हम देखते हैं कि इन देशों पर चीन का अधिक प्रभाव पड़ा है। इस कारण का हमारी कूटनीति में त्रुटि थी। इन आस पास के देशों से विशेष प्रकार के संबंध स्थापित करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह कहना कि चीन एकलित हो गया है गलत है। सच तो यह है कि भारत एकलित हो गया है। इस का उदाहरण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रेशियाई सम्मेलन बुलाने संबंधी प्रस्ताव पर भारत को अन्य देशों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। हमारे एकलित हो जाने का एक अन्य उदाहरण भी है। प्रधान मंत्री ने ६० देशों को उनका समर्थन प्राप्त करने के लिये उद्देश्य से पत्र लिखे थे। उन में से बहुत कम देशों ने उत्तर दिया। यह कहना गलत है कि बहुत से देश हमारे साथ हैं और उन्होंने चीनी आक्रमण का खुले तौर पर विरोध इस लिये नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। सच यह है कि हम असफल रहे हैं और एकलित हो गये हैं।

सब से खेद जनक बात यह है कि हमने अपनी विदेश नीति की स्पष्ट व्याख्या देने की चेष्टा नहीं की। हम केवल कुछ सिद्धान्तों का प्रचार करके ही सन्तुष्ट रहे। चीनियों ने समझा कि यदि हमारे सिद्धान्तों में हस्तक्षेप न किया जाय तो हमारे राज्य-क्षेत्र के साथ खिलाड़ की जा सकती है। संसार युद्ध के निकट पहुंच कर भी युद्ध से दूर हो गया है क्योंकि अमरीका और रूस ने अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप में एक दूसरे के समक्षा रखा है। रूस ने यू–२ विमान द्वारा अपने राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण के अवसर पर और अमरीका ने क्यूबा में रूस के हस्तक्षेप के अवसर पर अपनी नीतियां स्पष्ट कर दीं। इन से युद्ध रुक गया। इसी प्रकार भारत को भी चाहिए कि अपनी विदेश नीति को स्पष्ट कर दे ताकि चीन आक्रमण करने का साहस ही न करे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्य सभा में बोलते हुए प्रधान मंत्री ने तिब्बत की स्थिति के लिये अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधान मंत्री के वह शब्द तथ्यों पर आधारित नहीं थे और सरासर झूठ थे। अंग्रेजों ने केवल चीन के तिब्बत पर आधिपत्य को स्वीकार किया था, परन्तु इस के बदले में तिब्बत की स्वायत्तता को कायम रखा जाना था। परन्तु हमने आधिपत्य भी माना और स्वायत्तता को भी खो दिया, और अब हम अंग्रेजों पर आरोप लगा रहे हैं। आज चीन, सिक्किम, भूटान, नेपाल और नागालैंड को मिला कर एक मिलाय संघ स्थापित करने की धमकी दे रहा है। इस के प्रति हमें सतर्क रहना है और उचित कदम उठाने हैं। भूटान में विशेषकर चीनियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। नागालैंड में भी विरोधी तत्व बढ़ रहे हैं और चीन खुले तौर पर उन की सहायता कर रहा है। यह अत्यन्त भयंकर स्थिति है।

इंगलैंड और फ्रांस ने कभी हिटलर के इरादों की अवहेलना की थीं। आज माओ-त्से-तुंग के भी ऐसे ही इरादे हैं। रूस के साथ अपनी सीमा के बारे में भी चीन ने सन्देह प्रकट किया है, अत: रूस को सावधान रहना चाहिये। भारत चीन के इरादों के बारे में सतर्क नहीं रहा और पंचशील के सिद्धान्त पर विश्वास करता रहा, परन्तु उसे इस का नतीजा भुगतना पड़ा। माओ ने शासन की बागडोर सम्भालते ही कह दिया था कि सभी संधियों और सीमाओं पर पुनर्विचार किया

जायगा। इस से सबक ले कर रूस को सावधान रहना चाहिये। हमें इतिहास के तथ्यों को न भूल कर एकदलीय शासन तंत्र की प्रवृत्तियों को अधिक समझने की चेष्टा करनी चाहिये।

पाकिस्तान-चीन सीमा करार बहुत खेदजनक है। पाकिस्तान पश्चिम देशों के साथ दो संधियों में शामिल है जिनका उद्देश्य साम्यवाद और साम्यवादी देशों से खतरे का मुकाबला करना है। इस के बावजूद भी पाकिस्तान चीन के साथ करार कर रहा है। पाकिस्तान अवसरवादी है और भारत से बदला लेने के लिये यह पैंतरा बदल रहा है।

इस का एक अन्य अधिक खेदजनक पहलू यह है : जब कि इस करार से प्रत्येक भारतवासी के मन में रोष उत्पन्न हुआ, इस के बावजूद भी पेकिंग में जब इस करार के परिणामस्वरूप एक समारोह हुआ तो भारतीय प्रभारी राजदूत उस में सम्मिलित हुए। यदि वास्तव में हमारे राजदूत उस समारोह में सम्मिलित हुए हैं तो यह हमारे हित के और आत्मसम्मान के प्रतिकूल है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : आप को यह सूचना कहां से मिली ?

†**श्री नाथ पाई** : यदि यह बात सही नहीं है तो इस का खण्डन किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय सदस्य यह बात कह रहे थे तो उन्ह कहीं से सूचना तो मिली होगी। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि वह इस सूचना के साधन को बतायें।

†**श्री नाथ पाई** : इस बात का उदाहरण यही है कि इस का खण्डन नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना बिलकुल ठीक है। यह बहुत गम्भीर बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे सम्मान को इस प्रकार क्यों गिराया जा रहा है। क्या चीनी हम पर आक्रमण करेंगे और हम उनके सामने झुकते रहेंगे। क्या वह हमें धुतकारेंगे और हम शांत रहेंगे ? कहां गया हमारे प्रधान मंत्री का वह साहस और आत्मसम्मान जिस के बल पर उन्होंने एक बड़े साम्राज्य से टक्कर ली थी और मौत तक का सामना किया था ?

आज देश में यह विचार पाया जाता है कि जिन्होंने हमारे लिये अपने जीवन न्योछावर कर दिये उन्हें हम भूल गये हैं। आज चीन के पास हमारे ३००० सैनिक बन्दी के रूप में हैं। हम उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। चीन के साथ बातचीत आरम्भ करने की सब से प्रथम पूर्व शर्त यह होनी चाहिये थी कि हमारे बहादुर सपूतों को रिहा किया जाये।

भारत सरकार द्वारा बारम्बार इस बात का दावा किया गया है कि हमारी चीन संबंधी नीति सफल नीति है। यह अलग बात है कि हम चीनियों से फिरे हुए हैं, यह अलग बात है कि हमारा राज्य-क्षेत्र उन के पास है, यह अलग बात है कि वह हमें शरमसार कर रहे हैं, परन्तु हमारी सामान्य नीति सफल नीति है। अध्यक्ष महोदय, यह एक विचित्र दावा है। शायद 'सफल' शब्द के अर्थ ही विचित्र हैं।

पूर्व में हम एक गलती कर चुके हैं। हम ने चीन के इरादों पर विश्वास किया जिस के परिणामस्वरूप हमें मार खानी पड़ी। अब फिर हम चीन और रूस में आपसी मतभेदों के आधार पर जीवित रह कर एक भूल कर रहे हैं। श्री ख्रुश्चोव ने कई बार स्पष्ट किया है कि चीन के साथ उनका भाईचारा है अतः उनमें मतभेद घरेलू मतभेद हैं, और यह कि चीन पर हमले को रूस

---

†मूल अंग्रेजी में

पर हमला समझा जायगा। इसलिये हमें किसी भ्रम का शिकार न हो कर वास्तविकता का सामना करना चाहिये। हमारी नीति दृढ़ता, पड़ौसियों से संबंध अच्छे करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने की होनी चाहिये।

प्रेग से प्रकाशित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के अखबार "दी वर्ल्ड मार्क्सिस्ट रिव्यू" में कहा गया है कि यह एक प्रतिक्रियावादी सरकार है और यह एक प्रतिक्रियावादी प्रधान मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश को हत्तक है और हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इस ओर प्रधान मंत्री को ध्यान देना चाहिये और सावधान रहना चाहिये।

अन्त में मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह जनता के समक्ष अपने पहले रूप में आये और जनता की आवाज सुन कर ही अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाये।

†श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : अपनी विदेश नीति में हम सर्वोतम सिद्धांतों का अनुसरण करते रहे हैं और अब समय आ गया है जब कि प्रतिरक्षा के संबंध में भी ऐसी ही नीति का अनुसरण करना होगा। शायद भविष्य में प्रतिरक्षा को सर्वोतम स्थान भी देना है।

हमारे देश पर संकट आया हुआ है। चीनी किसी समय भी फिर आक्रमण कर सकते हैं। अतः प्रधान मंत्री की निन्दा करने की बजाय हमें अपनी नीतियों में रूपभेद लाने हैं। समय की मांग यह है कि हम एकमत हो कर सबल हों। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा का उचित अबन्ध करके वहां के निवासियों के लिये सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करना है।

एशिया और अफ्रीका के सभी देशों से हमें मित्रता बढ़ानी चाहिये। विदेश सेवाओं में काम करने वालों को कार्य-पद्धति में भी उचित रूपभेद लाने चाहिये। अपने प्रचार के ढंगों में भी परिवर्तन लाने चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा जो प्रतिनिधिमण्डल है उसे अधिक कुशल होना चाहिये। और इस संबंध में व्यय करने में संकोच नहीं दिखाया जाना चाहिये। फ्रांस के डीगाल अमरीका के प्रभुत्व को कम करने के उद्देश्य से रूस से मित्रता कायम करने में प्रयत्नशील हैं। अतः इस से हमें सबक लेना है। रूस ने गोआ और काश्मीर के मामलों में हमारा समर्थन किया। रूस पेट्रोल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में करता है और चीन भी पेट्रोल के लिये रूस पर निर्भर है। इस लिये हमें रूस से उचित संबंध रखने चाहिये और काश्मीर के मामले में झुकना नहीं है।

विदेशों में काम करने वाले हमारे देश के कर्मचारियों द्वारा प्रधान मंत्री की नीतियों को उचित प्रकार कार्यान्वित करना चाहिये। हमें देखना है कि यह कर्मचारी अपने किये जाने वाले कार्यों के लिय प्रधान मंत्री का संरक्षण प्राप्त करने की बजाय स्वयं उत्तरदायी हैं।

चीन अफ्रीकी सीमाओं और राज्य क्षेत्रों के ऊपर मंडरा रहा है। जब तक हम अफ्रीका में घट रहीं घटनाओं पर ध्यान न देंगे हम स्वयं खतरे में पड़ जायेंगे। विशेषतया मोशी सम्मेलन की कार्यवाही ध्यान देने योग्य है।

संयुक्त अरब गणराज्य, सीरिया और ईराक मिल कर एक संघ स्थापित करने वाले हैं। पाकिस्तान इन देशों में गलतफहमी पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है, परन्तु हमें अपने प्रचार माध्यमों द्वारा अरब देशों को बताना चाहिये कि कितने मुस्लिम भारत में हैं और किस तरह उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महारानी गायत्री देवी ने यह आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम साम्यवादी दल की तरफदारी कर रहे हैं। परन्तु वह भूल गई हैं कि अंग्रजों के हस्तक्षेप के बगैर पाकिस्तान जहूर में नहीं आ सकता था। बंटवारे के पश्चात् पाकिस्तान को अमरीका से हथियार प्राप्त हुए जिस से हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महारानी जी ने यह नहीं बताया कि किस प्रकार रूस गोआ और काश्मीर के मामलों में हमारा समर्थन करता रहा है।

हमें यह भी नहीं भूलना है कि यदि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल मिस्र पर आक्रमण न करते तो रूस हंगरी को बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। यह कहना कि प्रधान मंत्री ने हंगरी के संबंध में आवाज़ नहीं उठायी उचित नहीं है। इस मामले की समस्त पृष्ठ भूमि को समक्ष रख कर ही विचार किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश हैं उन में से कई देश किसी एक अथवा अन्य कारण से चीनी आक्रमण की खुले तौर पर चर्चा नहीं कर सके। परन्तु हमें बर्मा, मलाया, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड जापान, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, आदि देशों से मित्रता बढ़ानी है। अफगानिस्तान, नेपाल, श्री लंका आदि देशों से भी मित्रता बनाये रखनी है। चीनियों के इन देशों को खुश करके इसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। अलजीरिया के नेताओं की पेकिंग में जोरदार तारीफ की गई। इसीलिये उसने भारत पर चीन के आक्रमण के मामले में एक शब्द भी नहीं कहा। अतः हमें भी ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिये।

विदेश सेवाओं में उचित रूप भेद लाने चाहिये और यथावश्यक कर्मचारियों को बदलना चाहिये ताकि हमारे मिशन समयानुसार कार्य कर सकें।

प्रधान मंत्री ने कहा कि सेवा से बाहर के व्यक्ति शायद इतने उपयोगी सिद्ध नहीं हुए, परन्तु उन्हें विजय लक्ष्मी पंडित, श्री छागला और श्री जी० एल० मेहता, आदि, जसे कुशल व्यक्तियों के कार्यों को नहीं भूलना चाहिये। इस के विपरीत श्री फौजी को मिस्र के राजदूत के पद के लिये अनुपयोगी पाया गया परन्तु उन्हें संघ लोक सेवा आयोग में भेज दिया गया और फिर उन्हें उपकुलपति के पद पर काश्मीर में भेज दिया गया।

हमारा प्रचार विभाग भी सन्तोषजनक रीति से कार्य नहीं कर रहा है। उचित और उपयोगी अधिकारियों को अच्छे वेतन दे कर भी प्रचार कार्य के लिये लगाना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारे प्रतिनिधि मण्डल अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होने चाहिएं, क्योंकि चीन अपने मित्र देशों के ज़रिये अन्य देशों पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहा है। इस समय हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अतः अगले संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन में हमें अधिक प्रभावशाली व्यक्ति भेजने चाहिये जो कि एशियन और अफ़्रीकन प्रतिनिधि मण्डलों से मित्रता स्थापित करने में सफल हों।

काश्मीर के मामले में हमें झुकना नहीं है। आज १६ वर्षों से हमारी सेनायें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। हमें उन के बलिदानों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये और काश्मीर के मामले में सुदृढ़ रहना चाहिये।

रूस के चीन के विरुद्ध जो विचार हैं उन से भारत की सहानुभूति होनी चाहिय। शायद वह एक दूसरे के इतने निकट कभी न आ सकेंगे जैसे कि पहले थे। इसके अलावा रूस द्वारा चीन को पेट्रोल दिया जाता है। भारत का हित इसी में है कि चीन और रूस एक दूसरे के निकट न आयें।

†श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : इस समय चीन और पाकिस्तान सम्बन्धी मामले हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कोलम्बो प्रस्ताव हम स्वीकार कर चुके हैं और चीन द्वारा उन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं समझता हूं कि सब से उचित दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हम अपने प्रधान मंत्री की नीति का समर्थन कर के उन्हें सशक्त बनायें। हो सकता है कि उन की नीतियों से कुछ लोग सहमत न हों परन्तु समय की मांग यही है कि हम उन में भरोसा कर के संसार को एकमत होने का परिचय दें।

कई दृष्टियों से सरकार की आलोचना की गई है। कोई कहता है कि हमें अपने संकल्प को ध्यान में रखना है, कोई कहता है कि हमें अमरीका के साथ स्पष्ट रूप से मिल जाना चाहिये, आदि आदि। परन्तु मुख्य बात सोचने की यह है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिस से चीन के उद्देश्य की पूर्ति हो। चीन का उद्देश्य केवल कुछ राज्य-क्षेत्रों पर अधिकार जमना नहीं था।

कुछ लोग समझते हैं कि चीन की आंतरिक दशा बहुत क्षीण है इस लिये वह जनता का ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है। कोई यह समझता है कि चीन साम्यवादी सिद्धान्तों को सर्वमान्य बनाने के लिय युद्ध करना चाहता है। कोई यह समझता है कि चीन चाहता है कि भारत अमरीका के साथ मिल जाय और फिर विश्व युद्ध हो जाये। क्योंकि माओ-से-तुंग ने कहा है कि प्रत्यक युद्ध के परिणामस्वरूप साम्यवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि यह बात ठीक है तो हमें केवल योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार ही कार्य नहीं करना है, बल्कि लोक-तंत्रात्मक पद्धति में अटूट विश्वास उत्पन्न करना है जैसे कि चीन को अपनी पद्धति में विश्वास है। हमें इस विश्वास को उत्पन्न करना है।

दूसरे, मैं समझता हूं कि युद्ध नहीं होने देना चाहिये क्योंकि चीन युद्ध ही छेड़ना चाहता है। युद्ध करना भारत के हित की बात नहीं होगी, भले ही इस से कुछ लोगों को सन्तोष प्राप्त हो।

हमें तटस्थता की नीति का त्याग नहीं करना चाहिये। रुसी अथवा अमरीकी गुट के साथ पूर्णतया मिल जाने से केवल शीत युद्ध आरम्भ हो जायगा। सामरिक दृष्टि से भी किसी गुट से मिलना लाभदायक नहीं होगा। किसी गुट के साथ मिल जाने से असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होगा। किसी गुट से मिल जाने के फलस्वरुप संसार के गुटों में भी असन्तुलन हो जायेगा। इस के अतिरिक्त, गुटों से मिलने की बात करते हुये हम भूल जाते हैं कि आज संसार में परिवर्तन आ रहे हैं। रुस और चीन के आपसी सम्बन्ध बिगड़ गये हैं। यह बात, जैसा कि श्री नाथपाई सोचते हैं, केवल कल्याण अथवा प्रचार पर ही आधारित नहीं है। सोवियत संघ के बारे में माओत्से तुंग ने बहुत कुछ लिखा है कि वह पूर्व की सरकार द्वारा सम्पन्न संधियों पर पुनर्विचार करेंग और इस बारे में फिर से बातचीत करेंगे। क्या श्री ख्रुश्चोफ नहीं जानते कि यह सब क्या है?

क्या श्री ख्रुश्चोव उस बात से अनभिज्ञ हैं जिसे श्री नाथ पाई जानते हैं। उन्होंने अन्जुन की संधि का उल्लेख किया था। चीन चाहता है कि १८८० की पेकिंग की संधि का पुनरीक्षण किया जाये। ब्लार्डवाष्टक पर भी चीन दावा कर रहा है। साइबेरिया की सीमा के विषय में भी विवाद है। रूस और अमरीका अपने संबंधों में सुधार करना चाहते हैं। रूस

†मूल अंग्रेजी में

क्यूबा से हट गया। उन्होंने कुछ निशस्त्रीकरण प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये। किन्तु इन साम्यवाद-विरोधी कार्यों से साम्यवादी राष्ट्र चिन्तित हैं। इसलिये स्वभावतः वह अपने मित्रों से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वह अकेले नहीं रह सकते।

साम्यवाद-विरोधी शक्तियां भी साम्यवादियों को निकट लाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। यूरोप आर्थिक और राजनैतिक रुप से सगठित हो रहा है।

विश्व की ऐसी स्थिति में यदि हम अमरीका के साथ गुटबन्दी करले तो उसका क्या प्रभाव होगा? पाकिस्तान की अमरीका के साथ गुटबंदी है; किन्तु उस में हम से अधिक आत्मविश्वास अथवा प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। एक सामान्यतय अवसर प्राप्त होने पर उसने चीन के साथ संधि कर ली। हमें किसी के साथ गुटबन्दी में सम्मिलित होने से कोई भी भौतिक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिय मैं समझता हूं कि हमें इस सुझाव को सर्वदा के लिये त्याग देना चाहिये।

अमरीका का, स्वयं का यह विचार है कि भारत तटस्थ रह सकता है। अमरीका अथवा ब्रिटेन, किसी के भी किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्र ने अन्यथा नहीं कहा।

ऐसा भी विचार व्यक्त किया जाता है कि समस्त साम्यवादी राष्ट्र एक हैं और हमें चीन से ही नहीं अपितु रूस से भी लड़ना चाहिये। इस प्रकार का विचार करना एक महान भूल है। साम्यवादी राष्ट्र आज ही नहीं सर्वदा से पृथक् राष्ट्रों के ही रूप में कार्य करते रहे हैं। यदि वह राष्ट्रीय सीमाओं पर विश्वास नहीं करते तो चीन क्यों थोड़े-थोड़े क्षेत्रों को अपना बता कर उस पर अपना अधिकार जता रहा है?

इस आक्रामक दृष्टिकोण का कारण सहल है। नेफा में हमें पराजय का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से राष्ट्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने उसे अपमान कहा। किन्तु एक पराजय से ही उसे अपमान समझना युक्ति संगत नहीं। चीन वापिस लौट गया, इसलिये कि उन्होंने यहां हमारी शक्ति को परख लिया था।

चीन के पास ५० लाख की सेना है। किन्तु उससे हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमें अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाना चाहिये और भावोद्रेक में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जो राष्ट्र के लिये हानिप्रद सिद्ध हो।

†अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जब श्री नाथपाई ने प्रधान मंत्री से काश्मीर के सम्बन्ध में चीन-पाकिस्तान के मध्य हुई संधि के उपलक्ष्य में हुई दावत में हमारे निसृष्ट-दूत के सम्मिलित होने के विषय में पूछा तब मुझ बड़ी उलझन हुई। किन्तु इस से भी अधिक उलझन यह जान कर हुई कि न तो श्री नाथपाई ने, न ही किसी अन्य ने यह प्रश्न उठाया कि इस संधि के उपरान्त भी पाकिस्तान के साथ चल रहे इस वार्ता-चक्र की क्या सार्थकता है?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उसके विचार में पाकिस्तान के साथ काश्मीर के प्रश्न पर किसी समझौते पर पहुंचने की कौन सी संभावनायें शेष हैं जिनके कारण वह इन वार्ताओं को चालू रखने में सहमत है? मि० किंग्स्ले मार्टिन ने, जो एक विदेशी पत्र के प्रतिनिधि हैं, भारत-पाकिस्तान-सम्बन्धों पर विचार व्यक्त करते हुय लिखा था कि पाकिस्तानियों के अन्दर भारत के प्रति घृणा और भय के मिश्रित भाव हैं और जब भारतीय सेना आसाम की रक्षा के लिये गई तब उन में यह भय उत्पन्न हो गया कि वह पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण करने आई है जब कि चीनियों के पूर्वी बंगाल की सीमा तक पहुंच जाने पर भी वह आतंकित नहीं हुये थे। मैं पूछता हूं कि जब पाकिस्तानी जनता की सामान्य मनोवृत्ति इस प्रकार की है तब इन वार्ताओं से कौन से परिणाम निकलने की आशा की जा रही है?

यह स्पष्ट है कि अमरीका भी यह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में किसी न किसी प्रकार का समझौता हो जाये; क्योंकि यह भारतीय उप-महाद्वीप की प्रतिरक्षा के हित में होगा।

कल के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में इस आशा का एक समाचार था कि, अमरीका के सैनिक विशेषज्ञों ने श्री पटनायक को, जो आजकल अमरीका के दौरे पर हैं, परामर्श दिया है कि भारत को नवीनतम सुपरसोनिक वायुयानों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; अपितु वह चीन से लड़ने के लिये अथवा अपनी प्रतिरक्षा के लिये कम शक्तिशाली और कम वेग वाले जहाजों से भी काम चला सकता है। यदि यह समाचार सत्य है तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अमरीका ने एक वर्ष पूर्व पाकिस्तान को अधिकतम शक्तिशाली और वेगवान "स्टार फाइटर्स" क्यों दिये थे? मुझे आशंका है कि अमरीका यह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में मैत्री स्थापित हो जाये और दोनों से इस प्रकार का सम्बन्ध रखा जाये कि वह प्रतिरक्षा सामग्रियों तथा अन्य वस्तुओं के लिये स्थायी रूप से अमरीका पर निर्भर बने रहें। इन बातों की पृष्ठभूमि में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से चल रही वार्ता हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करने में कहां तक सहायक सिद्ध होगी? वार्ता के हर स्थान पर भारत में नियुक्त अमरीका के राजदूत उपस्थित रहते हैं और हर वार्ता के बाद प्रेस सम्मेलन बुलाते हैं। हमें अमरीका सरकार को यह सूचित कर देना चाहिये कि यह कार्य भारत के, भारत-अमरीकी संबंधों के और अन्तोगत्वा अमरीका के हित के विरुद्ध होगा। जहां तक इन वार्ताओं का सम्बन्ध है हमें अन्तिम निश्चय करके विश्व को यह बता देना चाहिये कि चीन–पाकिस्तान संधि के पश्चात अब इस प्रकार की समझौता वार्ताओं के लिये कोई स्थान नहीं है। इनका आधार भी क्या है? सुझाव कुछ ऐसा है कि काश्मीर का एक प्रकार से विभाजन हो। किन्तु फिर काश्मीर का रह ही क्या जायेगा? सरकार को चाहिये कि इस विषय को स्पष्ट कर दे।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवल्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। गत वर्ष देश के लिये एक परीक्षा और कठिनाइयों का वर्ष था। यह वर्ष हमारी तटस्थता की नीति के लिये भी परीक्षा का वर्ष था और यह कहा जा सकता है कि हम इस में सफल हुये हैं। लोग कहते हैं कि हम इस नीति को छोड़ कर अपनी सुरक्षा के लिये किसी गुट में सम्मिलित हो जाये। किन्तु हम इस नीति में सफल हुये हैं और इस नीति ने हमारे बाहर से सहायता प्राप्त करने के कार्य में भी रोड़े नहीं अटकाये। इसलिये मैं सरकार को, विशेषतया प्रधान मंत्री को, बधाई देता हूँ कि वह अपनी इस नीति पर इतनी कठिन परीक्षा के अवसर पर भी दृढ़ रहे। इस नीति ने, उन लोगों के समक्ष भी जो इस नीति के आलोचक थे, यह सिद्ध कर दिया है कि किस

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार यह अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सफल सिद्ध हो सकती है और वह राष्ट्र अब बिना इस नीति को त्यागे भी सहायता देने के इच्छुक हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा था कि भारत पर हुये आक्रमण के सम्बन्ध में हमारा दुनियां के राष्ट्रों से, विशेषतया तटस्थ राष्ट्रों से, समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना उचित नहीं था क्योंकि वह यदि एक स्वर से भारत का समर्थन कर देते तो यह भी एक प्रकार की गुटबंदी ही हो जाती। तटस्थता का वह क्या अभिप्राय समझते हैं। जब दुनियां के अन्य स्थानों पर ऐसी घटनायें हुई थीं---स्वेज पर आक्रमण हुआ था---तब वह यह आशा करते थे कि विश्व के सारे राष्ट्र एक स्वर से पश्चिमी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध आवाज़ उठायें; किन्तु आज वह कहते हैं कि इस प्रकार का कार्य एक प्रकार की गुटबंदी होगा। तटस्थता के सिद्धान्त का सार ही यही है कि राष्ट्र में इतनी निर्बाध स्वतंत्रता रहे कि वह अन्याय और आक्रमण के विरुद्ध---चाहे वह किसी भी गुट की ओर से हो---आवाज उठा सके। जो राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकते उनके विषय में हमें यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि क्या दुनियां के सारे राष्ट्रों की दृष्टि में तटस्थता का वही अर्थ है जो हमारी दृष्टि में? यह सत्य है कि कुछ अनुभव और कुछ परिस्थितियों के दवाब को देखते हुये हम यह नहीं कह सकते कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के प्रति अन्य राष्ट्रों का वही दृष्टिकोण है, जो हमारा। कई बार कहा जा चुका है कि तटस्थता की कई कोटियां हैं। कुछ ऐसे राष्ट्र अपने को तटस्थ कहते हैं जिन्हें दोनों गुटों में से किसी में स्थान नहीं मिला अथवा जो दोनों गुटों से लाभ की आशा करते हैं। किन्तु, मुझे हर्ष है कि, हमारी सरकार ने जिस प्रकार इस नीति का पालन किया है उसे देखते हुये कोई भी हमारे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता। किन्तु हमें यह समझना चाहिये कि तटस्थ राष्ट्रों में से ऐसे भी हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जिन्होंने गुटों से पृथक रहते हुए भी अपने को सैनिक दृष्टि से काफ़ी सशक्त बना लिया है और जो अपने चहुं ओर राजनीतिक, सैद्धांतिक और सैनिक रक्षा से निरन्तर दवाब डाल रहेहैं। तटस्थ अथवा अल्प-विकसित राष्ट्रों में मूर्तिमान इन विभिन्न राजनैतिक दृष्टिकोणों की हम अवहेलना नहीं कर सकते। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि अल्पविकसित राष्ट्रों में विचार-साम्य की बात कपोल-कल्पित है और इन अल्पविकसित राष्ट्रों में भी इन समान विचार वाले राष्ट्रों की विचारधारा, जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं किन्तु एकतन्त्रवाद में नहीं, एक ही ओर अभिमुख है।

चीन कभी-कभी अपने को तटस्थ बताने का ढोंग करता है। यह एक अल्प-विकसित राष्ट्र है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुये और इस रूप में सहानुभूति की अपील करते हुये वह अल्पविकसित और तटस्थ राष्ट्रों के विभेद को अस्पष्ट बनाने का प्रयत्न करता है। किन्तु वास्तव में चीन तटस्थता में नहीं अपितु युद्ध में विश्वास करता है। तटस्थता की युक्तिसंगतता के प्रश्न पर ही उसका रूस के साथ मतभेद है।

चीन ने हमारे विरुद्ध एक कूटनीतिक युद्ध का अभियान किया है। चीन को प्रचुर सुविधायें उपलब्ध हैं। विश्व के प्रत्येक अल्पविकसित राष्ट्र में उसके पंचमार्गी विद्यमान हैं। वह सैद्धांतिक विस्तारवाद के युद्ध में रत है। वह अन्तर्राष्ट्रीय आचरण-संहिता में विश्वास नहीं करता। उसका रेडियो निरन्तर निन्दास्पद प्रचार में व्यस्त है। हम संकोच और अनिश्चय की अवस्था में इसका सामना नहीं कर सकते।

हम चीन के साथ युद्ध स्थिति में हैं। आज युद्ध का अर्थ युद्ध क्षेत्र में होने वाले युद्ध से ही नहीं अपितु विचारों के युद्ध और जीवन के युद्ध से भी है। हमें इन सब प्रकार के युद्धों के लिये अपने को तैयार करना है।

बहुत से अल्पविकसित राष्ट्र ऐसे हैं जो अपनी सुरक्षा के अथवा आर्थिक कारणों से गुटों में सम्मिलित हो गये हैं। हमें केवल इसी कारण उनकी ओर से उदासीनता का दृष्टिकोण अपना कर उनकी सहानुभूति नहीं खो देना चाहिये। हमें केवल संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्रों से ही नहीं अपितु सारे राष्ट्रों से इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिये। और केवल उनकी सम्बन्धित सरकारों से ही नहीं अपितु वहां की जनता तक विभिन्न संस्थाओं– कार्मिक संघ, युवक संगठन, पत्रकार संगठन आदि– के माध्यम से पहुंच कर चीन के विरुद्ध इस कूटनीतिक युद्ध में विजयी होने का प्रयास करना चाहिये ।

विदेशों में प्रचार के सम्बन्ध में मैं पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि कुल ५१ सूचना यूनिट हैं। यह किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? केवल साहित्य प्रकाशित करके वितरित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इन्हें सरकार का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिये और जिस राष्ट्र में यह यूनिट कार्य कर रहे हैं उनकी जनता की मनोवृत्ति की हमारे दृष्टिकोण के अनुकूल तैयार करने की क्षमता इनमें होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इनका वितरण भी विषम है। अफ्रीका में ६, दक्षिणी अमरीका में २ यूरोप में १२ और एशिया में २० ऐसे यूनिट हैं।

अन्तिम बात मैं राजदूतों को अधिकृत किये जाने के बारे में कहना चाहता हूं। रियोडि जनेरो में स्थित हमारे राजदूत को वेनेजुएला के लिये अधिकृत किया गया है और चिली स्थित राजदूत को कोलम्बिया के लिये अधिकृत किया गया है जो कि लेटिन अमरीका के दूसरे छोर पर है। उन्हें पेरू, बोलिविया और ब्राज़ील के पार उड़ कर जाना होता है। इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कुछ अन्य राजदूतों को भी करना पड़ता है।

मैं समय के अभाव के कारण अन्य विषयों को नहीं उठाना चाहता। मुझे आशा है कि सरकार अपनी तटस्थता की नीति में इस प्रकार सुधार करेगी कि यह अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभा सके।

†**श्री मेनन** (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह एक कष्टदायक बात है कि भारत जैसे राष्ट्र को जो तटस्थता की नीति और विवादों के शान्तिपूर्ण हल में विश्वास करता है इस प्रकार चीन के साथ सशस्त्र युद्ध में भाग लेना पड़ रहा है।

चीन के अभिप्राय को, और उसके अगले कदम को समझना कठिन है। किन्तु यह हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि यदि चीन ने फिर आक्रमण किया तो इसका सामना दृढ़ता के साथ किया जायेगा। चीन के आक्रमण ने हमारी तटस्थता की नीति की उपयोगिता और सार्थकता को सिद्ध कर दिया है।

आरम्भ में, विशेषतया, पूर्वी क्षेत्र में हमें पराजय का सामना करना पड़ा था। इस पराजय का कारण क्या था, यह सोचने का कोई लाभ नहीं। महत्व की बात तो यह है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेनन]

तटस्थता की नीति की विजय हुई है। यह तटस्थता की नीति हमें अपनी प्रतिरक्षा के लिये अन्य राष्ट्रों से सहायता मांगने से नहीं रोकती।

चीन के साथ समझौता वार्ता का आधार कोलम्बो प्रस्ताव हों अथवा अन्य कोई प्रस्ताव। जहां तक समझौता वार्ता की कोई सार्थकता है हम इसके लिये सदैव तैयार हैं और हमारे प्रधान मंत्री ने इसके महत्व पर कई बार बल दिया है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग है जो कई राष्ट्रों के संगम पर स्थित है। चीन के आक्रमण के पश्चात इस स्थान का महत्व बहुत बढ़ गया है। किन्तु अभी मैं नेपाल, सिक्किम और भूटान के सम्बन्ध में ही अपना भाषण सीमित रखूंगा।

हाल ही में श्री लाल बहादुर शास्त्री नेपाल के दौरे पर गये थे और इस घटना ने राजनैतिक संबंधों में कुछ सुधार किया है। हम किसी भी राष्ट्र की मैत्री अथवा उसका अनुराग उसे कुछ भौतिक सहायता पहुंचा कर प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिये आवश्यकता है मानवीय भावनाओं, सहानुभूति और सद्भावना की। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों को अधिक अच्छा करने का एकमात्र उपाय यही है कि यहां की जनता नेपाल की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता का सम्मान करे। नेपाल से हमारी मित्रता का अर्थ कुछ लाभ अथवा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुविधायें प्राप्त करना नहीं है। कई बार कहा गया है कि इस मैत्री का आधार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बन्धुत्व, आर्थिक सह-निर्भरता और भौगोलिक सन्निकटता है। किन्तु इनसे महत्वपूर्ण कारण भी हैं। हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये हजारों नेपाल के सपूत सीमांत पर लड़ रहे हैं। वह एक क्षण के लिये भी यह नहीं सोचते कि वह किसी दूसरे राष्ट्र की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं। वह भारत के सम्मान को ही अपना सम्मान समझते हैं।

दूसरी बात यह है कि लगभग ३० लाख नेपाली भारत में बसे हुये हैं। उन्हें वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो भारत के नागरिकों को हैं। कुछ तो विधान सभाओं और संसद् के लिये भी चुन लिये जाते हैं। भारत की सहायता और सद्भावना के कारण ही नेपाल १९५० की क्रान्ति में सफलता प्राप्त कर सका था। नेपाल को भी अपना भाग पूरा करना है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा है। यदि नेपाल ने कोई भी कदम गलत उठाया तो वह चीन के विकराल जबड़ों में जा गिरेगा।

हमें नेपाल का अपने इस दृढ़ निश्चय से अवगत करा देना है कि आवश्यकता के समय भारत उसकी सहायता के लिये तत्पर रहेगा। उसे इस बात का विश्वास दिला देने पर भारत को नेपाल की जनता की ओर से असीम प्यार और विश्वास प्राप्त हो जायेगा।

अब मैं भूटान और सिक्किम के विषय में कुछ शब्द कहूंगा। सिक्किम का भी काश्मीर की तरह भारत संघ में प्रवेश किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये। वहां के ४ महत्वपूर्ण कार्य—विदेशी नीति, प्रतिरक्षा, संचार और मुद्रा—पहले से ही भारत सरकार के अधीन हैं। किन्तु इस प्रश्न को उठाये जाने के पूर्व वहां के नरेश का और वहां की जनता का परामर्श लेना आवश्यक है।

भूटान के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने उसके प्रति अपनी नीति को नहीं बदला तो एक दिन भूटान हिमालय प्रदेश की प्रतिरक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। भूटान की प्रतिष्ठा सिक्कम से भिन्न है। १९४९ की संधि के अनुसार भूटान के विदेशों

से सम्बन्ध भारत के परामर्श के अनुसार होते हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने भी कई बार कहा है कि भूटान पर कोई भी आक्रमण भारत पर आक्रमण समझा जायेगा ।

भूटान की जनता के हृदय में हमारे देश के प्रति प्रेम है । वहा के स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है । भूटान अब दूसरे देशों से पृथक नहीं है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुये और इस आपातकालीन परिस्थिति में मंडराते हुये चीनी संकट को ध्यान में रखते हुये क्या यह उचित नहीं है कि हम भूटान के साथ एक नई संधि के प्रश्न पर विचार करें जिससे कम से कम इन दोनों देशों के प्रतिरक्षा प्रबन्ध और प्रतिरक्षा संगठन अधिक अच्छे हो सकें ?

अन्त में मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा । परिशिष्ट २ में कुछ त्रुटियां हैं जो सम्भवतः कर्मचारियों की असवाधानी के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं । इस परिशिष्ट का शीर्षक है "विदेशों में भारतीय सूचना यूनिट"। किन्तु इसके अन्तर्गत कालिम्पोंग का नाम भी दिया हुआ है जो वस्तुतः भारत का अंग है। कलिम्पोंग में सूचना यूनिट स्थापित किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। किन्तु मेरा कहना यह है कि ऐसा एक यूनिट पेरो में क्यों नहीं रखा जाता जो भूटान की ग्रीष्मकालीन राजधानी है ? हम बड़े हरों में ऐसे यूनिट रखते हैं किन्तु हम इन छोटे शहरों में जो बहुत महत्व के हैं इन्हें क्यों नहीं रखते ?

अन्त में मैं सरकार से अपील करूंगा कि हम अपने छोटे पड़ौसी राज्यों को अधिक अच्छी तरह समझने का और अपना दृष्टिकोण उन्हें समझाने का प्रयास करें ।

†श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो कुछ हमारे प्रधान मंत्री के लिए कहा है, उसे सारे राष्ट्र के लिए समझा जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान का हमारे प्रति जो व्यवहार है, और जिस दृष्टिकोण से वे हमारी ओर देखते हैं, वह अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है । हमने हमेशा आचरण के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा रखा है । व्यवहार का यहां तक प्रश्न है, एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि जब हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बीच में चीन से समझौता कर लिया । जब कि चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण की पृष्टभूमि में ही सब कुछ हो रहा था । भारत ने काफी सन्तोष से काम लिया । परन्तु वार्ता के कई एक दौरों ने मामला गम्भीर बना दिया । पाकिस्तान ने सारी शराफत को ठुकरा दिया है और मानवीय मूल्यों की कोई परवाह नहीं की ।

हाल ही में चीन ने अपने रूस से सम्बन्धों के बारे में कुछ घोषणायें की हैं । कुछ भी हो एक बात स्पष्ट है कि चीन युद्धनीति में विश्वास रखता है और उसकी आकांक्षा यह है कि सभी देशों को अपने अधीन कर लिया जाय । इस मनोवृत्ति के कारण भारत को ही नहीं, भारत के आस पास रहने वाले सभी पड़ौसी देशों को भी चीन से पूरा खतरा है। मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के राष्ट्रों का हित इसमें ही है कि चीन को आगे बढ़ने से रोका जाय । चीन के हमले के सम्बन्ध में हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिएं ।

इसी सम्बन्ध में मेरा यह भी निवेदन है कि चीन का प्रचार बहुत अधिक है और हम इसके प्रति बहुत ही उदासीन है। मेरा अनुरोध है कि विदेशों में हमारे प्रचार में सुधार

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मुहम्मद इस्माईल]

होना चाहिए ताकि हमारी नीति और विशेष रूप से मध्य पूर्व एशिया में हमारी विचार धारा के बारे में समुचित जानकारी हो सके। बहुत लोगों को हमारे दृष्टिकोण के बारे में बिलकुल ज्ञान ही नहीं है।

हज की यात्रा के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए अधिक संख्या में लोगों को अनुमति दी जाय। हज के लिए जाने वाले लोगों को स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र लेना चाहिए। ठीक स्वास्थ्य के बारे में जो बीमारियां अनर्ह समझी जाती हैं उनकी सूची संशोधन कर बहुमूत्र जैसे असंक्रामक रोग उसमें से पृथक कर दिये जांय। सऊदी अरब सरकार से प्रार्थना की जाय कि वे हज यात्रियों के लिए अधिक संख्या में गाइड नियत करें।

†श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं मैं अपनी विदेशी सेवाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ वर्ष हुए मुझे विदेशों में अपने दूतावास देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यद्यपि इन विदेशी सेवाओं का निर्माण हुए १५ वर्ष ही हुये हैं, परन्तु हमारे मिशनों और कौंसलर सेवाओं का कार्य उत्कृष्ट रहा है। हमारी सेवाओं में निरन्तर सुधार हो रहा है। परन्तु फिर भी उन देशों के दूतावासों से अभी मुकाबला नहीं हो सकता जिनकी स्थापना हुए शताब्दी से भी ऊपर का समय गुजर चुका है। हमें तो यहां तक कठिनाई रही है कि समुचित कार्यों के लिए समुचित व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं होते रहे।

मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है कि नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरे हैं। गृह-कार्य मंत्री का वहां जाना काफी लाभदायक रहा है। मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से भी सहमत हूँ कि हमें सिक्किम और भूटान के प्रति अपने सम्बन्धों में अत्यन्त जागरूक और सचेत रहना चाहिए। हमें अपने पड़ौसियों के हितों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारे दो निकट पड़ौसियों ने हमारे लिए गम्भीर समस्यायें पैदा कर दी हैं।

जम्मू और काश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त, १९४७ से ही इस राज्य का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसका जो भाग जम्मू और काश्मीर के कब्जे में है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामरिक दृष्टि से उसके बहुत स्थल बहुत ही महत्व के हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ता चल रही है। परन्तु इस वार्ता का कोई परिणाम निकलेगा, इसकी मुझे कोई आशा नहीं। अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों की स्थिति भी अनिश्चित सी हो गयी है। मेरा मत यह है कि युद्ध विराम रेखा के आधार पर काश्मीर में तदर्थ स्थिति हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी। अब समय आ गया है कि इसके बारे में निश्चित रूप से कोई फैसला होना चाहिए।

कोई संदेह नहीं कि हमारे दूतावासों के कार्यों के परिणामस्वरूप चीन दुनियां भर से अलग थलग हो गया है। कुछ राष्ट्रों को छोड़ कर लगभग सभी राष्ट्रों ने चीन के इस आक्रमण की निन्दा की है और हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट की है। हमें अपने प्रचार को बढ़ाना चाहिए। विदेशों के हमारे प्रचार-कार्य में सुधार की आवश्यकता है। हमारा प्रचार कार्य काफी कमजोर है। मेरा यह भी मत है कि अविवाहितों को हमारे विदेश मिशनों

†मूल अंग्रेजी में

में भर्ती करके उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मिशनों के सम्बद्ध वाणिज्यिक सचिवों को वाणिज्य तथा उद्योग का समुचित ज्ञान होना चाहिए।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : तटस्थता की नीति पर काफी देर से चल कर और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्तर निर्माण कर हम आज इस सम्बन्ध में कुछ उलटी सीधी बातें करते नजर आ रहे हैं। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी तटस्थता की नीति ही ठीक नीति है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे संसार की दृष्टि में हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है। यहां तक कि अमरीका ने भी हमारे दृष्टिकोण की सराहना की है। हमें एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि चीनियों का उद्देश्य हमें पश्चिमी गुटों में धकेलना है। हमें उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए और पूर्ण जागरूकता का परिचय देते हुए अपनी नीति पर दृढ़ रहना चाहिए।

विदेशों में हमारे दूतावासों के कार्य में सुधार होना चाहिए। हमारे मिशनों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका रवैया नागरिकों के प्रति ठीक नहीं होता है। कई बार तो उनका व्यवहार बहुत ही बुरा होता है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि विदेशों में हमारे विद्यार्थियों और व्यापार को हमारी विदेश नीति का साधन समझा जाये। उन्हें उन समस्त घटनाओं की पूर्ण जानकारी कराई जानी चाहिए जो कि हमारे देश में घट रही हैं। सभी प्रकार का साहित्य उन्हें दिया जाना चाहिए।

गत दिसम्बर को मैं आसाम और नेफा में गया था। वहां विभिन्न लोग रहते हैं और कई भाषायें बोलते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विशेष समुदाय अथवा भाषायी वर्ग को आसाम राज्य में मतभेद पैदा करने न दिया जाय। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि घुसपेठ न हो। हमें यह भावना निर्माण करनी चाहिए कि इस आपात में आसाम के लोग समस्त भारत के साथ एकत्व की भावना को महसूस करें और चीनी आक्रमण का पूर्ण रूप से मुकाबला करें।

श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं फारेन एफेयर्ज के संबंध में अपनी भावनायें आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, मैं माननीय सदस्य, श्री हेडा, को धन्यवाद देता कि कांग्रेस की ओर से इलैक्ट होने के बाद भी उन्होंने हमारी एम्बैसीज और विदेशों में स्थित हमारे राजदूतों के संबंध में अपनी सच्ची भावनायें इस सदन के सामने प्रकट कीं। मैं भी इस विषय पर कुछ बोलना चाहता था, परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, श्री हेडा, के भाषण के पश्चात् इस संबंध में पुनः कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि विदेशों में हमारे जो राजदूत रहते हैं, हमारे लिये वे विदेशी हैं, हो सकता है कि जिन देशों में वे स्थित हैं, उनके लिये वे देशी हों। हमारे देश के जो लोग विदेशों में जाते हैं, उनके लिये इस देश के राजदूतों से मिलना और उनसे संबंध स्थापित करना लगभग असंभव सा होता है। यहां के किसी सैंट्रल मिनिस्टर से संबंध स्थापित करना सहल है, परन्तु दूसरे देशों में जाने के बाद वहां पर अपने राजदूतों से मिलना एक महान प्राबलम है।

जहां तक नागालैंड का संबंध है, एक बात को मैं आज तक नहीं समझ सका हूं। हमारे देश की जितनी प्रांतीय समस्यायें हैं, वे होम विभाग के द्वारा तय होती हैं, परन्तु नागालैंड को विदेश विभाग में रखा गया है। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार को इस बात का विश्वास और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

कान्फिडेंस नहीं है कि वे लोग हमारे हैं ? इस बारे में मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। अभी चन्द दिन की बात है कि जिन मि० स्काट के यहां मि० फिजो भारत से भागने के बाद रहे, वही मि० स्काट हमारे देश में पधारे और उसके बाद चाइना को जाने वाली शांति यात्रा पर गये। उस कांट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मि० स्काट ने मि० फिज़ो को हमारे देश के विरुद्ध षड़यंत्र करने में सहयोग दिया और अपने पास रखा, वही मि० स्काट मि० फिज़ो का एक पत्र लेकर आदरणीय प्रधान मंत्री के पास गये, परन्तु आज तक देश को नहीं बताया गया है कि उस पत्र में क्या था। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब वह नागालैंड की प्राबलम को, पांच लाख लोगों की छोटी सी समस्या को हल करने में सफल नहीं हैं, तो फिर देश के सामने उपस्थित इतने बड़े बड़े खतरों का मुकाबला और इतनी बड़ी समस्याओं को कैसे हल कर सकती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

विदेशों में स्थित हमारे राजदूतों के संबंध में एक पक्ष तो माननीय सदस्य, श्री हेडा, ने इस सदन के सामने रख दिया है। जो दूसरा पक्ष शेष रह गया मैं उसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज सारे संसार में हमारे दूतावास बिखरे पड़े हैं और उन पर विशेषत: अमरीका और इंग्लैंड में, बहुत खर्च हो रहा है। जब देश पर चाइना का एग्रेशन हुआ, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर को संसार के साठ देशों को विशेष पत्र भेजने पड़े। विदेशों में स्थित हमारे राजदूतों की लियाकत पर इससे ज्यादा बट्टा क्या होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये पत्र भेजने की आवश्यकता अनुभव हुई। अगर हमारे राजदूत काम्पीटेंट होते, तो प्राइम मिनिस्टर को किसी प्रकार का पत्र या सूचना भेजने की आवश्यकता न होती। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि भारतीय राजदूत उन देशों के शासनाध्यक्षों और नायकों के सामने प्रधान मंत्री जी के उस पत्र की भावना को भी स्पष्ट नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप भारत को पुन: एक संशोधन-पत्र भेजना पड़ा। हमारे राजदूतों की योग्यता का यह एक चित्र है, जो कि मैंने आपके सामने रखा। यह कितने दु:ख की बात है कि हमारे दूतावासों पर इतना ज्यादा खर्च हो रहा है और उनके सामने इतना बड़ा कार्यक्रम था, फिर भी वे अपने कर्त्तव्य में असफल रहें। इस प्रकार के एक नहीं, अनेक प्रमाण मैं आपके सामने रख सकता हूं।

अब मैं असाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखना चाहता हूं। वहां पर काफी बड़ी मात्रा में मुसलमान पाकिस्तान से आ चुके हैं। मैं इस बात को न केवल प्रधान मंत्री के सामने बार-बार रख चुका हूं, बल्कि इस समस्या के बारे में इस सदन में भी कई बार बोल चुका हूं। इतने इम्पार्टेंट मैटर को हिन्दू-मुसलमान का कलर न दिया जाये। मैं तो सिर्फ नैशनल प्वायंट ऑफ व्यू से, देश की सुरक्षा के विचार से, इस समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि हम सब महसूस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से भी गम्भीरता जाहिर होती है, यदि कोई नवीन संकट खड़ा होने की आशंका है अगर कोई षड़यंत्र हमारे सामने पुन: आया, तो क्या हम आसाम को बचा सकेंगे ? आसाम को बचाने के लिये नितांत आवश्यक है कि इस प्रकार के जितने भी लोग बगैर परमिट के वहां आ गये हों, उन सब को पूरी सख्ती के साथ वापस भेज दिया जाये।

पाकिस्तान के साथ चल रही समझौता-वार्ता के संबंध में कई सज्जनों ने बड़े अच्छे विवेचन के साथ सदन में अपने विचार रखे। हो सकता है कि यह समझौता-वार्ता सफल हो, हो सकता है कि यह असफल हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार करोड़ों हिन्दुओं ने अपने आपको शरणार्थी बना कर उस पाकिस्तान को छोड़ा, जो कि थोड़े ही दिन पहले भारत का हिस्सा था। आज उन

क्षेत्रों के हिन्दुओं में यह भावना फैल रही है, उनके हृदय में यह डर है कि कहीं ऐसा न हो कि पहले की तरह हमारी सरकार कोई इस प्रकार का समझौता कर ले, जो उन क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दुओं को पुनः शरणार्थी बनने के लिये विवश कर दे। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। देश की ये समस्यायें ऐसी नहीं हैं, जिनको छोटा समझ कर छोड़ दिया जाये। इस प्रकार की समस्याओं से सारे संसार की शांति और स्थिरता डांवाडोल होने लगती है। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं पर इसी गम्भीर दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा।

जहां तक फारेन पालिसी का संबंध है, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस के कई मित्रों ने फारेन पालिसी की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि वह बड़ी कामयाब साबित हुई है। परन्तु मैं बड़े दुःख और साहस के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा असफल पालिसी संसार में कहीं भी नहीं हो सकती। चाइना का हम पर हमला हुआ बताया जाये किन किन राष्ट्रों ने चाइना के बारे में इस प्रकार के शब्द कहे, जिन में चाइना के प्रति घृणा प्रकट होती हो। ऐसी कोई बात नहीं कही गई। हमारे पास सहानुभूति के जो पत्र आये, उनका मूल्य मैं केवल इतना मानता हूं कि जैसे अंग्रेजी के शब्द "सारी" का प्रयोग। अगर कोई बात हो गई, तो झट "सारी" कह दिया बस सारा झगड़ा खत्म हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे देशों से सहानुभूति के पत्र आना तो स्वाभाविक था, प्रश्न यह है कि क्या दूसरे कंट्रीज ने हमारी इस मान्यता को माना कि चाइना एग्रेसर है और उसने भारत पर हमला कर निन्दनीय कार्य किया है। ऐसी कोई स्थिति जब नहीं हो सकी तो यह इस बात का प्रमाण है कि संसार के राष्ट्रों से हम उस प्रकार की सद्भावना प्राप्त नहीं कर सके जो भारत के लिये अपेक्षित थी।

अपनी मानसिक स्थिति का एक विचार मैं आपने सामने रखना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी की तरफ से कहा जाता है कि अगर इस बार चीन ने हम पर पुनः हमला किया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है। परन्तु उसमें मैं एक संशोधन करना चाहता हूं। मेरा ऐसा आत्म-विश्वास है कि अगर हमला हुआ तो वह चीन के द्वारा नहीं बल्कि पाकिस्तान के द्वारा चीन करवायगा और उस वक्त अमरीका और इंग्लैंड की तौल-नाप की जायेगी। अगर अमरीका तथा इंग्लैंड उस वक्त भारत के साथ होते हैं तब चीन निर्णय करेगा कि अब उसे क्या करना चाहिये। मैं ऐसा विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारे ऊपर अगर पुनः हमला हुआ तो वह चीन के द्वारा होगा बल्कि मेरा मन कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि अगर आयंदा भारत पर हमला हुआ तो वह चीन की भावनाओं के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा कराया जायेगा। उसकी एक मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान ने जो जमीन चीन को सौंप दी, पाकिस्तान ने जो भूमि चीन को दे दी वह अपनी नहीं बल्कि जिस जमीन का झगड़ा था, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी अनेक बार कह चुके हैं कि एक एक इंच जमीन को हम पाकिस्तान से वापिस लेंगे, और जैसा कि अब चीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक एक इंच जमीन हम वापिस लेंगे। वह जमीन अब हमारे लिये एक तूफान बन गई है। अब उस जमीन को भारत किस तरह से वापिस लेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब बड़ी क्लीयर पोजिशन हमारे सामने है। जब तक चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ आप में लड़ने की सामर्थ्य नहीं जो भी हिस्सा उन्होंने हथिया लिया, जो भी हिस्सा उनके कब्जे में चला गया है, उसको आप उनके कब्जे से निकाल नहीं सकते।

अब मैं मुजाम्बीक के भारतीयों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। बताया जाता है कि २३०० भारतीय वहां से आ चुके हैं और साठ करोड़ के करीब उनकी जायदाद इत्यादि वहां रह गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी विदेशी नीति के बारे में जब यह कहा जाता है कि वह अत्यन्त सफल रही है, उसकी इससे बड़ी फेल्योर और क्या होगी कि हमारे देश के वासी, हमारे

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

सिटिजन जिनकी संख्या कोई २३०० थी, वे साठ करोड़ रुपये की सम्पत्ति वहां छोड़ कर आ गये हैं और हमारी सरकार चुपचाप बैठी है। हमारे बड़े बड़े जनरल पकड़े जायें, पुलिस के सिपाही पकड़े, हमारे अनेकों आदमी पाकिस्तान पकड़ ले जाये, परन्तु हम कुछ न कर सकें, इससे बड़ी असफलता और क्या हो सकती है। सरकार की बेबसी और कमजोरी हमारे सामने है। इस तरह की प्रवृत्ति क्यों दृष्टिगोचर होती है ? इसका एक ही कारण है कि सरकार ने इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि हम संसार में बलवान राष्ट्र के रूप में खड़े हों इसका नतीजा है कि इस तरह की कमजोर एवं राष्ट्रीय अपमान का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम बलवान बने होते तो इस तरह का अपमान हमारा न हुआ होता। पर हमारी स्थिति विपरीत रही। आज सत्य स्थिति यह है कि दबने का कार्यक्रम केवल भारत ने ही अपना लिया है और किसी ने नहीं हमने ही दबना सीख लिया पर और किसी ने नहीं सीखा है।

कहा जाता था कि अगर हम कोलम्बो प्रोपोजल्ज को नहीं मानेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि संसार के अन्य राष्ट्र हमारे साथ नहीं रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि चीन ने आंखें दिखा कर भारत पर हमला किया और हमला करने के बाद सारे संसार को आँखें दिखा कर कोलम्बो प्रोपोजल्ज को फैंक और सारे संसार को आँखें दिखा दीं और किसी की बात नहीं सुनी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री बिशनचंद्र सेठ : मैंने तेरह मिनट लिये हैं, बाकी सभी ने पन्द्रह पन्द्रह मिनट लिए हैं। मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

अगर इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने न होती तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संसार की कोई भी शक्ति हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती थी। परन्तु हमारी यह दशा है कि कोई भी कंट्री हमारे मेजर जनरल उठा ले जायें, हमारे पुलिस के परसनेल उठा ले जायें, हम कमजोर नीति अपनाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। उसी कमजोरी का यह फल है कि आज संसार के सामने भारत उपहास का पात्र बना हुआ है।

चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया है, उसके संबंध में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। केवल बड़े बड़े मिनिस्टर्ज की स्पीचिज से अथवा मानसिक संतोष कर लेने से कि हमारा देश तैयार है, बात नहीं बन सकती है। जिस प्रकार का टैम्पो चीनी हमले के वक्त भारत में बना था, आज वह सारे का सारा नष्ट हो चुका है और लोगों के अन्दर अजीब अजीब प्रकार की भावनायें आ चुकी हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की यह लड़ाई केवल औजारों या हथियारों से नहीं जीती जा सकती है, लड़ाई को जीतने के लिए नितान्त आवश्यक है कि हम इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का टैम्पो बनायें ताकि आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए देश तैयार हो सके। यह कल्पना करना कि लड़ाई नहीं होगी, बड़ी भारी फंडेमेंटल मिस्टेक, बड़ी भारी ऐतिहासिक भूल होगी।

†**डा० गायतोंडे** (गोआ, दमन और दीव) : जहां तक हमारी विदेश नीति का प्रश्न है वह तो ठीक ही है। परन्तु यह खेद की बात है उसे कार्यान्वित करने में कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसा भी है कि कई एक देशों में जो लोग राजदूत बना कर भेजे जाते हैं, वे वहां की भाषा नहीं जानते। हमें अपनी विदेश नीति को कार्यान्वित करने में जागरूकता का परिचय देना चाहिये। दक्षिण अमरीकी देशों में जो भी व्यक्ति मिशनों में भेजे जायें उनमें से एक पुर्तगाली भाषा जानने वाला राजदूत रखना चाहिए और दूसरा वह व्यक्ति हो जो स्पेनिश भाषा जानता हो।

---

†मल अंग्रेजी में

एक और भी खेदजनक तथ्य मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे दूतावासों के शिक्षा विभाग संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। और तो और वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान नहीं देते।

अफ़्रीकी देशों में आज कल भीषण संघर्ष चल रहा है। हमें अफ़्रीका में उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमें उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और उनके साथ कुछ सम्पर्क बनाना चाहिए। अफ़्रीका में पुर्तगाली बस्तियों से आये हुए विद्यार्थियों को छात्र-वृतियां दी जानी चाहिये। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें प्रशासन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए गोआ में आने का निमंत्रण दिया जाय।

गोआ में श्रमिक नियम लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये। स क्षेत्र में बेकारी बढ़ रही है, इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। वहां विकास कार्यों को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए अधिक धन राशि स्वीकृत की जाय। भारत में जो तीसरी योजना चल रही है और हमारी अभी प्रथम योजना भी आरम्भ नहीं हुई है।

†**श्री इकबाल सिंह** (फीरोजपुर) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करना हूं। हम तट-स्थता की नीति के समर्थक हैं। इस नीति के बारे में सदन में और सदन के बाहर काफी चर्चा हो चुकी है। चीनी आक्रमण के समय पर इस नीति पर कुछ चोट लगी थी। अब हालात साफ हो रहे हैं। बात स्पष्ट हो रही है कि किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति ही अच्छी नीति है। यह ठीक ही है कि सरकार उसका अनुसरण कर रही है। मेरे विचार में यह उसी नीति का फल है। आज इस नीति को सर्वत्र सराहा जा रहा हैं।

जब हम अपनी तीसरी योजना को पूरा करने में लगे हुए थे, हमारे बड़े पड़ौसी चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया जिससे हमारे सदियों पुराने संबंध टूट गये। हमें चीन का उनके अपने देश में, फारमोसा में और विदेश में मुकाबला करना है। फारमोसा और चीन परस्पर विरोधी होते हुए भी कुछ नीतियों पर सहमत हैं। विदेशों में विशेषत: दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का बहुत प्रचार है जहां हमें अपने शिष्टमंडल भेज कर उनके प्रचार का मुकाबला करना है।

चीन के साम्यवाद के बारे में स्टालिन ने कहा था कि वे बाहर से लाल और अन्दर से सफेद है अर्थात् विस्तारवाद उनकी नीति का अंग है। अत: हमें विस्तारवाद का सामना करना पड़ रहा है। चीन के शासक मामलों को उलझाने में बहुत कुशल हैं। वे लम्बे लम्बे पत्र लिख कर उसमें मामले को उलझा देते हैं। माओ सी तुंग की जीवन गाथा के लेखक एडगर स्नो ने लिखा है कि उनकी दृष्टि बर्मा इंडोचाइना आदि अनेक प्रदेशों पर गड़ी हुई। पर आशा है वहां पर भारत को सी हालत नहीं होगी।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम** (बेल्लारी) : माओ सी तुंग की नीति है कि राजनैतिक शक्ति बंदूक की नाली से प्राप्त की जाती है। जबकि हमारी नीति विपरीत अधिकतम अंगों का मत ग्रहण करना है। चीन ने हम पर आक्रमण कर बड़ा आघात पहुंचाया है। कोलम्बो प्रस्तावों के संबंध में अब उसका कथन है कि उन प्रस्तावों के दो स्पष्टीकरण दिये गये हैं जिसे वे मानने के लिये तैयार नहीं। हमने कोलम्बो प्रस्ताव को स्वीकार करके राजनयिक विजय प्राप्त की है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हूये]

देश और विदेश में बहुत से लोग हमारी तटस्थता की नीति का विरोध कर रहे हैं, किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड के अनुसार शान्ति की नीति यही है। हमें इस संकट में सभी देशों से विशेषत:

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री टे० सुब्रह्मण्यम]

अमरीका इंग्लैंड और रूस से भी सहायता मिली है। लाओस के संबंध में रूस और अमरीका दोनों ने तटस्थता की नीति को स्वीकार किया है और अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों द्वारा तटस्थता की नीति अपनाए जाने का समर्थन कर रहे हैं।

चीन और रूस का पारस्परिक विरोध केवल विचारधारा संबंधी नहीं प्रत्युत अधिक गहरा है। रूस शांति के पक्ष में है क्योंकि उसने दो महायुद्धों की विभिषिका देखी है और वह जानता है कि अणु युद्ध में सबका ही विनाश है। किन्तु चीन युद्ध का आकांक्षी है।

यूरोप के देश राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के आधार पर परस्पर विद्विष की भावना को छोड़ कर एक संघ के रूप में संगठित होने की बात सोच रहे हैं। टायनबी के शब्दों में उनमें यह भावना जग रही है कि या तो राजनैतिक दृष्टि से विश्व को संगठित हो जाना चाहिये अन्यथा बड़े पैमाने पर आत्मघात का सामना करना होगा। अफ्रीका और एशिया भी यही विचार कर रहे हैं। डीगाली यूरोप के राष्ट्रों का संगठन कर ऐसी शक्ति का निर्माण करना चाहते है जो अमरीका और रूस के मध्य की कड़ी हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ के ११० राष्ट्र शांति के पक्ष में हैं। केवल अकेला चीन युद्ध का पक्षपाती है। जिनेवा में निशस्त्रीकरण की वार्ता में काफी सफलता मिली है। अमरीका चाहता है कि अणु के प्रयोगात्मक विस्फोटों के संबंध प्रायः ८ बार निरीक्षणों का अधिकार होना चाहिये।

काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान से वार्ता हो रही है। मैं कामना करता हूं कि हमारे सुयोग्य प्रतिनिधि श्री स्वर्ण सिंह सफल हों क्योंकि काश्मीर अनिश्चितता की भावना प्रदेश के विकास के लिए घातक है।

कभी बुरी बातों का भी लाभ होता है। चीन के आक्रमण ने हमारी शिथिलता को समाप्त कर दिया है और हम अधिक संगठित हो गये हैं।

†श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया): आज तटस्थता और गैर-तटस्थता की धारणाएं पुरानी हो गयी हैं क्योंकि अमरीका और रूस परस्पर अणु युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं। उनका शीतयुद्ध समाप्त हो रहा है।

हमें अमरीका के साथ युद्ध संधी कर लेनी चाहिए। तब अमरीकी सेनाएं चीनी और पाकिस्तानी आक्रांताओं को हमारी भूमि से निकाल देंगी।

तिब्बत के संबंध में हमारी नीति विफल नहीं रही। जब तक चीन तिब्बत में है तब तक अमरीका और रूस हमारे मित्र रहे है। वह तिब्बत से तभी निकलेगा जब भारत चीन में युद्ध होगा। उसे रूस या अमरीका ही निकाल सकते हैं और तब चीन चार भागों में बट जायेगा। उत्तर चीन में रूस का प्रभाव होगा और दक्षिणी चीन में अमरीका का। तिब्बत पर जिसका कब्जा होगा वही हमारा एक नम्बर का शत्रु होगा। अतः अमरीका या रूस का वहां शासन होना भी अत्यंत खतरनाक है।

जब तक भारत और चीन में बड़ी लड़ाई नहीं होती तब तक अमरीका और रूस मिल नहीं सकते और उनके मिले बगैर चीन को तिब्बत से नहीं निकाला जा सकता। किन्तु उस हालत में भारत और चीन दोनों तबाह हो जायेंगे।

भारत और चीन की लड़ाई को केवल रूस रोक सकता है या तो पाकिस्तान और चीन दोनों को धमकी देकर या अपनी सेनाएं काश्मीर में भेज कर किन्तु यदि भारत चीन की बड़ी लड़ाई का खतरा

---

†मूल अंग्रेजी में

न हो तो रूसी सेना को बुलाने का मेरा सुझाव न माना जाये। यदि हमने चीन को अक्साई चिन दे दिया तो रूस और अमरीका चीन से मिल जायेंगे। तब सारा अफ्रीका और एशिया चीन, रूस और अमरीका के प्रभाव क्षेत्रों में बंट जायेगा।

रूस की सेना काश्मीर में आने पर अमरीका को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि दोनों प्रायः एक ही नीति के हैं किन्तु यदि अमरीका की सेनाओं को बुलाया जाये तो चीन को निकालना कठिन होगा क्योंकि चीन ने अमरीका को कोरिया में सबक सिखा दिया था।

यदि अमरीका की सेना पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे तो नाटो सेटो समाप्त हो जायेंगे। रूसी सेना को बुलाने से पाकिस्तान की तानाशाही समाप्त हो जायगी। रूसी सेना को बुलाने से काश्मीर पर भारत की प्रभुसत्ता को क्षति नहीं पहुंचेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री, मुझे माननीय सदस्य से यह जरूर कहना है कि जब वे बुलाये गये तब वे अपनी जगह पर नहीं थे। जो मेम्बर साहब अपना नाम दें, उन का यह फर्ज है कि वे अपनी जगह पर रहें। यह तो नहीं हो सकता कि जब मेम्बर साहब चाहें तब उन को बुलाया जाय।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की अपनी नीति बहुत पूर्व घोषित की थी। किसी भी गुट विशेष में सम्मिलित न होने की हमारी नीति का आधार यह था कि भारत स्वतंत्र रूप से तटस्थ रह कर अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान और विकास करना चाहता है। परन्तु जब से चीन का यह आक्रमण भारतीय सीमाओं पर हुआ है, उस समय से भारत की तटस्थ नीति को कसौटी पर कस कर दूसरे देश और भारत के कुछ व्यक्ति भी देखना चाहते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि जो व्यक्ति भारत की तटस्थ नीति का समर्थन नहीं करते उन में से आप कुछ व्यक्तियों को छोड़ दीजिये जिन के अपने निहित स्वार्थ किसी विशेष संगठन अथवा देश के साथ हैं, परन्तु जहां तक भारत की सामान्य जनता का सम्बन्ध है, वह भारत की इस तटस्थ नीति की समर्थक है। किन्तु इस तटस्थ नीति के भी समर्थक दो प्रकार के हैं। एक तो कम्युनिस्ट और कम्यूनिस्टों से सहानभूति रखने वाले हैं, दूसरे शेष में बाकी सारा देश आ जाता है। लगभग सारे देश की विचार धारा जो इस तटस्थ नीति के सम्बन्ध में है वह यह है कि हम अपनी तटस्थता को सुरक्षित रखते हुए अपनी विपत्ति और संकट को टालने के लिए दूसरे देशों से जिस प्रकार भी सम्भव हो, सहायता लें। लेकिन कम्यूनिस्ट और कम्यूनिस्ट समर्थक हमारी तटस्थता की नीति को ऐसी कसौटी पर कसना चाहते हैं जिस का परिणाम यह हो कि पश्चिमी देशों की जो सहानुभूति इस संकट काल में हमारे साथ बनी है वह किसी प्रकार से हिल जाय। सम्भव है कि उन का अपना यह अनुमान या विश्वास हो कि अमरीका, ब्रिटेन या दूसरे देशों से शस्त्र मंगाने के पश्चात् भारत उन का गुलाम हो जायेगा, या किसी प्रकार उन का दास हो जायेगा। परन्तु राजनीति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि द्वितीय महा युद्ध में जब रूस ने अमरीका से शस्त्र लिये थे या सहयोग प्राप्त किया था तब उस का यह परिणाम कदापि नहीं हुआ कि रूस अमरीका गुट में सम्मिलित हो। आज अगर हम अपने से कर के निवारण के लिए दूसरे देशों से सहायता लेते हैं तो यह तो एक तात्कालिक समस्या है। इस से हमारी तटस्थता की नीति को ऐसे आधारों पर कसना जिन से जो देश हमें सहायता देना चाहते हैं उनका ध्यान हम से हट जाय, यह एक प्रकार से भारत के साथ ही अन्याय करना नहीं होगा बल्कि उन देशों को समर्थन प्राप्त कराना होगा या समर्थन देना होगा जो हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डालना चाहते हैं।

जहां तक रूस और चीन के पारस्परिक मत भेद का सम्बन्ध है, मेरी अपनी निश्चित राय यह है कि रूस और चीन के साधनों में मतभेद हो सकता है, किन्तु साध्य में किसी प्रकार का मतभद नहीं है।

मोटी सी भाषा में मैं इस बात को यों कह सकता हूं कि इस विषय में तो भिन्नता दोनों में हो सकती है कि भारतवर्ष में जो साम्यवाद फैले वह चीन के झंडे के नीच फैलना चाहिये या रशिया के झंडे के नीचे फैलना चाहिये, लेकिन भारतवर्ष में साम्यवाद का प्रचार या प्रसार हो इस विषय में दोनों एक हैं। लेकिन अमरीका और ब्रिटेन का सम्बन्ध है, वे इस विषय में यह चाहते हैं कि भारत जहां अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे वहां साथ ही भारत के अन्दर साम्यवाद का प्रचार न हो। भारत स्वतंत्र रूप से रह कर जिस प्रकार अब तक अपनी नीतियों का विकास करता आया है उसी प्रकार भविष्य में भी अपनी नीतियों का विकास करे। मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करना हमारे लिए कहीं अधिक हित कर होगा जो किसी राजनीतिक स्वार्थ विशेष को मस्तिष्क में न रख कर हमें सहयोग देना चाहता हो।

रूस की ओर से जो सहयोग हमें तीन या चार मिग विमानों का अब तक प्राप्त हुआ है उस से हमें भी यह स्थिति देखनी होगी कि तीन या चार मिग विमानों से हम भारतीय स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेंगी या नहीं, जब कि हम को उस देश का सामना करना है जिस के पास लगभग तीन हजार विमान बतलाये जाते हैं। और जो उस के पास राकेट या प्रक्षेपणास्त्र हैं वह भी बहुत बड़ी संख्या में बताए जाते हैं।

हम रूस के इतने अंशों में आभारी हैं कि उन्होंने काश्मीर की समस्या पर सुरक्षा परिषद में हमारा समर्थन कर भारतीय जनता की सहज सहानुभूति प्राप्त की, लेकिन ऐसे संकट के समय में जब की हमारे देश की सीमाओं पर आक्रमण हुआ और हमारी स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो गया, उस समय हाथ खींच कर काम करने की प्रवृति और विरोधी सहयोग को देने की प्रवृति को आज भारतीय जनता इन परिस्थितियों में स्वीकार नहीं कर सकती।

एक दूसरी बात मैं वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा हो कि हम अपनी विदेश नीति को व्यक्ति प्रधान न बनायें। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर नेपाल में कोयरला की सरकार है तो नेपाल के साथ हमारी सरकार का रुख दूसरा है और जब उस के स्थान पर दूसरी सरकार आ गयी तो हमारा काम करने का और वक्तव्य देने का ढ़ग दूसरा हो गया। बर्मा में ऊनू की सरकार थी तो हमारे सम्बन्ध अच्छे थे लेकिन ने विन की सरकार वहां आ गयी तो हमारे सोचने का ढंग दूसरा हो गया। जब तिब्बत पर चीन का आक्रमण हुआ तो इस देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि यह चीन का आन्दरूनी मामला है, इस में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब हम उस के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो नपाल में चाहे राज तंत्र रहे या प्रजा तंत्र रहे हम को क्यों उस की चिन्ता करनी चाहिये और क्यों इस प्रकार नैपाल से जो हमारे सांस्कृतिक और भौगोलिक सम्बन्ध हैं उन को खराब कर देना चाहिए। यह नीति भारत के हित में अच्छी नहीं रही। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे गृह मंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री की नेपाल यात्रा से भारत और नेपाल के सम्बन्धों में जो कटुता उत्पन्न हो गयी थी उस को दूर करने में बड़ी सहायता मिली और मेरा अपना निजी विचार है कि जहां भारत और नेपाल के भौगोलिक सम्बन्ध निकट के रहें वहां नेपाल के साथ हम को अपने सांस्कृतिक सम्बन्ध भी और घनिष्ट करना चाहिये। ऐसा करना भारत के हित में होगा।

भारत के जितने पड़ौसी देश हैं उन में पाकिस्तान के विषय में तो मुझे यह विश्वास नहीं होता कि जितनी सद्भावना और प्रेम उस से समझौता करने के लिए भारत ने प्रदर्शित किया है उतनी ही सद्भावना भारत के साथ वह भी प्रदर्शित करेगा। किन्तु इतना अवश्य है कि वह देश जिन की स्वतंत्रता प्राप्ति में हम ने मदद दी है, उन के बारे में अपनी विदेश नीति को कसौटी पर कसते समय हम सोचें कि उन के सम्बन्ध में हम से कोई भूल तो नहीं हो गयी है जिस के कारण वे हमारे पड़ौसी देश हमसे अलग होते जा रहे हैं और अपने मन में कटुता बनाये बैठे हैं। अगर ऐसा है तो हमें अपनी वैदेशिक

नीति पर फिर से विचार कर के उसमें परिवर्तन करना चाहिये जो कि आज देश की परिस्थितियों को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान स्थितियों में हमें, इन देशों के साथ केवल राजनीतिक सम्बन्ध, ही नहीं बढ़ाने चाहिये, वरन् हमको इनके साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध भी भी दृढ़ करने चाहिए और साथ ही साथ उनके साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी बढ़ाने चाहिए। कुछ समय पहले हम ने अपने देश में बुद्ध जयन्ती मनायी थीं केवल इसी लिए कि हम अपने पड़ौसी देशों की भावनाओं को अपनी ओर मोड़ सकें जिस से भारत को उनका हार्दिक समर्थन प्राप्त हो। जब उस समय हम यह कदम उठा सकते थे तो आज हम को इस प्रकार के सांस्कृतिक पग उठाने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए। मेरे अपने विचार में ऐसा पग उठाना देश के लिए अधिक हित कर होगा।

दूसरी बात मैं कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी को स्मरण होगा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मुझे विश्वास नहीं कि चीन कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगा, और अगर कोलम्बो प्रस्तावों को चीन स्वीकार भी कर लेता है तो उनपर वह टिका रहेगा इस सम्बन्ध में कैसे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अब तो प्रधान मंत्री ही स्वयं यह मान गए हैं तथा चीन और हमारे समाचार पत्र भी यह कहते हैं कि चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए हैं। अब वे ६ तटस्थ राष्ट्र जिन्होंने कोलम्बो प्रस्तावों को बनाया था क्यों नहीं स्पष्ट भाषा में चीन को हमलावर घोषित करते? लेकिन सचाई तो यह है कि उन ६ राष्ट्रों में से चार की सहानुभूति हमारे साथ नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जब चीन कोलम्बो प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत वर्ष भी अब स्वतंत्र है कि क्या निर्णय लें और कैसे उस लक्ष्मण रेखा को लांघें। सरकार आज भी कहती है कि नेफा में हमारा असैनिक प्रशासन ही रहेगा, सेना वहां नहीं जाएगी। लेकिन जब चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है तो हम को भी अपनी सेना नेफा क्षेत्र में बढ़ानी चाहिए और लद्दाख की भी अपनी चौकियों पर पूरा अधिकार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह नीति और परिस्थितियों दोनों की पुकार है। चीन कोलम्बो प्रस्तावों को अस्वीकार करके अपनी कूटनीतिक विजय दिखाना चाहता है और दुनिया को भारत की कूटनीतिक पराजय दिखाना चाहता है। चीन को शांति प्रस्तावों के पीछे सद्भावना नहीं है। वह शांति के नाम से भारत पर कूटनीतिक विजय प्राप्त करना चाहता है। वह भारत का समर्पण कराना चाहता हूं। लेकिन हम इस समर्पण के लिए तैयार नहीं हैं।

सके साथ ही साथ में नम्र निवेदन करूंगा कि चीन और पाकिस्तान के समझौते के सं में भी प्रधान मंत्री जो कल बहस का उत्तर देते समय विशेष प्रकाश डालें। काश्मीर के प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने अभी तीन चार दिन पहले एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान का सीमा संबंधी जो समझौता हुआ है और उस संबंध में जो एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ बातों में चीन और पाकिस्तान का गुप्त समझौता हुआ है। अगर बख्शी गुलाम मुहम्मद को इस बात की जानकारी है तो यह असंभव है कि हमारे प्रधान मंत्री को उसकी जानकारी न हो। अगर वह जानकारी संसद को देना देशहित के विरुद्ध न हो तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जी सदन को वह जानकारी अवश्य दें।

चीन के विदेश मंत्री श्री च्येन यी ने एक वक्तव्य देते हुए कहा है कि श्रीमती भंडारनायके और कोलम्बो राष्ट्रों ने चीन को अपने प्रस्तावों का जो स्पष्टीकरण दिया है वह उससे भिन्न है जो उन्होंने भारत को दिया है। इसलिए में यह भी चाहूंगा कि कल हमारे प्रधान मंत्री चीन के विदेश मंत्री के इस वक्तव्य के संबंध में अपना स्पष्टीकरण अवश्य दें जिससे पता तो चले कि इसमें कितनी सचाई है।

अगर चीन के विदेश मंत्री का वक्तव्य सही है तो यह बात न हमारे हित में है और न चीन के हित में है।

अभी प्रधान मंत्री जी ने अपनी मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान एक दो स्थानों पर कहा कि देश को यह नहीं मान लेना चाहिये कि लड़ाई दूर हो गयी, ज्यों ज्यों गरमियां आ रही है लड़ाई की संभावना बढ़ रही है और कोई नहीं कह सकता कि कब लड़ाई आरम्भ हो जाय। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार भोपाल और रायपुर में कहा उसी के अनुसार देश को इस संकट की ओर से सदा सतर्क बनाए रहें और ऐसा न हो कि हम पर अचानक हमला हो जाए तब हम नए सिरे से तैयारी करना प्रारम्भ करें। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे स्वतंत्रता सम्मान के लिए घातक होगा। इसलिये हमें जनता तथा सरकार दोनों को निरन्तर सजग बनाए रखना आवश्यक है।

एक और बात की ओर मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। सदन के कतिपय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि विदेशों में हमारे राजदूत भारतियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उन से कैसे आशा की जा सकती है कि वे वहां के निवासियों के साथ अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह करते होंगे। यह शिकायत विरोधी सदस्यों ने या विरोधी पार्टियों की ही नहीं है लेकिन शासनारूढ़ दल के सदस्यों का भी यह व्यक्तिगत अनुभव है कि विदेशों में रहने वाले राजदूतों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेरा अपना अनुमान है कि विदेशों में जितने भारत के राजदूत है उनमें अधिकांश सिविल सरविस के जनता से सम्पर्क न रखने वाले लोग हैं। मैं यह नहीं कहता कि सिविल सरविस के सभी लोग खराब हैं। उनमें अच्छे भी हैं। उदाहरण के लिए श्री छागला अमरीका में रह कर अच्छा कामकर रहे हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश वैसे नहीं हैं यह मेरा अभिप्राय है। मेरा सुझाव है कि आपको ऐसे लोगों को इन पदो पर भेजना चाहिये जिनका जनता से भी सम्पर्क रहा हो और जो जनता की कठिनाइयों से परिचित हों। ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा।

इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में हमने कंधा लगाया था लेकिन इंडोनेशिया के हमारे राजदूत हमको वहां जो हमारे प्रति घृणा की भावना थी उसकी सूचना तक न दे सके। और उसका पता हमको उस समय लगा जब कि जकार्ता में एशियन गैम्स के समय हमारे विरुद्ध आन्दोलन हुआ। तो मेरा कहना है कि हमारे राजदूतों को विदेशों में सतर्क रहना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है उसके संबंध में सरकार की ओर से कहा गया था कि कलकत्ता की बातचीत अन्तिम बातचीत होगी। बहुत संभव है कि ऐसा कहने का आधार यह हो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी यह कहा था। लेकिन अब वह बातचीत कलकत्ते में समाप्त नहीं हुई और कराची के लिये उसका पांचवा दौर रखा गया है। इसके अतिरिक्त दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कलकत्ते की कानफ्रेंश में असम के अन्दर जो पाकिस्तानी नागरिक आ गये हैं उनका प्रश्न पाकिस्तान की ओर से उठाया गया जब कि समस्या हमारी थी पाकिस्तान की समस्या नहीं थी। यह सवाल हमारी ओर से उठाया जाना चाहिये था। इसी प्रकार राजस्थान की सीमा पर भी ऐसी समस्याय हैं और बंगाल की सीमा पर भी आक्रमण और डकैतियों की समस्या है। इन तमाम चीजों को वहां उठाना चाहिये था।

अन्त में मैं एक बात यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जिम्मेवार व्यक्तियों को और नेताओं को काश्मीर समस्या के संबंध में जो वक्तव्य देने चाहिये वे ऐसे न होने चाहिये कि देश के लिए अहितकर हों। मैं अपने श्री तैयब जी का आदर करता हूं और जब से वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गये हैं तब से वहां काफी परिवर्तन हुआ है। लेकिन उन्होंने काश्मीर के संबंध में यह वक्तव्य दिया है कि काश्मीर का एक तिहाई भाग जो पाकिस्तान के पास है उसके विकास के लिए

काश्मीर का कुछ दूसरा भाग भी हमको पाकिस्तान को देना चाहिये। जब तक जिम्मेवार व्यक्ति ऐसा वक्तव्य देता है तो उसका परिणाम देश के लिए अच्छा नहीं होता सकता। में समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस संबंध में अवश्य जानकारी देंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट मैं ये शब्द कहे गये है :

"अनुभव किया गया है कि केवल अंग्रेजी भाषा में ही सामग्री का वितरण करना पर्याप्त नहीं।"

विदेश मंत्रालय की अपनी ऐसी सम्मति है। लेकिन इसी पैराग्राफ मैं दूसरे भाग मैं यह भी लिखा है कि १९६२ के अंतिम दो महीनों में भारत चीन सीमा विवाद पर अधिकतर अंग्रेजी भाषा मैं ३१ पुस्तिकाएं निकाली गई। चूंकि भारतीय जनता भारतीय भाषाओं से परिचित है इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि प्रधान मंत्री जी इस चीज को देखें कि विदेश मंत्रालय में भारतीय भाषाओं सम्मान अवश्य होना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : अब डा० कोलाको।

आज कुछ समय एक और प्रस्ताव पर लग जायगा अतः क्या सदस्य बैठक को १५ मिनट के लिए बढ़ाना चाहेंगे।

†श्री हरि विष्णु कामत : हम आज ६—३० तक बैठ सकते हैं।

†डा० कोलाको (गोआ दमन और दीव) : गोआ दमन और दीव के बारे में श्री गायतोंडे ने जो सुझाव दिये हैं मैं उन के बारे में कुछ शब्द कहूंगा।

श्री हजरनवीस ने कहा था कि इन प्रदेशों की वित्तीय स्थिति कठिन है और उन्हें केन्द्र से सहायता की आवश्यकता है। १९५७ से हमारे प्रदेश की स्थिति काफी अच्छी है। १९६१-६२ में हमारे राजस्व में ६ ½ करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन था और हमारी प्रति व्यक्ति आय भारत से दुगनी थी। पहली बार १९६२-६३ के बजट में घाटा हुआ जो कि पुर्तगाली सेनाओं द्वारा तोड़े गये पुलों, सड़कों के पुनर्निर्माण के कारण हुआ। अतः वहां कुछ समायोजन हो जाने पर केन्द्र पर बोझ नहीं रहेगा और वहां स्वायत्तशासन स्थापित करने के विरुद्ध जो तर्क दिया जाता है उस का महत्व नहीं रहेगा।

सभी संघ राज्य क्षेत्र वास्तव में गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन हैं अतः बजट में भी वैदेशिक कार्य मंत्रालय से भिन्न शीर्षक के अन्तर्गत उन्हें आना चाहिये। जल्दी ही नगर हवेली और दादरा भी अलग शीर्षक के अधीन आ जायेंगे। वे दमन का ही एक भाग हैं।

हमारे प्रदेश के लिए ७ करोड़ रुपये की व्यवस्था बहुत कम है। विशेषतः कृषि सामुदायिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काफी पैसे की व्यवस्था होनी चाहिये। इन प्रदेशों में सैनिक कार्यवाही के बाद की स्थिति संकट की सी स्थिति है अतः वहां कर भी कम लगना चाहिये।

†डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़—उत्तर) किसी देश की विदेश नीति अकस्मात निर्मित नहीं हुआ करती। उस में कई कारणों का प्रभाव रहता होता है जिन पर विचार करना आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रजी में

कुछ लोगों ने तटस्थता की नीति का विरोध किया है, किन्तु राजनयिक क्षेत्र में मित्र और शत्रु का पता लगा पाना कठिन होता है और कभी कभी मित्र सरीखे शत्रु या शत्रु सरीखे शत्र भी हुआ करते हैं ।

विरोधी दल की एक सदस्या ने कहा है कि हमारी विदेश नीति डांवाडोल है। पता नहीं वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचीं । हम ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है जिस की सभी देशों ने प्रशंसा की है । किन्तु चीन ने इन्हें स्वीकार नहीं किया । अतः हम तटस्थता की नीति पर दृढ़ हैं ।

पिछले दिनों मैं पटना में ग्राम सभा के दौरे पर गई तो कुछ संवाददाताओं ने मुझ से पूछा कि क्या लोकतंत्र में कुछ त्रुटियां हैं ? त्रुटियां तो हर तंत्र में होती हैं किन्तु जब हम ने संविधान के अन्तर्गत लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है तो हमें उन त्रुटियों को दूर करना है । चीन हमारे लोकतंत्र और तटस्थता की नीति को नष्ट करना चाहता है । किन्तु भारत ने निर्बलता के कारण तटस्थता को नहीं अपनाया और बहुत से देशों ने इस की प्रशंसा भी की है और हमें अनेक देशों से सभी प्रकार की सहायता भी मिली है । अमरीका इंगलैंड और रूस सभी ने सहायता की है । वर्तमान अनुभव तो यही बताता है कि हमारी नीति सफल है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या कल भाषण जारी रखेंगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १९ मार्च, १९६३/२८ फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १८ मार्च, १९६३
२७ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९७५—९८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४५१	जेट लड़ाकू विमानों का निर्माण . .	१९७५–७६
४५३	नेपाल में उद्यानकर्म केन्द्र . . .	१९७६–७७
४५४	कोयला खानों के लिए मजूरी बोर्ड . . .	१९७७–७८
४५५	असैनिक हवाई अड्डे	१९७९–८०
४५६	कोयला खानों में व्यवसाय के कारण स्वास्थ्य को खतरा .	१९८०—८२
४५७	लौह अयस्क खानों के लिए मजूरी बोर्ड . . .	१९८२—८४
४५८	आयुध कारखानों के लिये इस्पात . .	१९८४–८५
४५९	युद्धपोतों और हैलीकाप्टरों का निर्माण . .	१९८५—८७
४६०	औद्योगिक संधि	१९८७—८९
४६१	राज्यों में योजना बोर्ड	१९८९—९२
४६२	अफ्रीका एशिया एकता सम्मेलन सचिवालय में काम कर रहे भारतीय	१९९२—९५
४६४	सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की राजनयिक नियुक्तियां . . .	१९९५—९७
४६५	एवरो ७४८	१९९७–९८
४६६	इराक से सम्बन्ध	१९९८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१९९९—२०१०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४५२	विशेष धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र . . .	१९९९
४६७	फौजी यूनिटों में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन . .	१९९९
४६८	गोवा में श्रम विधियां . .	१९९९–२०००

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८७४	एम० ई० एस० कर्मचारी, बीकानेर . . .	२०००
८७५	भारतीय वायु सेना के कैनबरा की दुर्घटना . .	२००१
८७६	जनरल स्टोर्ज इंस्पेक्शन डिपो, दिल्ली में पाये गये बटन .	२००२
८७७	भविष्य निधि में अंशदान	२००२
८७८	बेसिक जेट ट्रेनर वायुयान . . .	२००२
८७९	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी .	२००३
८८०	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का अतिक्रमण	२००३
८८१	औद्योगिक श्रमिकों की दशा का सर्वेक्षण . . .	२००३–०४
८८२	रायपुर में आकाशवाणी केन्द्र . .	२००४
८८३	बिहार में आकाशवाणी के कर्मचारी .	२००४
८८४	लोक सहायक सेना शिविर . .	२००५
८८५	हज यात्री . . .	२००५–०६
८८६	लद्दाख और नेफा में सड़कें .	२००५ –०७
८८७	आसाम का प्रविधिक–आर्थिक सर्वेक्षण . .	२००७
८८८	पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों के लिये अतिरिक्त धन .	२००७
८८९	ट्राम्बे में सुपर-फासफेट का तैयार किया जाना . .	२००७–०८
८९०	उपभोक्ता मूल्य देशनांक	२००८
८९१	भारतीय युद्ध बन्दियों को पत्र लिखने की सुविधा . .	२००८–०९
८९२	वायु सेना का विस्तार . . .	२००९
८९३	सेना का विस्तार . . .	२००९–१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		२०१०–११

श्री हरि चरण सोय ने किरिबुरु लोह अयस्क परियोजना में विधि और व्यवस्था में हुई भयंकर अव्यवस्था की ओर जिस के परिणामस्वरुप परियोजना का सामान्य काम बन्द हो गया है, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खान और ईंधन मंत्री की ओर से गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०११–१२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—	
(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।	
(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक लेखा, उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित ।	
राज्य सभा से सन्देश	२०१२
सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा कृषि पुर्नवित्त निगम बिल, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	२०१२
संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२०१२–१३
संघ राज्य-क्षेत्रों शासन विधेयक, १९६३ को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	
अनुदानों की मांगें	२०१३—४४
वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
मंगलवार, १९ मार्च, १९६३/२८ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि	
वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान ।	
(१) राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव (२) वाक्ताड़न पर चर्चा ।	

श्री मुहम्मद इस्माइल	२०३१–३२
श्री श्याम लाल सर्राफ	२०३२–३३
श्री हेडा	२०३३
श्री बिशनचन्द्र सेठ	२०३३—३६
डा० गायतोंडे	२०३६–३७
श्री इकबाल सिंह	२०३७
श्री टें० सुब्रह्मण्यम्	२०३७–३८
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	२०३८–३९
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	२०३९—४३
डा० कोलाको	२०४३
डा० सरोजिनी महिषी	२०४३–४४
दैनिक संक्षेपिका	२०४५—४७

P.L.S. 41. XV. 21. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।